हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
22 मार्च, 2023
खण्ड–1, अंक–8
अधिकृत विवरण

विषय सूची
बुधवार, 22 मार्च, 2023

पृष्ठ संख्या

भारतीय काल गणना के विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष एवं विश्व जल दिवस के अवसर पर बधाई देना।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

बजट पर आंकड़ों के संबंधित व्हाईट पेपर जारी करने के बारे में मामला उठाना

सुपर्शव जैन बाल सदन स्कूल कैथल के विद्यार्थियों तथा स्टाफ का अभिनंदन

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना।

सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह तथा राजगुरु को शहीद का दर्जा देने का मामला उठाना।

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।

बैठक का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल से संबंधित

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना देना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

वक्तव्य–

उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।

(1) अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट

(2) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट

(3) प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट

(4) जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट

(5) याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट

(6) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट

(7) सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की 52वीं रिपोर्ट

सरकारी प्रस्ताव–

Regarding the objection on levy of water cess by the Govt. of Himachal Pradesh on the Hydro Power Projects

विधायी कार्य–

(क) पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

(ख) विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023

बैठक का स्थगन

मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक–2023 पर चर्चा के दौरान कहे गये शब्दों को वापिस लेने की सूचना देना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 (पुनरारम्भ)

अध्यक्ष महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा धन्यवाद

हरियाणा विधान सभा
बुधवार, 22 मार्च, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

भारतीय काल गणना के विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष एवं विश्व जल दिवस के अवसर पर बधाई देना।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय काल गणना का विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष है और इस नव वर्ष के अवसर पर मैं सदन के सभी सदस्यों को बहुत–बहुत शुभकामनायें और बधाई देता हूँ और साथ ही आज वर्ल्ड वाटर डे अर्थात् विश्व जल दिवस भी है और इस विश्व जल दिवस के अवसर पर और जैसा कि मैंने कल अपने भाषण में भी कहा था कि हमें पानी के बचाव की तरफ, पानी के संरक्षण की तरफ तथा पानी के पुनरूपयोग की तरफ तथा माइक्रो इरीगेशन की तरफ ध्यान करना चाहिए ताकि पानी का जो आने वाला संकट है, उससे हम आने वाले समय में बच सकें। इसके संकल्प के लिए भी मैं आप सबको निवेदन करूंगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को तथा सभी हरियाणावासियों को विक्रमी संवत 2080, विश्व जल दिवस तथा मां दुर्गा के पहले नवरात्रे के शुभ अवसर पर बहुत–बहुत शुभकामानयें देता हूँ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, आपको भी बहुत–बहुत शुभकामनायें।

———————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या–101

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री गोपाल कांडा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

———————————

रिवर फ्रन्ट, पार्क तथा झील विकसित करना

***102. श्री घनश्याम दास :** क्या शहरी स्थानीय निकास मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या हमीदा हैड, यमुना नगर, पश्चिमी जमुना नहर पर स्थित नगर निगम की लगभग 9 एकड़ भूमि पर रिवर फ्रन्ट, पार्क तथा झील विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यों को कब तक निष्पादित किये जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, हमीदा हैड, यमुना नगर, पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित नगर निगम की लगभग 9 एकड़ भूमि पर रिवर फ्रन्ट, पार्क तथा झील विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के अनुसार प्रश्न का यह भाग लागू नहीं होता है।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यमुनानगर के इस क्षेत्र की परिस्थिति की जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि यहां पर 9 एकड़ के लगभग जमीन है। इस जमीन पर लोग अवैध कब्जा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यहां पर कूड़े को इक्ट्ठा करने का काम भी किया जाता है। 12 बूथ अर्थात लगभग 25000 की आबादी हमीदा और गढ़ी गुजरान की है। यहां पर घनी आबादी है और थिकली पापुलेटिड एरिया होने के कारण, यहां पर कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं है, जहां पर लोग सैर के लिए, एक्सरसाइज के लिए या फिर योग के लिए जा पायें। यह क्षेत्र वैस्टर्न यमुना कैनाल के किनारे पर स्थित है इसलिए उस क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करने के लिए तथा यहां की जमीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए व लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए यहां पर अच्छा रिवर फ्रंट बनना चाहिए क्योंकि एक तो यह नदी के किनारे पर है, इसलिए यदि इसमें झील का निर्माण होगा तथा एक अच्छे पार्क का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण को ठीक रखने में मदद मिलेगी और लोगों को सैर करने और योग करने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। यही नही झील और पार्क के प्रावधान यदि रिवर फ्रंट के साथ लगता होगा तो इससे यह स्थान एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस अर्थात पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकेगा। यह समय की आवश्यकता है इसलिए मेरा माननीय

मंत्री जी से निवेदन और आग्रह है कि वें आज इस संदर्भ में एक बढ़िया घोषणा करके, यमुनानगर के लोगों को तथा हमीदा हैड और गढ़ी गुजरान के लोगों को एक उपहार देने का काम करें।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही है, वह सराहनीय है। यहां पर कुछ भाग में सोलिड वेस्ट पड़ा हुआ है जिसको माननीय एन.जी.टी. और अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ठोस कचरे के प्रोसैस के लिए, गैर ठोस कचरा प्लांट में ले जाया जाना है और उम्मीद है कि 31.3.2023 तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा। अतः मैं समझता हूँ कि जो सोच माननीय विधायक की है, इसके बारे में वे रिटन में भी दे दें और वैसे मैं अभी यमुनानगर गया था और मुझे इस विषय की सारी जानकारी भी है। इनके यहां पर नगर निगम के पास 375 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि इस काम को नगर–निगम स्वयं पास करके भी कर सकता है और जो इसका थोड़ा बहुत अलग से खर्चा होगा तो माननीय सदस्य को पता भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नगर निगमों को और लोकल बाडीज को लोकल गवर्नमैंट के नाते पूरी स्वायतता देने का काम किया हुआ है अर्थात इस तरह का काम करने के लिए यह बाडीज बाकायदा तौर पर स्वतंत्र भी हैं। अतः मैं फिर कहता हूँ माननीय सदस्य इसे लिखकर भी दे दें और वैसे भी वे इसको निगम से पास करवाकर, इस काम को करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

श्री घनश्याम दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह प्रोजैक्ट काफी बड़ा है और यदि इस काम के लिए निगम का सारा पैसा प्रयोग कर लिया गया तो इससे दूसरे कामों के प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। अतः 'दिव्य नगर योजना' के तहत आधा पैसा नगर निगम और आधा पैसा डायरेक्टर, अर्बन लोकल बाडी डिपार्टमैंट की तरफ से आ जाये तो निश्चित रूप से यह नगर निगम के लिए तथा स्थानीय निकाय विभाग के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बारे में लिखकर दे देना चाहिए। वैसे 'दिव्य नगर योजना' के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत, कुछ भाग देकर, किसी भी कार्य को करने की हर मंशा को पूर्ण करने काम किया जायेगा। मैं आन द फलोर ऑफ द हाउस, माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा।

श्री घनश्याम दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का मन की गहराई से होल हार्टेडली धन्यवाद करता हूँ।

————————————

चारमार्गी सड़क का निर्माण करना

***103. श्री लीला राम :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या कैथल शहर के अम्बाला रोड से तितरम मोड़ (जीन्द रोड) तक चारमार्गी सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) & (b) No Sir.

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से तथा अपने कैथल वासियों की तरफ से सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा कि अब तक तीन वर्षो में जो भी सड़कों की मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, वे सभी पूरी हुई हैं और आज हमारे यहां सभी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। चाहे इसमें खन्नौरी, पाड़ला रोड से चीका–पटियाला रोड है, चाहे कैथल से लेकर क्योड़क तक की फोरलेन सड़क की बात है जोकि साढ़े अठारह करोड़ रूपये की लागत से बनकर तैयार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कैथल हल्के की जो पुरानी मांग थी, को ध्यान में रखते हुए मानस से लेकर अटेला तक जो सड़क है, वह 5 करोड़ रूपये की लागत से बनाकर तैयार कर दी गई है। यह सड़क भी कैथल हल्के के लिए और विशेषकर कैथल शहर की एक तरह से लाइफलाइन है और अम्बाला रोड को जींद रोड के साथ जोड़ने का काम भी करती है। इस सड़क पर सिविल होस्पिटल है, बस स्टैंड है, बड़ी–बड़ी कार की एजेंसियां हैं और कैथल शहर का सबसे बड़ा पार्क जिसको ताऊ देवी लाल पार्क के नाम से जाना जाता है, वह पार्क भी इसी सड़क पर आता है। यहां पर बहुत भीड़ रहती है और यह आज कैथल जिले के लिए, कैथल शहर और कैथल हल्के के लिए की बहुत जरूरी सड़क है क्योंकि इसी सड़क से चाहे जींद के निवासी हैं, चाहे दूसरे जिलों के निवासी है, यही नहीं हिसार वाले लोकल लोग भी चंडीगढ़ के लिए इसी मार्ग से आते हैं। मेरा माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क से जहां शहर का सौंदर्यीकरण

बढ़ेगा, वहीं कैथल जिले के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। अतः इस सड़क को फोरलेन करने का काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पैच की बात कर रहे हैं, तितरम रोड से अम्बाला रोड तक, उसके पैरलल रिसेंटली वर्ष 2014 के बाद, एक बाई पास, तितरम रोड से अम्बाला रोड तक एन.एच.ए.आई. ने बना दिया है जोकि जयपुर को चंडीगढ़ व अम्बाला से कनेक्ट करता है। इसके बाद यहां पर जो व्हीकल्ज का हैवी ट्रैफिक था, वह भी इसकी वजह से पूरा सबस्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जींद का ट्रैफिक चंडीगढ़ के लिए आता है तो वाया कैथल आता है और तितरम रोड से एन.एच. पर चढ़ जाता है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि तितरम रोड से कैथल सिटी और कैथल सिटी से अम्बाला रोड के एग्जिट तक, यह आलरेडी 10 मीटर वाइड है। उस पर पैसेंजर व्हीकल ट्रैफिक का आंकड़ा हम एक बार निकलवा लेते हैं। अगर ट्रैफिक बहुत एक्सैसिव है और लैंड अवेलेबल है तो सरकार इस पर जरूर विचार करने का काम करेगी।

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पूरे कैथल शहर का मध्यम मार्ग बन चुका है। इस पर सिविल होस्पिटल है, चौधरी देवी लाल पार्क है, कैथल का बस स्टैंड भी है। मेरा भी अनुरोध है और कैथल की जनता की डिमांड भी है कि इसको फोर लेन बनाया जाये। धन्यवाद।

————————————

तारांकित प्रश्न संख्या–104

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थी।)

.....

नशीली दवाओं/नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उठाए गए पग

***105.श्री मामन खान :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) मार्च, 2020 से फरवरी, 2023 तक नशे के कारण जिला नूंह में कितनी मौतें हुई;

(ख) जिला नूंह में नशा– मुक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा इनमें बैड्ज की संख्या कितनी है;

(ग) क्या जिला नूंह में नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ाने या उपरोक्त नशा मुक्ति केन्द्रों में बैडज की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) जिला नूंह मे नशीली दवाओं/नशे के बढ़ते प्रभावों/दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए या उठाए जाने की संभावना है; तथा

(ड) वर्ष 2014 से अब तक जिला नूंह में ड्रग माफिया के विरूद्ध पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

कथन

(क) अभिलेखों के अनुसार, मार्च, 2020 से फरवरी, 2023 की अवधि के दौरान जिला नूंह में तीव्र नशा से मृत्यु का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है।

(ख) वर्तमान में नूंह जिले में कोई नशामुक्ति केंद्र नहीं है। सिविल अस्पताल, मांडीखेड़ा और एसएचकेएम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नलहर के मनोरोग विभाग में ओपीडी के आधार पर उपचार प्रदान किया जा रहा है। इन दोनों विभागों की कुल औसत मासिक ओपीडी करीब 55 मरीज हैं। इनमें से इनडोर उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को नजदीकी जिलों के उच्च केंद्रों में रेफर किया जाता है।

(ग) सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा और एसएचकेएम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नलहर में प्रत्येक 15–बेड की क्षमता के दो नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों ने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए एस.ई.डब्ल्यू.ए. विभाग को क्रमशः 12.07.2022 और 14.11.2022 को आवेदन किया है।

(घ) जिले में नशीली दवाओं की लत को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। एक नई समिति और टीम का गठन किया गया है और अन्य संगठनों को शामिल किया गया है जैसा कि नीचे बताया गया हैः

- 'नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन एस.ई.डब्ल्यू.ए. विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 71–ए–एसडब्ल्यू(4)–2020 के अंतर्गत दिनांक 22.09.2020 को किया गया है।

————————————————

@उपरोक्त प्रश्न का जवाब शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) द्वारा दिया गया।

- नागरिक अस्पताल, मांडीखेड़ा की जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम।
- एसएचकेएम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नलहर के मनश्चिकित्सा विभाग की टीम।
- जिला रेड क्रॉस सोसायटी टीम बहुआयामी दृष्टिकोण में शामिल हैं:
- स्कूलों, कॉलेजों और बड़ी सभाओं के स्थानों में सेमिनार, रैलियां और अभियान आयोजित करके नशीली दवाओं की लत को रोकने और नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में शिक्षा और जागरूकता।
- बच्चों में नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए पारिवारिक परामर्श और माता–पिता का मार्गदर्शन।
- जेलों, बाल देखभाल संस्थानों और वृद्धाश्रमों में नियमित रूप से जाकर नशे की लत से जूझ रहे लोगों की पहचान, उपचार और पुनर्वास।
- जनता में नशीली दवाओं की लत को रोकने में मदद करने के लिए सामुदायिक समर्थन बनाना।

(ड) 2014 से 14.02.2023 तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत जिला नूंह में कुल 127 मामले दर्ज किए गए हैं।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं लेकिन हमारे हैल्थ मिनिस्टर जी मौजूद नहीं हैं बावजूद इसके मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मैंने जो यह प्रश्न पुट–अप किया है, वह इसलिए किया है कि हमारा मेवात क्षेत्र भी पंजाब की राह पर चल रहा है। यहां पर भी करोड़ों रूपये की हेरोइन, गांजा के साथ विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं। पुलिस केस तो दर्ज करती है लेकिन नशा तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो लोग इस नशा तस्करी में शामिल हैं उन तस्करों के खिलाफ जल्द से जल्द अभियान चलाकर पकड़ने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा से आए दो ट्रक गांजा को नूंह पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। दूसरे राज्यों से आकर मेवात में तस्कर अलग अलग क्षेत्रों में नशे का सामान बेचते हैं। हमारे नौजवान नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। बीते 22 मार्च, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फ्लाइंग दस्ते ने भी नशे की दवाइयां पकड़ी हैं । मैंने जुलाई माह में भी नशे का मुद्दा सदन में उठाया था लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है । इसके लिए सरकार न तो जिम्मेदारी उठा रही है और न ही मेवात में आज तक कोई नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किया गया है । मैं कहना

चाहता हूं कि तावडु के पास एक 'शिकारपुर' गांव है । यह गांव तावडु शहर से मात्र 2–3 किलोमीटर दूर है । सदर थाने में एक साल में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत लगभग 13 मुकदमें दर्ज हुए हैं । इनमें 5 गांव सीधे शिकारपुर से जुड़े हुए हैं । शिकारपुर के ग्रामीणों का कहना है कि वहां के बालिग/नाबालिग युवक, युवतियां व महिलाएं भी नशे के काम में शामिल हैं । गांव में सुबह से शाम तक नशा कारोबारियों के ठिकानों पर दिल्ली, गुरूग्राम, फरीदाबाद, रोहतक व हिसार आदि के अनेक लोग नशीले पदार्थ की खरीद–फरोख्त करने के लिए पहुंचते हैं । बीते वर्ष में 17.11.2021 को 212 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया था । इसी तरह 14 दिसम्बर, 2021 को 980 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया, 17 दिसम्बर, 2021 को 402 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई, 2 जनवरी, 2022 को 21.2 किलोग्राम और 5 जनवरी, 2022 को 100 ग्राम गांजा पकड़ा गया था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामन जी, आपकी सप्लीमैंट्री क्या है ?

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मुद्दा है । इससे मेवात के बच्चे दलदल में फंसते जा रहे हैं । मेवात में नशे का पूरा धंधा हो रहा है । मार्च, 2022 में 210 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया, 29 मार्च को 956 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया, 28 अप्रैल को 101 ग्राम गांजा और 3 मई को 313 किलोग्राम गांजा और 1 सितम्बर को 417 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया था । अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जो आंकड़ें बताये है अगर आप उनको सुनोगे तो हैरान हो जाओगे । पुलिस ने बताया है कि जिला नूँह में नशा तस्करों के लिए एंटी नार्कोटिक्स सेल का गठन किया गया और सेल द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बरामद किया गया । जिला नूँह पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नशीले पदार्थों के 44 अभियोग अंकित किये गये और 3 विदेशी नाइजीरियन नशा तस्करों सहित 75 नशा तस्कर के आरोपी गिफ्तार किये गये । इन आरोपियों से 2202 किलोग्राम, 39 ग्राम गांजा, corex की 3682 प्रतिबंधित बोतलें, 344 प्रतिबंधित नशीले कैप्सुल्स, 33,000 नशीली गोलियां, 1 किलो 250 ग्राम हेरोइन, 210 किलो 810 ग्राम चूरा–पोस्त, 448 ग्राम अफीम, 18 किलो 460 ग्राम डोडा और सौ नशीले इंजैक्शन बरामद किये हैं । इसी तरह से स्मैक भी बरामद हुई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामन जी, मैंने आपसे सप्लीमैंट्री पूछने के लिए कहा है लेकिन आप तो डिटेल्स देने लग गए । आपने बताया है कि मेवात में नशे की गम्भीर समस्या है ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने लिखित जवाब दिया है कि intoxication से कोई मृत्यु नहीं हुई । मैं बताना चाहता हूं कि असाइका गांव में इंजैक्शन लेने से 3 मौत हुई हैं । शायद माननीय मंत्री जी के पास इसका पूरा आंसर नहीं है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक नशे की तस्करी को रोकने के लिए क्या कोई खास कदम उठाये हैं ? मेवात में अभी तक एक भी नशा मुक्ति केन्द्र नहीं हैं जबकि वहां पर लगभग 450 गांव हैं । वहां पर तीन विधान सभा क्षेत्र हैं । अतः वहां पर कम–से–कम एक नशा मुक्ति केन्द्र तो होना ही चाहिए । सरकार यह कार्य कब तक करने जा रही है ? पुलिस इन पर कब तक कठोर कदम उठाने जा रही है मुझे इसका जवाब दिया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न 5 भागों में पूछा है और अब इन्होंने इस प्रश्न के उन्हीं 5 भागों का ही दोबारा डिटेल में वर्णन करके पूछा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का पूरा जवाब अक्षरशः दे दिया है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे दोबारा से पढ़ भी सकता हूं । मैं समझता हूं कि it is a social problem. जो क्रिमीनल पार्ट है उसको तो हम अभियान चलाकर टैकल कर ही रहे हैं लेकिन सोशल प्रॉब्लम के लिए prevention is better than cure है। इसमें जो एग्जिक्यूटिव मामला है उसमें अलग–अलग जिलों के लैवल पर समितियां बनायी गयी हैं। जहां तक इस तरह से अलग–अलग हैल्थ एजुकेशन की बात है तो वे हमने सारी पूरी की हैं। डायरेक्ट रुप से नशा मुक्ति केन्द्र नहीं हैं लेकिन सिविल अस्पताल मांदीखेड़ा और एच.के.एम. गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में 15 बैड की क्षमता के 2 सामाजिक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में प्रॉवीजनल लाइसैंस के लिए सेवा विभाग को क्रमशः दिनांक 12.07.2022 और दिनांक 14.11.2022 को आवेदन किया है। जिले में नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए और नियंत्रण करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। एक नयी डिस्ट्रिक्ट लैवल की समिति prevention of the substance use के लिए काम करेगी। इस समिति का गठन किया जा चुका है। ऐसे मरीजों की एवरेज लगभग 55 मरीज पर मंथ की है जोकि ओ.पी.डी. में आते हैं। यह पूरा डाटा डेट वाईज भी दिया हुआ है और जगह वाईज भी दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से बहुत सारे प्रिवैंशन के काम कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस भी इनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने 3 नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करने की मांग की थी।

श्री अध्यक्षः मामन खान जी, माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बता दिया है कि 2 अस्पतालों में हम नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित कर रहे हैं।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, इतना माल बाहर के देशों से आ गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि वे स्थापित करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मामन जी, आपने जो पूछा है, उसके बारे में ही माननीय मंत्री जी ने बताया है।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि पुलिस कठोर कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि मेवात में पुलिस कंट्रोल नहीं है और बाहर के लोग मेवात को कंट्रोल करते हैं। मेवात में सोनीपत, रोहतक और जींद से गौ रक्षक आकर कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से गौ रक्षकों का एक दल बना रखा है, उसी तरह से वहां पर एक नशा मुक्ति दल भी बाहर के लोगों का बनवा दें।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार–बार गौ रक्षकों पर टिप्पणी करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इनको इस बात के लिए आगाह किया जाए। माननीय सदस्य बार–बार इस बात को कहते हैं।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

————————

श्रमिक रखने के प्रावधान

***106. श्री नीरज शर्मा :** क्या श्रम राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुबंध श्रमिक रखने का प्रावधान है; तथा

(ख) हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुबन्ध श्रमिक एवं स्थाई श्रमिक का क्या अनुपात है तथा उसका जिला–वार ब्यौरा क्या है?

@ उप मुख्य मन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) राज्य के उद्योगों में ठेका श्रमिकों को नियोजित करने के प्रावधान ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में प्रदान किए गए हैं।

(ख) श्रम कानूनों में स्थायी श्रमिक की कोई परिभाषा नहीं है। हालाँकि, उपलब्ध डेटा निम्न प्रकार हैः–

(i) कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत श्रमिकों की जिलेवार कुल संख्याः–

क्रम सं0	जिला	श्रमिकों की संख्या
1.	अम्बाला	21008
2.	भिवानी	15054
3.	चरखी दादरी	941
4.	फतेहाबाद	10620
5.	फरीदाबाद	339020
6.	गुरूग्राम	410103
7.	हिसार	21210
8.	झज्जर	107462
9.	जींद	8562
10.	कैथल	10372
11.	करनाल	38048
12.	कुरूक्षेत्र	6518
13.	महेन्द्रगढ़	1230
14.	मेवात	10654
15.	पलवल	35190
16.	पंचकुला	18295
17.	पनीपत	124436
18.	रेवाडी	49206
19.	रोहतक	33562
20.	सिरसा	14862
21.	सोनीपत	185901
22.	यमुनानगर	45406
कुल		**1507660**

————————————————————

@उपरोक्त प्रश्न का जवाब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) द्वारा दिया गया।

(ii) ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकृत कुल संविदा श्रमिकों की जिलेवार संख्याः–

क्रम सं0	जिला	श्रमिकों की संख्या
1.	अम्बाला	4644
2.	भिवानी	2306
3.	चरखी दादरी	229
4.	फतेहाबाद	1930
5.	फरीदाबाद	123725
6.	गुरूग्राम	263526
7.	हिसार	11076
8.	झज्जर	46796
9.	जींद	677
10.	कैथल	239
11.	करनाल	6318
12.	कुरूक्षेत्र	1646
13.	महेन्द्रगढ़	131
14.	मेवात	4835
15.	पलवल	21870
16.	पंचकुला	17925
17.	पानीपत	12096
18.	रेवाडी	76233
19.	रोहतक	22593
20.	सिरसा	4806
21.	सोनीपत	36290
22.	यमुनानगर	9418
कुल		**669309**

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लगभग हरियाणा प्रदेश की आधी जनसंख्या से संबंधित है और बड़े दुख की बात है कि इस प्रश्न का जवाब बहुत गलत आया है। मैंने मेरे प्रश्न में संख्या के बारे में पूछा है और मैं किसी संस्था के आंकड़े नहीं दे रहा हूं। ये ई.एस.आई. कॉरपोरेशन के सरकारी आंकड़ें हैं। मैंने संख्या पूछी थी और ई.एस.आई. कॉरपारेशन कह रही है कि 31 मार्च, 2022 तक हरियाणा प्रदेश में तकरीबन 26 लाख लोगों का ई.एस.आई. का अंशदान जा रहा था और मजदूरों की संख्या 22 लाख बतायी गयी है। हर मजदूर की ई.एस.आई. भी नहीं कटती है। इतना ज्यादा डिफरैंस आंकड़ों में है, परन्तु इसको लेकर भी बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। ये अपने आंकड़े डिपार्टमैंट सुधारे क्योंकि जब आंकड़े ही सही नहीं हैं तो उस मजदूर की चिंता कौन करेगा? इसमें आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से एक सप्लीमैंट्री है कि मैंने जो अनुपात पूछा है, उसमें इनके जवाब से तकरीबन 40 परसैंट पूरे

हरियाणा प्रदेश में कान्ट्रैक्ट लेबर हैं। पर मैं फरीदाबाद का कुछेक का ही पढ़ रहा हूं और सुनकर बड़ा दुख होगा कि भारतीय कटलर हैमर में रेगुलर इम्पलाईज 30 हैं और कान्ट्रैक्ट के 1360 इम्पलाईज हैं। शिवालिक एक्सपोर्ट्स में 100 रेगुलर इम्पलाईज हैं और कान्ट्रैक्ट के 2500 इम्पलाईज हैं। गुडियर के 610 रेगुलर इम्पलाईज हैं और कान्ट्रैक्ट के 2100 इम्पलाईज हैं। एस्कोर्ट्स के 700 रेगुलर इम्पलाईज हैं और कान्ट्रैक्ट के 7,000 इम्पलाईज हैं। एस्टर्ड्स के 200 रेगुलर इम्पलाईज हैं और कान्ट्रैक्ट के 850 इम्पलाईज हैं। हिन्दुस्तान एसैसरीज के 200 रेगुलर इम्पलाईज हैं और कान्ट्रैक्ट के 1100 इम्पलाईज हैं। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है कि ये कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सन् 1970 का है। इसके अन्दर सारी जवाबदेही स्टेट की है, जो भी कुछ होना है। इसमें बड़ा क्लीयर लिखा हुआ है कि–

"if a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the appropriate Government thereon shall be final."

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैं किसी एक को दोष दूं तो वह अनुचित होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में सन् 1987 के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि कान्ट्रैक्यूअल काम करवाने के लिए यह जॉब prohibited है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सन् 1987 में लॉस्ट नोटिफिकेशन हुआ है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि कान्ट्रैक्ट की लेबर को बोनस भी नहीं मिलता है। कोरोना काल में आपने, हमने और सबने देखा कि जो कान्ट्रैक्ट के दिव्यांग लोग थे, उनको फैक्ट्री वालों ने एक ही झटके में निकाल दिया और ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैंने दिनांक 15.05.2020 को उस समय एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि इसकी सही ढंग से पालना न होने की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। आज हमारे यहां गारमेंट्स की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है जो यहां के लोगों को रोजगार देती है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूं। जो लेबर कांट्रैक्ट पर फैक्ट्री में काम रही है, के संदर्भ में कांट्रैक्टर द्वारा यह बात कही जाती है कि वे तो जॉब वर्क पर काम कर रहे हैं लेकिन जब इसकी संबंधित विभाग वाले चैकिंग करने के लिए जाते हैं तो कह दिया जाता है कि उनके यहां तो जो लेबर लगी हुई है, वह सारी की सारी कांट्रैक्ट पर है तो ऐसी स्थिति में मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है

कि अगर सरकार चाहे तो इन मजदूरों की चैकिंग भी करवा सकती है। अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फैक्ट्रियों के अंदर कांट्रैक्ट मजदूरों के बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं और इसी संदर्भ में मैं अपनी सप्लीमैंट्री भी इस रूप में पूछ रहा हूं कि जब लेबर के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड बनाया गया है तो इसकी सही ढंग से पालना हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड सिर्फ 3 साल के लिए बना था और अभी इसकी सिर्फ दो ही मीटिंग्ज हुई हैं और वर्ष 2020 में यह कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड खत्म हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड कब तक बना देंगे या इसी कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड को दोबारा से कब तक चालू करेंगे? मेरी इसमें दूसरी बात यह है कि आप कहीं भी चले जायें सब जगह कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही है। यहां तक कि इसको लेकर लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गये हैं और इसमें यह बात लिखी भी हुई है कि–

> "Court cannot issue directions to the Government to issue notification for abolition of contract system."

Speaker Sir, it means only the appropriate Government, and not the Court. यह जो कांट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इसकी सही ढंग से पालना हो जाये और रैगुलर जॉब पर कांट्रैक्ट का मजदूर काम न करे। इसमें मेरा यही कहना है कि उस मजदूर के हितों की रक्षा हो? मंत्री जी कब तक मजदूरों के हितों की रक्षा करवाकर देंगे यही मेरी सप्लीमैंट्री है?

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ease-of-doing business के तहत हम कोई फैक्ट्री पर किसी चीज की बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं कि आप कांट्रैक्ट लेबर रखोगे या परमानैंट लेबर रखोगे। हमारी सरकार की जिम्मेवारी यह है कि लेबर को मिनीमम वेजिज के हिसाब से रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम दिलवा रही है अगर माननीय सदस्य को उसमें कोई स्पैसिफिक फैक्टरी की कोई शिकायत है या इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यह बात हमें बताने का काम करें। हम उसको स्पैसिफिक चैक करवा लेंगे। सरकार इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि कोई भी फैक्ट्री कांट्रैक्ट लेबर रखे या परमानैंट लेबर रखे।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन में श्रम मंत्री जी ने इस तरीके की बात कही है, जिसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। इसमें आगे यह भी लिखा हुआ है कि–

"The term of Board shall be period of three years''.

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप मेरी बात सुने। आपको कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड से क्या लेना है। आपको इसके अलावा और कोई जानकारी लेनी है तो बतायें।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि विभाग की पॉलिसी मिनीमम वेजिज के हिसाब से रोजगार देने की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पास संबंधित विभाग की वर्ष 1988 की नोटिफिकेशन है। उसके अंदर यह prohibit किया गया है कि रैगुलर जॉब पर कांट्रैक्ट पर काम नहीं कर सकता। उसके बाद वर्ष 2014 में हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस सूर्य कांत और दूसरे जस्टिस का फैसला है कि जो रैगुलर जॉब का काम है, वह रैगुलर इम्पलाई ही करेगा। मंत्री जी आप workmanship की definition बता दीजिए। रैगुलर जॉब पर कांट्रैक्ट का आदमी काम नहीं कर सकता है और उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, अब यह बात कैसे पता चलेगी कि वह रैगुलर जॉब पर काम कर रहा है या कांट्रैक्ट पर काम कर रहा है। जब वह इम्पलाई कांट्रैक्ट का है तो वह कांट्रैक्ट का ही काम करेगा। आप यह बतायें कि रैगुलर जॉब के बारे में कौन बतायेगा?

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात डिपार्टमैंट ही तय करेगा।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, यह बात तो फैक्ट्री वाला तय करेगा कि यह इम्पलाइज रैगुलर काम करेगा या नहीं?

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात फैक्ट्री वाला तय नहीं करेगा।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सवाल को बीच में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि Contractual Board फैक्ट्री में contractual या permanent worker कैसे इम्पलाइज होगा? कोई contractual या permanent worker है तो उसका ई.एस.आई. या ई.पी.एफ. कटेगा। माननीय सदस्य के पास जो डाटा है कि Escorts Company में 700 पक्के इम्पलॉइज हैं और 7000 contractual employees हैं, जो जॉब वर्क के लिए आते हैं। उसमें किसी का ई.एस.आई. या ई. पी.एफ. न कटे तो हम आज इस बात की चैकिंग करवा लेंगे। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई कम्पलेंट हो कि किसी contractual employee को मिनीमम वेजिज से नीचे सैलरी मिल रही है तो हम आज इस बात को चैक करवा लेते हैं। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई अमैंडमैंट लेबर लॉज में की हैं और

ease-of-doing business के अंदर इंडिया की जो आज पहचान बनी हुई है और दुनिया भर से हमारे यहां लोग आ भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो पहले प्रथाएं चल रही थी, हमने उनको बंद किया है। मगर कई जगह निरन्तर डिपार्टमैंट के पास कम्पलेंट आती हैं कि जहां पर प्रोपर वेजिज इम्पलाइज को नहीं मिल रही है परन्तु मैं यह बात माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार समय अनुसार टीमें भेजकर इस चीज को चैक भी करती है और कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ पैनल्टीज भी लगाती हैं। एक्ट में उनको सजा देने का प्रावधान भी किया हुआ है।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। मंत्री जी ने सदन में इतनी बड़ी बात बोली है कि जिम्मेदारी नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमैंट का नोटिफिकेशन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हरियाणा गवर्नमैंट का क्या नोटिफिकेशन है ?

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पढ़ देता हूं:–

> "Haryana Government Labour and Employment Department No.2(43)-87-2-Lab, The 25th May 1987, In exercise of the powers conferred by sub Section (i) of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act of 37 of 1970) the State Government after consultation with the State Advisory Contract Labour Board hereby prohibits employment of contract labour in the operation in the schedule annexed here to in Textile Industry in Haryana."

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो वह बताएं ऐसे पढ़ने से क्या होता है, एक्ट तो है। कहीं कोई शिकायत है तो आप उसके बारे में बताएं।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसे सरकार ने प्रोहिबिट किया है। नीरज शर्मा ने प्रोहिबिट नहीं किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप उसके बारे में बताएं कि एक शिकायत है। ये बोर्ड के नोटिफिकेशन तो सभी ने पढ़े हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, किसी एक की शिकायत नहीं है। सारी फैक्ट्रियों की शिकायत है, ये जिम्मेदारी सरकार की है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अगर कहीं कोई वॉयलेशन हो रही है तो वह सरकार के ध्यान में लाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक्ट उठाया है वह एक्ट वर्ष, 1987 का है और उसके बाद एक्ट में कई अमैंडमैंटस आ गई और जो बोर्ड था उस बोर्ड को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अगर आपके पास कोई स्पैसिफिक कम्पलेट हैं तो वह दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

————————————

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उपकरण

***107. राव चिरंजीव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) कोविड प्रकोप के बाद सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए;

(ख) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा लिए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैडज, वेंटिलेटर्ज, आक्सीजन बैड्ज एंबूलैंस लिए गए?

Health Minister (Shri Anil Vij) : (a to c) Sir, the statement is laid on the Table of the House.

(a) Steps taken by the Government after covid outbreak:-

In view of spurt of Covid -19 cases reported in year 2020, various advisories and Guidelines by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India were further circulated to all concerned from time to time and proactive measures were taken to combat the Covid pandemic situation in the State: -

- In view of notification dated 11th March, 2020 issued by the State Government under the Epidemic Disease Act 1897 for COVID-

19, Rapid Response Teams were constituted at the level of state as well as districts for decision making andeffective management of COVID-19.

- Containment measures regarding pandemic were taken promptly along with strict implementation of Government orders regarding lock down, enforcementof COVID-19 appropriate
- behavior, testing, tracking & treating, COVID-19 vaccination of all groups in phased manner.
- Surveillance and Testing of international travelers was done as per guidelines of Government of India for active & prompt tracking as testing is the mainstay for early identification of COVID-19 cases.
- Simultaneously, for enhancing the testing capacity, 26 Government Molecular Labs were established and MoU was also signed with 26 Private labs.Moreover, these Government Molecular labs are also being used to test otherinfectious agents also like: Hepatitis, H1N1 etc. after COVID pandemic.
- **Total Labs- 52 Nos.** = (Government Labs- **26**) + (MoU with Private Labs- **26**)
- For strengthening the existing Health infrastructure, covid related equipments/items i.e., Ventilators, PSA Plants, Oxygen Concentrators, BI- PAP, High Flow Nasal Cannula, Oxygen Cylinders, ICU beds, Oxygen beds, isolation beds, Gas pipeline, Diesel Generator Set etc. were provided to the health facilities

and requisite training for operating the equipments was also imparted to users/paramedical staff for optimally utilization of equipments.

- Two 500 Bedded temporary hospitals were established at district Hisar and Panipat.
- COVID cases were managed at 3 levels of health facility: -

1. Mild cases were home isolated or isolated at COVID Care Centres.
2. Moderate cases were treated at designated COVID Health Centres which werecreated at district hospitals.
3. Severe cases were treated at designated COVID Hospitals in Government andPrivate Medical Colleges.

- **Capacity Building:** -Extensive capacity building of health workers at all levelas well as capacity building of 71,476 number of participants of multiple Departments like: Health Department, Education, Ayush, Panchayati Raj, Animal Husbandry etc. was done by the department.
- **Teleconsultation: -** To reduce patient load in hospitals during COVID, teleconsultation facility was provided to the patients.
- **Referral Transport: -** Robust transport referral system was established by Patient Transport Ambulances and Mobile Medical Units to transfer severe patients and provide mobile medical services at door step.
- **COVID-19 Vaccination**: Haryana Health Department

launched COVID-19vaccination program on dated 16th January 2021. Vaccination status as on 15th February 2023 is as under:

Cumulative Coverage of COVID-19 Vaccination - 1st Dose (Achieved 100% for 18yrs above population)	2,36,77,436 (100%)
Cumulative Coverage of COVID-19 Vaccination - 2nd Dose (Achieved 88% for 15yrs above population)	1,98,36,661 (88%)
Cumulative Coverage of COVID-19 Vaccination -Precaution Dose	19,91,823
Cumulative Coverage of Total COVID-19 Vaccination	4,55,05,920

- **Sero Survey**: Health Department, Haryana has conducted 3 rounds of Sero Survey:-

1. In the 1st round, Sero prevalence was found 8%.
2. In 2nd round, Sero prevalence was found 14.8%.
3. In the 3rd round, Sero prevalence was found to be 76.3% (Urban 78.1% & Rural75.1%).

- **Whole Genome Sequencing:-** In order to fully understand the spread and evolution of the SARS CoV-2 virus and to tackle its future spread, sequencing and analyzing the genomic data of SARS-CoV-2 is done.10 Sentinel Sites for Whole Genomic Sequencing for COVID variants are designated i.e.- BPS Khanpur Kalan Sonipat, Kalpana Chawla Medical College

Karnal, ESI Medical College Faridabad, MAMC Agroha, PGIMS Rohtak, RTPCR Lab Panchkula, Gurugram, Bhiwani, Sirsa and Yamuna Nagar. Timely clinical data and adequate number of RT-PCR positive samples for genomic sequencing are being provided by the districts to facilitate better analysis of the transmissibility and virulence of these variants. Whole Genomic Sequencing facility is made available at Next Generation Sequencing Lab, Rohtak.

- **Preparedness to deal with new strain found in few countries:-** In anticipation of rise in COVID19 cases, mock drills were conducted in all the districts on 27th December, 2022 for assessment of preparedness and readinessof health facilities.

(b) The details of equipments taken by the Government for the improvementof health services:-

Table-I

Sr. No.	Name of Equipment	Through Government Budget	CSR/Donation/PM CARES etc.	Total Numbers
1.	Pressure Swing Adsorption Plant (PSA)	-	75	75
2.	Non-contact Thermometer	10,000	-	10,000
3.	Oxygen Concentrator	-	6,143	6,143
4.	Oxygen Cylinder B Type	2,886	3,143	6,029
5.	Oxygen Cylinder D Type	912	2,908	3,820

6.	BIPAP Machine	284	321	605
7.	Pulse Oximeter Desktop	440	-	440
8.	Pulse Oximeter Finger Tip	-	5,346	5,346
9.	Syringe Infusion Pump	204	25	229
10.	ICU Bed	167	84	251
11.	Multi Para Monitor	71	116	187
12.	Defibrillator AED	27	-	27
13.	Deep Freezer -40 Degree	28	1	29
14.	Deep Freezer -80 Degree	29	1	30
15.	High Flow Nasal Cannula	22	44	66
16.	Real Time PCR Machine	19	5	24
17.	ECG Machine	11	13	24
18.	Fully Automated Nucleic Acid Extraction System	10	10	20
19.	ABG Machine	8	4	12
20.	Biosafety Cabinet ECRP-II	8	2	10
21.	Ventilator	6	755	761
22.	Ventilator Accessories	5	-	5
23.	Air Disinfection Machine	2	-	2
24.	Bi Phasic Defibrillator	1	-	1

25.	Digital Flat Panel Detector System	1	-	1
26.	Portable Ultrasound Machine	2	-	2
27.	Steam Disinfection Machine	2	-	2
28.	Vertical Autoclave	2	-	2
29.	5 Parts Cell Counter	-	3	3
30.	3 Parts Cell Counter	-	6	6
31.	Semi-Automatic Analyzer	-	3	3
32.	Transport Ventilator (Ambulances)	-	130	130

(C) The number of additional beds, ventilators, oxygen beds, ambulancestaken by the Government:-

Table-II		
Sr. No.	**Name of Equipment/items**	**Total Number**
1.	Additional Beds	3,669
2.	Ventilators	Already reproduced in Table-I atsr. no. 21
3.	Oxygen Beds	3,248
4.	Ambulances	200

राव चिरंजीवः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसका जवाब हैल्थ मिनिस्टर को देना चाहिए था। मेरा क्वैश्चन कोरोना से संबंधित था। सदन में हैल्थ मिनिस्टर नहीं हैं। हैल्थ मिनिस्टर एक अच्छे मिनिस्टर हैं लेकिन उनकी हैल्थ पिछले दिनों से खराब है। इसलिए सरकार उनके साथ एक अल्टरनेट हैल्थ मिनिस्टर लगा दे, क्योंकि अभी 7 दिन हाऊस चला है और 7 दिन उनका यहां न होना ये दर्शाता है कि सरकार हैल्थ के लिए कितनी सजग है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बीमार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप बीमार हो जाने पर एक सप्ताह के लिए कोई दूसरा मंत्री थोड़ी लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल है कि National Health Policy वर्ष 2017 में आई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2020 तक बजट का मिनिमम 8 प्रतिशत हिस्सा हैल्थ पर लगाए और अभी हैल्थ का जो बजट पेश हुआ है उसमें सिर्फ 5.2 प्रतिशत खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया था उसमें ये कहा था कि हमारे जितने भी मैडिकल कॉलेज हैं उनमें 50 प्रतिशत डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हैल्थ के प्रति सरकार कितनी सजग है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इन पदों को भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा सरकार को रेवाड़ी के अन्दर एम्स बनाना था वह अभी तक वहां नहीं बन पाया है।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, ये एम्स का मामला ही नहीं है। आप कोविड की बात कर रहे हैं। इसमें एम्स की बात कहां से आ गई।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, यह हैल्थ का मामला है। मैंने हैल्थ के ऊपर क्वैश्चन लगाया है। क्या एम्स हैल्थ के बाहर है ?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप क्वैश्चन के ऊपर स्पैसिफिक रहिये। आपने क्वैश्चन कोविड के बारे में पूछा है और कहां आप एम्स के ऊपर चले गए।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, कोविड के बाद स्टेट में हैल्थ फैसिलिटीज क्या इम्प्रूव हुई हैं मैंने उसके बारे में पूछा है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि– (क) कोविड प्रकोप के बाद सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये ? अगर माननीय सदस्य ने पढ़ा हो तो सरकार द्वारा उठाये गये सारे कदम आंसर के अन्दर 10–12 प्वाइंट्स में लिखे हुए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, इसी प्रकार माननीय सदस्य का प्रश्न था कि– (ख) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा लिए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है ? इन उपकरणों के बारे में सारी डिटेल आंसर में दी गई है।(विघ्न)

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, मैंने क्वैश्चन पूछा था कि क्या हैल्थ फैसिलिटीज के अन्दर कोविड के बाद सुधार हुए हैं ?

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, इसी प्रकार माननीय सदस्य ने पूछा था कि– (ग) सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैड्ज, वेंटिलेटर्ज, ऑक्सीजन बैड्स, एंबूलैंस लिए गए?

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री से क्वैश्चन पूछा था कि क्या हैल्थ फैसिलिटीज के अन्दर कोविड के बाद सुधार हुए हैं ?

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कोविड के बारे में पूछा है और मैं माननीय सदस्य को कोविड के बारे में आंकड़ा दे रहा हूं।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री से सप्लीमैंट्री में पूछा है कि स्टेट के अन्दर क्या हैल्थ सर्विसिज इम्प्रूव हुई है ?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने जो पूछा है उसमें यह है कि– "the number of additional beds, ventilators, oxygen beds, ambulances taken by the Government?" आपको इसका जवाब दिया हुआ है। आपको इससे अलावा और क्या चाहिए?

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, मैंने पूछा है कि क्या हैल्थ सर्विसिज इम्प्रूव हुई हैं ?

श्री अध्यक्षः राव जी, बैड्ज, वेंटिलेटर्ज, ऑक्सीजन बैड्स हॉस्पिल्ज ये सब हैल्थ सर्विसिज के लिए ही हैं।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, स्टेट के अन्दर जो हॉस्पिटल्ज हैं उनके अन्दर इम्प्रूवमैंट होगी तभी तो ये होगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, ये बैड्ज, किसी हॉस्पिटल में ही लगे होंगे ये कहीं हॉस्पिटल्ज से बाहर तो नहीं लगे होंगे।

राव चिरंजीवः अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा था कि फरुखनगर के अन्दर एक 50 बैड्ज का हॉस्पिटल बनेगा लेकिन यह हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है। इसके अलावा गुरुग्राम के अन्दर खेड़की माजरा में मैडिकल कॉलेज बनाने के बारे में कहा था वह अब तक नहीं बन पाया है।

———————————

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री रामचन्द्र कम्बोज, हरियाणा विधान सभा, के भूतपूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका स्वागत करता है।

———————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

तरांकित प्रश्न संख्या–108

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा सदन में उपस्थित नहीं थे)

———————

पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती के लिए परीक्षा

109. श्री भारत भूषण बतरा : क्या पशु पालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या–41/2022 के अनुसार सरकार द्वारा विज्ञापित किए गए पदों की संख्या कितनी है;

(ख) पशु शल्य चिकित्सक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) पशु शल्य चिकित्सक परीक्षा की उत्तर कुंजी में अनेक गलत उत्तर होने के बावजूद उपरोक्त परीक्षा को निरस्त न किए जाने के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : श्रीमान् जी,

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.12.2022 को कुल 383 पशुचिकित्सकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

(ख) माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 की याचिका संख्या 2710 में दिनांक 09.02.2023 को अंतरिम आदेश द्वारा सुनवाई की आगामी तिथि 13.03.2023 तक परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, दिनांक 13.03.2023 को केस की सुनवाई न होने पर सुनवाई की आगामी तिथि 18.10.2023 निश्चित की गई है।

(ग) वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ आरोपों की पूछताछ/जांच हेतु मामला दिनांक 03.03.2023 को महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा को भी भेजा गया है, जिसकी जांच अभी प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरा यह कहना है कि इस मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2710/2023 में 09.02.2023 को अंतिम आदेश द्वारा सुनवाई की गई। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे Rules of Procedure and Conduct of Business in

the Haryana Legislative Assembly के रूल नम्बर 46 (10) में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मुद्दा किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। अध्यक्ष जी, यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इसकी चर्चा यहां पर नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो सम्बंधित डिपार्टमैंट की तरफ से जवाब आया है वह लेट आया है अगर वह जवाब पहले आ जाता तो हम इस क्वैश्चन को लिस्ट में नहीं डालते क्योंकि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, it has never been the intention of the Constitution. इस बारे में मेरा यह कहना है कि यह बात आपने अपने आप बना दी है। आपकी Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly की किताब के रूल्ज में कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैटर सब–ज्युडिश हो तो यहां पर डिस्कस नहीं हो सकता। कांस्टीच्युशन के अंदर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई मैटर सब–ज्युडिश है तो उसके ऊपर यहां सदन में चर्चा नहीं हो सकती। आप कॉल एण्ड शकधर की बुक की बात को छोड़ दें, with a particular instance के साथ उन्होंने लिख दिया होगा परन्तु यह मुद्दे की बात है। It is the question of the carrier of the students. मैं सब–ज्युडिश मामले में नहीं पड़ूंगा लेकिन अगर आप इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं तो आप मुझे सबमिट जरूर करने दें। Article 121 of the Constitution says :-

> "121. Restriction on discussion in Parliament.—No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties……"

That's all. इतना ही होता है कि आप कोई भी आक्षेप किसी भी जज के ऊपर पार्लियामैंट या इस सदन के अंदर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो विभिन्न कोर्ट्स में जाते हैं। दुनिया भर के स्कैम हैं। क्या उन पर पार्लियामैंट में चर्चा नहीं हुई? क्या कोल स्कैम कोर्ट में पैंडिंग होने के बाद उसके ऊपर पार्लियामैंट में चर्चा नहीं हुई? अगर कोई सूट फाईल हो गया या कोई रिट फाईल हो गई तो you say that it is sub-judice, it is not correct. स्पीकर सर, यह एक बड़ा ही सीरियस मामला है इसलिए इसका रिप्लाई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही आना चाहिए था।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, हमारे Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नम्बर 46 (10) में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मुद्दा किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। यह मामला सब–ज्युडिश होने के कारण इस पर यह पर चर्चा हो सकती है या नहीं पहले इसका फैसला किया जाये और उसके बाद ही बतरा जी के सवालों का जवाब हम देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नम्बर 46 (10) में लिखा है कि –

"It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by a court of law having Jurisdiction in any part of India;"

ठीक है, यह हो गया लेकिन मेरा यह कहना है कि 100 मे से 25 सवाल गलत हैं जिसे कमीशन ने मान लिया और मंत्री जी इस मामले के सब–ज्युडिश होने की बात करते हैं।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले यह तय कर लिया जाये कि यहां विधान सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है या नहीं पहले इस बात का फैसला कर लिया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं इनफर्मेशन किस केस की मांग रहा हूं? This rule is not applicable here. It says that it shall not ask for information of any matter which is under adjudication by the court of law. मगर मैं इनफर्मेशन किस केस की मांग रहा हूं? इनफर्मेशन कमीशन से मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो मामला हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है आप उसी की इनफर्मेशन मांग रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, आप डॉ. संजीव बालयान का ब्यान पढ़कर देख लें कि उन्होंने क्या कहा है और कमीशन की वर्किंग के ऊपर उन्होंने एस्पर्शंज जारी किये हैं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं वह उनका निजी मामला है।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, अगर एक पेपर के अंदर 25 क्वैश्चन गलत होंगे तो उन स्टूडैंट्स का क्या फेट होगा। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मेरा तो यही कहना है कि जब कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उसके ऊपर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती। यह हमारे सम्बंधित रूल्ज में लिखा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो आपने कहा कि डिस्कस हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के रूल नम्बर 46 (10) पढ़िए। इसमें यह लिखा है कि –

> "It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by a court of law having Jurisdiction in any part of India;"

बतरा जी, आप समझे नहीं। मंत्री जी ने यही कहा है कि हाई कोर्ट के अंदर केस सेम सब्जैक्ट पर पैंडिंग है। (विघ्न) मेरे हिसाब से इस केस को यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैं इसका सीधा–सीधा उत्तर देता हूं। हाई कोर्ट में दिनांक 09.02.2023 को यह केस लगा था। उस समय हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस केस की अगली डेट तक एक एफीडैविट एच.पी.एस.सी. देगा इसलिए इस मामले में एच.पी.एस.सी. ने हाई कोर्ट में एफीडैविट देना है। एच.पी.एस.सी. एक इंडीपैंडैंट बॉडी है। एच.पी.एस.सी. द्वारा जो भी एफीडैविट हाई कोर्ट में दिया जायेगा वह अपने नियमों के हिसाब से दिया जायेगा और नियमों में पहले भी यह हमेशा होता रहा है कि जब कोई क्वैश्चंज गलत आते हैं तो यह एच.पी.एस.सी. की जिम्मेदारी नहीं होती है। जो क्वैश्चन बनाने वाला सैंटर होता है उसमें बाहर के आदमी होते हैं। उनके अपने रूल्ज हैं। उन रूल्ज के हिसाब से अगर कुछ क्वैशचंज होते हैं तो उनकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनके नियमों के अनुसार होता है। वो काम नियम के अनुसार किया गया या नहीं किया गया वह उन्होंने हाई कोर्ट को बताना है। हाई कोर्ट इसमें फाईनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है। उनको नौकरी देनी है या नहीं देनी है। मार्क्स कम हैं या ज्यादा हैं उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते इसलिए एच.पी.एस.सी. की तरफ से जो भी ऐफीडैविट हाई कोर्ट में जायेगा वही एच.पी.एस.सी. का आंसर होगा। उसी हिसाब से जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वह मान्य होगा।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, इन स्टूडैंट्स के फेट के साथ सरकार क्या डिसाईड करेगी?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इसके बारे में एच.पी.एस.सी. को कोर्ट को बताना है उसके बाद कोर्ट ही निर्णय करेगा कि एच.पी.एस.सी. का निर्णय ठीक है या गलत है। हम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, यह मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है इसलिए कोर्ट के अंदर सारी चीजें आ जायेंगी।

————

लंबित नलकूप कनैक्शनों की संख्या

***110. श्री वरूण चौधरी :** क्या उर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में 31.12.2018 से पहले आवेदन किए गए लंबित नलकूप कनैक्शनों की संख्या कितनी है तथा 31.12.2018 के बाद से अब तक आवेदन किए गए नलकूप कनेक्शनों की संख्या कितनी है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान् जी, राज्य में 31.12.2018 से पहले आवेदित 79647 नलकूप कनैक्शनों में से दिनांक15.03.2023 तक 4722 नलकूप कनैक्शन लंबित हैं।

श्रीमान् जी, राज्य में 31.12.2018 के बाद तथा 15.03.2023 तक 75706 नए नलकूप कनैक्शन आवेदन किए गए हैं।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 15 मार्च, 2023 तक 80428 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह बहुत अधिक संख्या है। बहुत से सालों से ये ट्यूबवैल कनैक्शंज लम्बित हैं। मेरा यह भी प्रश्न है कि यह मामला Right to Service के तहत भी नहीं आता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि Right to Service में इन कनैक्शंज को क्यों नहीं लाया जाता जबकि बाकी तरह के जो बिजली के कनैक्शंज हैं वे Right to Service के अंतर्गत आते हैं तो किसान का बिजली का कनैक्शन भी Right to Service के अंदर आना चाहिए। बिना पानी के और बिना ट्यूबवैल के कनैक्शन के किसानों की आय दुगुनी होने वाली नहीं है। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि पूरे प्रदेश में पोल्ज और तारें लगाने के लिए एक ही कम्पनी को ठेका दे रखा है जोकि निर्धारित समय में काम नहीं कर पा रही है जिसके कारण ये इतने सारे ट्यूबवैल कनैक्शंज लंबित पड़े हैं। वर्ष 2014 से लेकर आज वर्ष 2023 तक 80428 कनैक्शंज लंबित हैं। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि एक ही कम्पनी को यह ठेका क्यों दिया हुआ है? सर, खेत थोड़े से समय के लिए खाली होता है। उसी समय में खम्बे लगाए जाते हैं, उसी समय में तारें लगाई जाती हैं। अब क्योंकि एक ही कम्पनी है तो वह काम कर ही नहीं पा रही है। इसमें हरियाणा प्रदेश के किसान का क्या कसूर है कि उसको समय से ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उतने ट्यूबवैल कनैक्शन पैंडिंग नहीं हैं। जो ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग थे वे लगभग सारे दे दिये गये हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि टोटल लगभग 76000 ट्यूबवैल कनैक्शंज थे जिनमें से अभी 4722 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं। इसमें अगर प्रतिशत्ता के हिसाब से देखें तो केवल साढ़े पांच प्रतिशत बनते हैं और साढ़े पांच प्रतिशत ट्यूबवैल कनैक्शंज न लगने का जो कारण था वह यह था कि कई जगह तो लोगों ने मैटीरियल की लागत की राशि जमा नहीं करवाई थी। कई जगह पोल लगाने के मामले में आपस में झगड़ा था, कई जगह फसल खड़ी थी तो किसान ने कहा कि मेरी फसल कट लेने दें उसके बाद कनैक्शन कर देना और कई जगह रास्ते नहीं मिल रहे थे। इस तरह से साढ़े पांच प्रतिशत ट्यूबवैल कनैक्शंज ऐसे हैं जो पैंडिंग हैं। इसमें माननीय सदस्य की इंफर्मेशन गलत है। अभी जो ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं उनको हम 30 अप्रैल तक कम्पलीट कर देंगे।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी इंफर्मेशन गलत है। आप मंत्री जी का रिप्लाई पढ़ लें। इन्होंने ही कहा है कि 80428 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं।(विघ्न) सर, मैं आपको बता रहा हूं कि रिप्लाई में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो 31.12.2018 से पहले जो ट्यूबवैल कनैक्शंज अप्लाई किये थे उनमें से 4722 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं और जो ट्यूबवैल कनैक्शंज 31.12.2018 से 15.03.2023 तक अप्लाई किये गये थे वे 75706 हैं। जब 75706 को 4722 के साथ जोड़ा जाएगा तब 80428 आएगा। सर, इसमें मैं कहां गलत हूं। यह जवाब तो मंत्री जी ही दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जो ट्यूबवैल कनैक्शंज पहले देने शुरू किये हैं वे उनको दिये हैं जिनके वर्ष 2018 तक पैसे जमा हो गये थे। 31.12.2018 से 15.03.2023 तक के तो अभी पैसे ही जमा नहीं हुए हैं। इन्होंने तो अभी ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए अप्लाई किया है। वर्ष 2018 के बाद जिन्होंने ट्यूबवैल कनैक्शंज अप्लाई किया है वे वर्ष 2019, 2020 और वर्ष 2021 के हैं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वे 61000 ट्यूबवैल कनैक्शंज अलग हैं और ये ट्यूबवैल कनैक्शंज 4722 के अलावा हैं। जैसे ही हम पहले वाले ट्यूबवैल कनैक्शंज को अप्रैल महीने में कर देंगे उसके बाद इनको टेक अप करना शुरू करेंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 10 हॉर्सपावर के ट्यूबवैल कनैक्शंज तो हम सोलर पर दे रहे हैं ताकि किसान को रात में खेत में पानी लगाने के लिए न जाना पड़े। वे दिन में ही पानी लगा लें क्योंकि वे 10 हॉर्सपावर के

ट्यूबवैल कनैक्शंज तो जब सोलर प्लेट लगेंगी साथ ही साथ तभी चालू हो जाएंगे। जो माननीय सदस्य बता रहे हैं वे 30000 ट्यूबवैल कनैक्शंज हैं। बाकी जो ट्यूबवैल कनैक्शंज हैं वे अगले तीन महीने में करेंगे। आगे हम यह भी कोशिश करेंगे कि काउंटर पर ही पैसा लें और उसी समय हमारा जे.ई. या एस.डी.ओ. जा कर मौके पर देखे और कनैक्शन एप्रूव कर दें।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी गलत कहां है? मंत्री जी ने जानकारी दी और मैंने उसको पढ़ दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि जानकारी गलत है।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वह मैं बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि 31.12.2018 से अब तक कितने ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए आवेदन किये गये और उनमें से कितने दे दिये गये और कितने पैंडिंग रह रहे हैं। मैं उसके जवाब में बता रहा हूं कि 31.12.2018 से पहले अपेक्षित 79647 ट्यूबवैल कनैक्शंज थे जिनमें से 4722 ट्यूबवैल कनैक्शंज लंबित हैं। इसके बाद श्रीमान जी, राज्य में 31.12.2018 से 15.03.2023 तक लगभग 75000 ट्यूबवैल कनैक्शंज हैं जो नये वाले ट्यूबवैल कनैक्शंज हैं जिन्होंने बाद में अप्लाई किया है।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये सभी ट्यूबवैल कनैक्शंज वर्ष 2018 से 2022 तक के हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कब तक हो जाएंगे?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के तो 4722 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 31.12.2018 के बाद कितने ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 75706 ट्यूबवैल कनैक्शंज पैंडिंग हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरवीन कर रहा हूं मुझे दो बातें स्पष्ट करनी हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि इसको राईट टू सर्विस में क्यों नहीं डाला जाता है। राईट टू सर्विस में तब डाला जाता है जब कोई सर्विस ऐसी हो जिस सर्विस में सरकार को और कुछ सोचना ना पड़ता हो या कोई और विशेष कारण न हो जिसके कारण से उस सर्विस को टाला जा सके या उस सर्विस को रोका जा सके। ट्यूबवैल लगाने के लिए जो ट्यूबवैल कनैक्शंज अप्लाई किये जाते हैं। इसमें दो फैक्टर्ज ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करने लायक हैं। उसमें एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अन्दर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए अप्लाई करे और वह जितना मर्जी चाहे पानी निकाल ले।

मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राईडर लगाया है कि जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया अर्थात नीचे चला गया है। वहां किसान माईक्रो इरीगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवैल कनैक्शन मिलेगा और 50 हॉर्सपावर से ऊपर ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं मिलेगा। 10 हॉर्स पावर तक का बिजली का कनैक्शन सोलर से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें पहली रिस्ट्रिक्शन तो यह देखनी है कि वहां पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं। हमें वॉटर अथॉरिटी की गाइडलाइंज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि टयूबवैल्ज कनैक्शन जारी करने हैं या नहीं करने हैं। दूसरी बात जो बहुत बड़ा फैक्टर स्टेट के बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है, वह यह है कि एक ट्यूबवैल कनैक्शन पर साल में ऑन एवरेज एक लाख रुपये सब्सिडी के तौर पर जाते हैं। जो अभी तक लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी है। अध्यक्ष महोदय, बजट में जितना प्रोविज़न होता हैं उतने ही कनैक्शन खोले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि वर्ष 2018 तक जिन्होंने इस संबंध में एप्लाई कर रखे थे उसमें 4400 कनैक्शन बाकी हैं, केवल उनके लिये कहा गया है कि वो कनैक्शन तुरंत दे देंगे। वर्ष 2023–24 में जो उससे अगले टयूबवैल्ज कनैक्शंज हैं उनके डिमाण्ड नोट इन कंडीशन को पूरा करेंगे, उनके अगले साल में डिमाण्ड नोट जारी कर दिये जायेंगे। डिमाण्ड नोट जारी करने का मतलब यह होता है जैसे–जैसे हमारे पास पानी की और सब्सिडी देने की अवेलेबिलिटी होगी उसी हिसाब से डिमाण्ड नोट जारी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो 4400 पैंडिंग कनैक्शंज हैं वे तुरंत जारी कर दिये जायेंगे।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि डार्क जोन के अंदर कोका कोला की कंपनी लगी हुई है, जो 24 घंटे 365 दिन लाखों लीटर पानी हर रोज निकाल रही है। उसी डार्क जोन के अंदर फ्रूटी की फैक्टरी लगी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को तो पानी नहीं मिलेगा लेकिन इन कंपनियों को पानी जरूर मिलेगा। यह कहां तक औचित्य है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में डार्क जोन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कम से कम किसानों को तो पानी दे दो।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, किसानों के जो पहले ट्यूबवैल्ज चल रहे हैं वे विधिवत चल रहे हैं। यहां तो नये ट्यूबवैल्ज लगाने की बात हो रही है। नये ट्यूबवैल्ज कनैक्शन देने में जो आज रिस्ट्रक्शन हैं उनको पूरा करने के बाद ही नये कनैक्शन दिये जायेंगे। किसी को भी तुरंत कनैक्शन देना संभव नहीं है। आज हरियाणा में लगभग 6 लाख ट्यूबवैल्ज कनैक्शन हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 6 लाख ट्यूबवैल्ज कनैक्शन में जो नहरी एरिया है, हम उस सारे को कैलकुलेट करें तो 5 एकड़ जमीन पर लगभग एक ट्यूबवैल का यूज होता है। एक ट्यूबवैल का और भी ज्यादा उपयोग किया जा सकता है लेकिन हमारी जो होल्डिंग है वह छोटी हो गई है और छोटी होने के बाद भी आज हर कोई किसान ट्यूबवैल का अपना कनैक्शन चाहता है। अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस इस बारे में एक प्रस्ताव पास कर दे कि नये कनैक्शन पर सब्सिडी का बोझ खत्म हो तो हम पैंडिंग कनैक्शन को प्रायोरिटी के तौर दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में किसानों के बहुत सालों से पैसे लंबित पड़े रहते हैं लेकिन उनका कनैक्शन नहीं दिया जाता। किसानों ने जो 2.50 लाख रुपये एक ट्यूबवैल कनैक्शन की सिक्योरिटी के रूप में जमा कर रखें हैं और वे इतने लम्बे समय से पड़े हैं तो अब किसान बाकी पैसे का कहां से भुगतान करेगा?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि.....।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, यदि एक प्रश्न पर इतना समय लगेगा तो बाकी प्रश्नों का क्या होगा?

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रश्न काल में डिबेट नहीं होती।

————————

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज श्री बहादुर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

————————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन करना

***111. श्री राकेश दौलताबाद :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Yes Sir, proposal of amendment is under consideration.

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने 'proposal of amendment is under consideration' उत्तर दिया है, इसके लिये मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह एक वैलकम स्टैप है। अध्यक्ष महोदय, जैसे सभी को पता है कि जहां–जहां शहर हैं वहां आर.डब्ल्यू.ए. का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि आर.डब्ल्यू.एज. माइक्रो लैवल पर काम कर पाती है। एक विधायक के पास और एक सांसद के पास बड़ा इलाका होता है। यह ठीक है कि आर.डब्ल्यू.ए. माइक्रो लैवल पर काम कर रही होती है लेकिन लंबे समय से आर.डब्ल्यू.ए. की खामियों के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मैंने वर्ष 2020 से गुरूग्राम और फरीदाबाद के अंदर सैंकड़ों आर.डब्ल्यू.एज. के साथ बैठकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अमैंडमैंट तैयार की गई हैं और वह टीम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर भी गई थी। मेरा इसमें पहला प्रश्न यह है कि एच.आर.आर.एस. अमैंडमैंट जो बिल है उसको लाने के लिये टाइम लाइन क्या होती है? अभी तक इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं? मेरा दूसरा प्रश्न इस अमैंडमैंट बिल की ड्राफ्टिंग को लेकर है। अमैंडमैंट बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में पब्लिक की ओर से कम से कम एक सदस्य शामिल किया जाये ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे और जनता का कोई प्वायंट ना छूटे। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह अमैंडमैंट बिल नहीं आता तब तक मैं इस संबंध में स्पैशल कमेटी बनाने की भी इस महान सदन से रिक्वैस्ट करता हूँ जो आर.डब्ल्यू.एज. के सालों से उलझे हुए मामलों को युद्धस्तर पर सुलझाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हरियाणा सोसायटीज एक्ट वर्ष 2012 में अमैंडमैंट हुआ था, उसके बारे में बात की है। उसके बाद इस बिल में कई ऐसी रिस्ट्रक्शन लगा दी थी कि जिससे केवल मात्र आर.डब्ल्यू.ए. ही नहीं, सबसे ज्यादा एजुकेशन सोसायटीज को आज उसका भुगतान करना पड़ रहा है। अधिकतर

ऐसी ऐतिहासिक सोसायटीज हैं जिनमें चुनाव लंबित पड़े हैं। हमने उन सारी दिक्कतों को समझते हुए अमैंडमैंट परपोज्ड कर दी है, जैसे modernisation के साथ–साथ आर.डब्ल्यू.ए. में चुनाव नहीं होते हैं। समयानुसार रिकॉर्ड मैंटीनैंस नहीं होती तब सरकार उसका digitalized लॉकर बनायेगी। हर सोसायटी का डाटा इयरली वहां पर अपलोड होगा, जिससे digitalization के लाभ से वोट की ऑथन्टिसिटी रेगुलर मैंटेंड रहे। आने वाले भविष्य के अंदर हम ई–वोटिंग को भी इसके अंदर अपनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ माननीय सदस्य ने इसके अंदर कोरम की बात कही है, मैजोरिटी आर.डब्ल्यू.ए. में यह दिक्कत आती है कि जब एजेंडा पास कराने के लिये चुनाव या मीटिंग होती है वहां कोरम को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। उसको भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, मिनिमम कोरम किया जा सकता है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मिनिमम कोरम के साथ–साथ वोटिंग के लिये भी मिनिमम कोरम की अवेलेबिलिटी रहे, इस सब प्रावधानों पर अमैंडमैंट आलरेडी हमने लीगल ओपनियन के लिये भेज दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सत्र तक इस बिल में अमैंडमैंट लेकर सदन में आयेंगे जिससे जो अर्बन एरियाज में दिक्कते हैं वे न रहे। मैं सदन में यह भी कहता हूँ कि अर्बनाइज्ड एरियाज में जहां आर.डब्ल्यू.ए. इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिससे जी.एम.,डी.आई.सी. को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक जी.एम. के पास चार–चार या पांच–पांच डिस्ट्रिक्ज का चार्ज है। उस बिल के अंदर हम प्रपोज़ल पुटअप करेंगे कि वहां पर जो हमारे यंग आई.ए.एस. और एच.सी.एस. ऑफिसर्ज हैं, एटलीस्ट गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में उनको जी. एम., डी.आई.सी. का चार्ज दिया जाये, जिससे और पारदर्शिता तरीके से काम हो।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस बिल के संबंध में कहा है कि अमैंडमैंट परपोज्ड ऑलरेडी कर दी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो इसमें वर्किंग की हुई थी उसका एक मैम्बर इसके अंदर हो जाये।

श्री अध्यक्षः मेरा भी यह कहना है कि जो स्टेक होल्डर आर.डब्ल्यू.ए. के मैम्बर्ज हैं, इसमें कोई न कोई एक प्राइवेट मैम्बर जरूर होना चाहिये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्राईवेट मैम्बर बिल का ड्राफ्ट दिया था उसको कंसीडर करते हुए सरकार ने प्रपोज़ल दे दी है। अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मैम्बर को कमेटी में डालना आज के दिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि

अमैंडमैंट ऑलरेडी लीगल ओपनियन के लिए प्रपोज़ होकर जा चुकी है।

————————————

पुल का निर्माण कार्य

***112. श्री प्रदीप चौधरी :**क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि जिला पंचकूला में गांव रत्तेवाली के पास 4,91,00,000/–रूपये की लागत से पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, परन्तु उक्त पुल का निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है; यदि हां, तो विलंब के कारण क्या हैं ?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। जिला पंचकूला में गांव रत्तेवाली के पास पुल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2021 को 491.41 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन कार्य आरंभ नहीं हो सका क्योंकि सलाहकार द्वारा डिजाइन/ड्राइंग में संशोधन के कारण कार्य की लागत 491.41 लाख रुपये की पहले से दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध बढ़कर 609.24 लाख रुपये हो गई है। इस कार्य के दिनांक 01.06.2023 तक शुरू होने की सम्भावना है।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले साल गुंथला में पुलिया बनाने की बात कही थी, वह आज तक नहीं बनी।

श्री अध्यक्षः प्रदीप चौधरी जी, इस तरह तो बहुत सारी पुलियां हैं जो नहीं बनी हैं। प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न पूछा है कृपा करके केवल उससे ही संबंधित रहे।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पंचकुला के गांव रत्तेवाली के पास पुल का निर्माण कार्य जून, 2023 में शुरू होने की सम्भावना है। यह कार्य 491.41 लाख रूपये का कार्य था, इसका कब टैंडर लगेगा और कब इसका निर्माण होगा? इसका कोई अता–पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सूरजपुर–सुखोमाजरी बाइपास का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह बाइपास वर्ष 2019 तक बनकर कम्पलीट हो जायेगा। वर्ष 2023 चल रहा है लेकिन वह काम आज तक कम्पलीट नहीं हुआ। इसी तरह से आर.यू.बी. पिंजौर के काम की भी यही हालत है।

————————————————————

@उपरोक्त प्रश्न का जवाब कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया।

श्री अध्यक्षः प्रदीप जी, आपने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है।

————————

पार्क के विकास कार्यों को आंरभ करना

113. श्री सुभाष सुधा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या कुरूक्षेत्र के सैक्टर–10 में पार्क के विकास अर्थात् पार्क का नवीनीकरण, मिट्टी भरने का कार्य, चारदीवारी, पानी की निकासी तथा बैठने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

@Urban Local Bodies Minister(Dr. Kamal Gupta) :

(a) Yes, Sir, Tenders for improvement of City Centre Park in Sector-10, Kurukshetra i.e., repair of boundary wall, grill of park area, supply and filling of good earth and all other works contingent thereto (with three years free maintenance and defect liability period, free of cost) amounting to Rs. 41.25 Lacs were invited thrice by Executive Engineer, HSVP, Division-Horticulture, Panchkula, however, no firm/contractor has participated in these tenders. Accordingly, the tenders have been re-invited and now scheduled to be opened on 24.03.2023.

(b) The said work is likely to be completed within three months from the date of start of work.

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए 80 लाख रुपये की ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई थी लेकिन टैण्डर केवल 41.25 लाख रुपये का लगाया गया । उसका टैण्डर तीन बार कैंसिल हो चुका है । टैण्डर में मिट्टी भरने के रेट इतने कम दिए हुए हैं कि कोई भी ठेकेदार उस टैण्डर को भरने के लिए तैयार नहीं होता है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि उस टैण्डर का रेट ठीक करके उसको ठीक प्रकार से लगाया जाए ।

कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि टैण्डर तीन बार मांगे गये थे कैंसिल नहीं हुए थे । टैण्डर भरने के लिए

————————————————————

@उपरोक्त प्रश्न का जवाब कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया।

कोई आया नहीं था । अब हम फिर से टैण्डर कॉल करेंगे । हमारा कोई एस्टीमेट नहीं है । यह तो टैण्डर देने वाले ठेकेदार की मर्जी है कि वह रियलिस्टिक रेट देगा । जो रेट होंगे उसके हिसाब से महकमा उस पर विचार करेगा । हम तीन महीने में फिर से टैण्डर कॉल करके काम को शुरू करवा देंगे ।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति टैण्डर भरने ही नहीं आएगा तो फिर काम कैसे हो जाएगा ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट का विधान सभा में तो फैसला नहीं हो सकता । अगर माननीय सदस्य सलाह दें तो हम उसी हिसाब से टैण्डर जारी कर देंगे ।

श्री सुभाष सुधा : ठीक है अध्यक्ष महोदय ।

———————————

चारमार्गी सड़क का निर्माण करना

114. श्री सीता राम यादव : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कनीना से कोसली तक चारमार्गी सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No Sir.

श्री सीता राम यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि कनीना से कोसली तक चारमार्गी सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन इस रोड के एक पैच में डी.एल.पी. है । जैसे ही इसकी डी.एल.पी. खत्म होगी वैसे ही इस पर जरूर विचार किया जाएगा कि क्या उसको वाइडनिंग की जरूरत है ।

———————————

के. एम. पी. सड़क की स्थिति

***115. श्री जयवीर सिंह (खरखोदा) :**

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कुण्डली–मानेसर–पलवल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग का कोई दर्जा दिया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No Sir.

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब 'न' में दिया है । के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे को कोई दर्जा ही नहीं दिया गया है कि यह नैशनल हाइवे है या स्टेट हाइवे है । दैनिक ट्रिब्यून ने 6 फरवरी को इस मुद्दे को उठाया भी था । सरकार इसकी कैसे रिपेयर करेगी और कैसे इसमें सुविधाएं देगी ? वर्ष 2018 में पी.एम. मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था । अब उसके हालात ऐसे हैं कि के.एम.पी. पर चढ़ने की सड़कों की हालत खराब है और के.एम.पी. पर जगह–जगह गड्ढ़े हैं । वहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई है । सरकार बता रही है कि रैस्ट एरिया के लिए टैण्डर भी कर दिए गए हैं । जब सरकार ने उसे कोई दर्जा ही नहीं दिया है तो मुझे बताया जाए कि वहां पर किस आधार पर काम होंगे ? माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय हमें बतायें कि वे उसे नैशनल हाइवे बना रहे हैं या स्टेट हाइवे बना रहे हैं ?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे एच.एस.आई.आई.डी.सी. का एक टोल रोड है । इसको हम मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड कह सकते हैं जो अलग–अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनैक्ट करती है । जहां तक बात के.जी.पी. एक्सप्रैस–वे की है तो उसके लिए जमीन एन.एच.ए.आई. ने एक्वायर की थी और एन.एच.ए.आई. ने उसे नैशनल हाइवे का दर्जा दिया है । के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के लिए जमीन की सारी ऐक्विजीशन एच.एस.आई.आई.डी.सी. और कॉरपोरेशंज द्वारा की गई थी, इसलिए इसे आज तक कॉरपोरेशंज रोड के तौर पर ट्रीट किया गया है । मगर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि इसको क्या दर्जा दिया जाएगा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसको स्टेट हाइवे एक्सप्रैस–वे का दर्जा दिया जाएगा । इस पर फाइल ऑलरेडी इन प्रव्यु है। उसको भी हम टेक अप करेंगे क्योंकि यह दिक्कत पीछे भी आई थी । ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर के लिए जमीन की जब एक्विजीशन हुई और जब उनको मुआवजा देने की बात आई तो नैशनल हाइवे के पास के पैचिज के लिए तो किसानों को नैशनल हाइवे की इक्विलैंसी में मुआवजा मिला लेकिन के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के ऐडज्वाइनिंग एरिया में किसानों को मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड की इक्विलैंसी में मुआवजा मिला । उसके बाद यह मामला मेरे संज्ञान में भी आया था और इसको हमने टेक अप किया था । हमने सी.एम. साहब से अप्रूवल ले ली कि हम इसको स्टेट हाइवे इक्विलैंस टू एक्सप्रैस–वे का जल्द दर्जा देंगे ।

श्री जयवीर सिंहः स्पीकर सर, जब के.जी.पी. नेशनल हाइवे है तो के.एम.पी. नेशनल हाइवे क्यों नहीं बन सकता ?

श्री अध्यक्षः जयवीर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि यह मामला एच. एस.आई.आई.डी.सी. का है।

————————

स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स का नवीनीकरण करना

***116. श्री असीम गोयल नन्न्योला :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि अम्बाला शहर, के सैक्टर–10, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां महोदय, राजीव गांधी खेल परिसर, अम्बाला शहर का नवीनीकरण करते हुए एक नया तैराकी तालाब लगभग 4.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने कल प्रश्न काल एक घंटे में ही समाप्त कर दिया था।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आज प्रश्न काल 11:02 बजे शुरू हुआ था। आज पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ था। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री असीम गोयलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर 12 एकड़ का लगभग ऐसा परिसर है जहां पर रोजाना सवेरे और सायं लगभग हजारों बच्चे स्पोर्ट्स के नाते से प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाओं के नाते अभी भारी कमियां हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया कि वहां पर स्विमिंग पूल बन रहा है। वहां पर स्विमिंग पूल का काम भी कुछ समय से रूका हुआ हैं। मैंने बार–बार सरकार के आगे निवेदन कर रखा है कि वहां पर एक हाकी का टर्फ बनवा दें क्योंकि वहां पर इसकी बहुत मांग है। शाहबाद में जो टर्फ बना हुआ है वह उतना प्रैशर नहीं झेल पा रहा है। हमारे शाहबाद की बच्चियां जिस प्रकार से भारतीय हाकी टीम में जगह बनाये हुए हैं, उनसे इन्सपायर होकर के अंबाला के बहुत से बच्चे भी हाकी के खेल

————————————

@ इस प्रश्न का जवाब विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) द्वारा दिया गया।

को प्रमुखता से खेल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उसी ग्राउंड पर एक सिंथैटिक ट्रैक की व्यवस्था हो। यह बिल्कुल फिजिबल है। वहां पर

जो जगह है, वह हाकी टर्फ के लिए और सिंथैटिक ट्रैक के लिए फिजिबल है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि इन दोनों विषयों के बारे में सोचा जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा सीढ़ियों के नाते बनायी गयी है, वहां पर जो वॉशरूम्ज हैं, पीने के पानी का प्रबन्ध हैं और दूसरे छोटे–मोटे गेम्ज के ऑप्शंज रखे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन पर जल्दी से संज्ञान लिया जाए।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1 करोड़ 44 लाख रुपये के टैंडर्ज मैनटीनैंस/रैनावेशन के लिए लग चुके हैं। इसमें जो–जो काम होने हैं, वे हो जाएंगे। इसमें माननीय सदस्य की कोई और डिमांड हो तो उसके बारे में भी दे दें, उसको भी इसमें इन्कल्यूड करवा देंगे।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————————

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत नौकरी प्रदान करना

***117. श्री अभय सिंह चौटाला :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और पूरे राज्य में रोजगार कार्यालय होने के बावजूद कौशल रोजगार निगम की स्थापना करने का क्या औचित्य है;

(ख) कौशल रोजगार निगम द्वारा अनुबंध प्रणाली के अनुसार भर्ती किए जा रहे उम्मीदवारों की पात्रता का आंकलन करने की विधि क्या है;

(ग) क्या कौशल रोजगार निगम द्वारा उम्मीदवारों के चयन से पहले समान अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) क्या कौशल रोजगार निगम द्वारा केवल अनुभव प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को ही नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यदि हां, तो क्या जिन के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान् जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटिड की स्थापना निजी एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध पर लगे श्रमशक्ति के शोषण को दूर करने के लिए व सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/ निगमों आदि व निजी क्षेत्र में अनुबंधित श्रमशक्ति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर अंत्योदय परिवारों के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने और श्रमशक्ति को समय पर मेहनताना और लाभों के भुगतान की सुविधा के उद्देश्य के साथ की गई है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास राज्य में नियमित पदों पर व्यक्तियों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। रोजगार कार्यालय, निजी क्षेत्र सहित रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं का पंजीकरण करते हैं।

(ख) एच.के.आर.एन.एल. विभिन्न संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर की गई requisitions के अनुसार संस्थाओं को श्रमशक्ति (manpower) प्रदान करता है। भर्तियों के दौरान, सरकार द्वारा तय की गई Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 का पालन किया जाता है जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। युवाओं की भर्तियां, सरकार द्वारा निर्धारित उपरोक्त नीति के अंतर्गत, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप तथा उच्च तकनीकी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा पूर्णतः पारदर्शी तरीके से की जाती है।

(ग) हां श्रीमान् जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्तियां Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 में उल्लिखित चयन मानदंडों के अनुसार की जाती है, जो हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) एच.के.आर.एन.एल. पोर्टल पर की गई requisitions के अनुसार मांग करने वाली संस्थाओं को श्रमशक्ति (manpower) प्रदान करता है। इसलिए अनुभवी और अनुभवहीन दोनों ही बोरोगार युवा, एच.के.आर.एन.एल. के माध्यम से, विभागों द्वारा श्रमशक्ति (manpower) मांग में उल्लिखत आवश्यकताओं के अनुसार एवं Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 में उल्लिखित चयन मानदंडों के आधार पर, रोजगार प्राप्त कर सकता है।

————————

विश्वविद्यालय खोलना

***118. श्री संजय सिंह :** क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि जिला नूंह में एक विश्वविद्यालय खोलना प्रस्तावित किया गया है; तथा

(ख) क्या तावडू में उपरोक्त विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके लिए तावडू के सैक्टर–7 तथा 8 में भूमि उपलब्ध है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) :

(क) जिला नूंह में एक विश्वविद्यालय को अधिसूचित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी, प्रश्न के इस भाग की प्रासंगिता नहीं है।

————————

चारमार्गी सड़क का निर्माण करना

***119. श्री आफताब अहमद :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या नूंह–अलवर बोर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग 248–ए को चारमार्गी के रूप में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; तथा

(ख) उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव की क्या योजना है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हां श्रीमान् जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(एम.ओ.आर.टी. एंड एच.), भारत सरकार ने 46.95 किमी. से 81.00 किमी. और 83.350 किमी. से 96.00 किमी. (नूंह से अलवर सीमा) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4–लेन करने के कार्य को वार्षिक योजना वितीय वर्ष 2022–23 में मंजूरी दी है।

सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है जिसके 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से डी.पी.आर. के अनुमोदन के बाद4–लेनिंग कार्य की निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ख) सड़क का रखरखाव नियमित पैचवर्क द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पैचवर्क और थर्मोप्लास्टिक पेंट के लिए 153.00 लाख रुपये का विस्तृत अनुमान अनुदानों के लिए 15.03.2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

————————

जुंडला को उप–तहसील घोषित करना

***120. श्री शमशेर सिंह गोगी :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या असंध विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव जुंडला का उप–तहसील के रूप में घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी, ऐसा कोई प्रसताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

————————————

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हिसार एयरपोर्ट पर खर्च की गई राशि

119. श्री वरूण चौधरी : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) हिसार एयरपोर्ट (हवाई अड्डे) के निर्माण तथा विकास पर कितना सार्वजनिक धन खर्च किया गया;

(ख) वायु मार्गों सहित संचालित हो रही या संचालित हुई अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) ऐसे कौन से वायु मार्ग कौन से हैं जिन पर उडान के लिए केन्द्र सरकार से अनुमतियां मांगी गई हैं ?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(अ) राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजटीय प्रावधानों के विरूद्ध विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा व्यय की गई राशि। हिसार हवाईअड्डे के विकास के लिए डिपॉजिट

के रूप में विभागों द्वारा फेज–1 व 2 के तहत वर्ष 2016 से जनवरी, 2023 तक 457.31 करोड़ रुपये का कार्य किया गया है।

विवरण यहाँ निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	कार्य	खपत (रुपये करोड़ में)
1	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	101.51
2	लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर)	211.21
3	सिंचाई विभाग (अब सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)	51.08
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.79
5	वन मंडल	4.12
6	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	13.34
7	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	75.26
	कुल राशि	**457.31**

(ब) एयर टैक्सी द्वारा घरेलू उड़ानें जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के बीच हिसार से आर०सी०एस०–उड़ान–4 के तहत निम्नलिखित मार्गों पर संचालित की गईं।

(i) हिसार–धर्मशाला–हिसार

(ii) हिसार–देहरादून–हिसार

(iii) हिसार–चंडीगढ़–हिसार

इस अवधि के दौरान संचालित उड़ानों की कुल संख्या 183 इन और 184 आउट। हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विस्तार के लिए कार्य प्रगति पर होने के कारण वर्तमान में कोई उड़ान नहीं चल रही है। हिसार से अभी तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है।

(स) हिसार हवाईअड्डे का काम पूरा होने के बाद भारत सरकार से मंजूरी मांगी जाएगी और उसी के अनुसार मार्ग तय किए जाएंगे। हालांकि, निम्नलिखित मार्गों पर विचार किया जा रहा है।

<u>प्रस्तावित ए०टी०एस० मार्ग</u>

i) हिसार–अंबाला–वाराणसी–अंबाला–हिसार,

ii) हिसार–आगरा–हिसार,

iii) हिसार–उदयपुर–जैसलमेर–उदयपुर–हिसार,

iv) हिसार–देहरादून–हिसार,

v) हिसार–हिंडन–हिसार,

vi) हिसार–अमृतसर–जम्मू–अमृतसर–हिसार,

vii) हिसार–भुंतर(कुल्लू)–हिसार,
viii) अंबाला–श्रीनगर–अंबाला।

————————

स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान समिति गठित करना

120. श्री वरूण चौधरी : क्या सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान समिति गठित न करने के क्या कारण हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, केवल स्वतंत्रता सेनानी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार केवल 6(छः) स्वतंत्रता सेनानी जीवित है और सभी की आयु 100 वर्ष के लगभग है। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है। इस कारण स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का गठन नहीं किया गया है।

————————

औद्योगिक क्षेत्रवार प्लाटों की संख्या

121. श्री वरूण चौधरी : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) राज्य में औद्योगिक क्षेत्रवार आबंटित नहीं किए गए प्लाटों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) राज्य में औद्योगिक क्षेत्रवार अर्जित की गई भूमि कितनी है जिसे 31 जनवरी, 2023 तक प्लाट के रूप में तैयार किया जाना है ?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्यागिक सम्पदाओं में कुल 4893 औद्योगिक प्लाट/शैड तथा 2699 दूसरे प्लाट अनाबंटित हैं। अनाबंटित प्लाटों के ब्यौरे इसके नीचे वर्णित हैः–

क्रम संख्या	जिला	औद्योगिक सम्पदा	अनाबंटित प्लाटों की संख्या	
			औद्योगिक प्लाट	या औद्योगिक प्लाटों से अन्य
1	अम्बाला	आई.ई. शहा	170	330
2	फरीदाबाद	आई.एम.टी.फरीदाबाद तथा आई.ई. फरीदाबाद	125	209
3	फतेहाबाद	आई.ई. टोहाना	4	0
4	गुरूग्राम	उद्योग विहार गुरूग्राम तथा सैक्टर–34–35 गुरूग्राम	148	1
		आई.एम.टी., मानेसर	113	221
5	झज्जर	आई.ई., बहादुरगढ़	6	113
6	जीन्द	आई.ई., नरवाना	67	84
7	करनाल	आई.ई. करनाल	192	172
8	महेन्द्रगढ़	आई.ई., नारनौल	5	43
9	नूंह	आई.ई., रोज–का–मेव	1	0
		आई.एम.टी., सोहना	709	20
10	पंचकूला	टी.पी. पंचकूला	6	2
		आई.ई.बरवाला	198	148
11	पानीपत	आई.ई. पानीपत	123	29
		पनीपत निर्यात काम्पलैक्स	0	1
12	रेवाड़ी	आई.एम.टी. बावल	117	181
		आई.ई. धारूहेड़ा	324	53
13	रोहतक	आई.एम.टी., रोहतक	607	115
		आई.ई. कुताना	50	0
14	सिरसा	आई.ई., सिरसा	26	3
15	सोनीपत	आई.ई. बरही	200	28
		आई.ई. राई	94	216
		आई.ई. कुण्डली	252	123
		आई.ई. मुरथल	11	0
		आई.ई. खरखौदा	1044	547
16	यमुनानगर	आई.ई, मानकपुर	301	60
		कुल	**4893**	**2699**

(ख) राज्य में अर्जित सभी औद्योगिक प्लाट पहले ही योजनाबद्ध किए गए हैं।

————————

सौर ऊर्जा पावर परियोजनाओं की संख्या

122. श्री वरूण चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि हरियाणा राज्य में गत् पांच वर्षों में मेगावाट स्केल पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जिलावार संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, हरियाणा राज्य में पिछले पांच वर्षों में स्थापित मेगावाट स्केल सौर ऊर्जा परियोजनाओं का जिलावार विवरण "अनुलग्नक-ए" पर संलग्न है।

अनुलग्नक-ए

हरियाणा में पिछले पांच वर्षों में स्थापित मेगावाट स्केल सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सूची:-

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्युत उत्पादक का नाम	क्षमता(मेगावाट)	स्थापना का वर्ष
1	भिवानी	मैसर्स जेबीएम सोलर (प्रा.) लिमिटेड, बरवा, जिला भिवानी,	20	2017-18
2	भिवानी	मेसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड, एशियन पेंट्स हाउस, 6ए, शांतिनगर, सांताक्रूज, मुंबई, महाराष्ट्र,(गाँवभेरा, भिवानी)	5	2019-20
3	भिवानी	मैसर्स गुडरिच कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड, ग्राम नगला, मेरठ रोड, करनाल- 132001 हरियाणा, रेज़ पावर एक्सपर्ट सोलर पार्क, गाँव रूपाना, सिवानी, जिला भिवानी	2.5	2019-20
4	भिवानी	मैसर्स ब्लोपैकेजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 55-डीसिडको इंडस्ट्रियल अंबात्तुर, चेन्नई रेजपावर एक्सपर्ट सोलर पार्क, गाँव रूपाना, सिवानी, जिला भिवानी	1.3	2019-20
5	भिवानी	मेसर्स डोरसेट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, एआईएचपी होराइजन, 445, पहली मंजिल, उद्योग विहार, फेज-5, सेक्टर-19, गुरुग्राम	**1**	**2019-20**

6	भिवानी	मैसर्स केआरबीएल लिमिटेड, 5वीं व 6वीं मंजिल, सी-32 सेक्टर-62 नोएडा-201301, रेज़पावर एक्सपर्ट सोलर पार्क, गाँव रूपाना, सिवानी, जिला भिवानी	2	2019-20
7	भिवानी	मैसर्स जीएस स्पिनिंग मिल्स, गंगबाद चौक, खोतपुरा रोड, पानीपत, हरियाणा, रेज़पावर एक्सपर्ट सोलर पार्क, गाँवरूपाना, सिवानी, जिलाभिवानी	1	2019-20
8	भिवानी	मैसर्स गर्ग स्पिनिंग मिल्स, शिवनगर किशनपुरा, पानीपत, हरियाणा,रेज़पावर एक्सपर्ट सोलर पार्क, गाँव रूपाना, सिवानी, जिला भिवानी	1	2019-20
9	भिवानी	मैसर्स भारतीय स्पिनर्स, 101कि.मी. जी.टी. रोड, करनाल	1	2019-20
10	भिवानी	एम्प्लससन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गांव खानक,तहसील-तोशाम, जिला- भिवानी	50	2021-22
11	भिवानी	एलआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, तोशाम, भिवानी जिला हरियाणा	20	2021-22
12	फतेहाबाद	मेसर्स बालार्चएनर्जी (प्रा.) लिमिटेड, टोहाना, फतेहाबाद	1	2017-18
13	गुरुग्राम	मैसर्स मारुति इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम	20	2021-22
14	हिसार	मैसर्स मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 44 KMस्टोन, दिल्ली – रोहतक रोड, गांवरोहद, जिला झज्जर, हरियाणा, गांव बुड़क, हिसार	5	2019-20
15	हिसार	चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय, हिसार	1	2021-22
16	हिसार	पीएम कुसुम घटक-ए केतहत	2	2022-23

17	सिरसा	मैसर्स ऑर्बिट रिसॉर्ट्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर443, उद्योग विहार फेज-V, गुड़गांव(गांव बालासर, सिरसा)	7.5	2019-20
18	सिरसा	मैसर्स एलआरएनर्जी, 7, गोल्डनगेट, वेस्टेंडग्रीन, रजोकरी, नईदिल्ली-110038, (गांव दूधियावाली, रनिया, सिरसा)	10	2019-20
19	सिरसा	अवादाग्रीन एचएन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मिठीसुरेरा (ऐलनाबाद), जिला सिरसा, हरियाणा	50	2021-22
20	सोनीपत	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां	1	2021-22
21	सोनीपत	दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	1	2021-22
		कुल	203.3	

————————

बजट पर आंकड़ों के संबंधित व्हाईट पेपर जारी करने के बारे में मामला उठाना

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, I am on the legs to put the Report straight. कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पर रिप्लाई दे रहे थे तो उसमें कर्जे के ऊपर बात आयी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने अलग–अलग टाईम पर अलग–अलग फिगर को कोट किया है और इस तरह की ब्यानबाजी उनकी छवि को प्रभावित करती है। To put the Report straight इसमें मेरा जो सब्मिशन है, उसको मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि the State Liability consist of Internal Debt Rs.2,85,885 Crore, Public Accounts Deposits Rs.44,000 Crore, Contingent Liability Rs.26,600 Crore, Off Budget Liability of Rs.1.00 lac crore. Speaker Sir, the expenditure made over and above budgeted allocation i.e. (as per report uploaded in E-Paper Business Standard dated 26th September, 2021)

Government Department in Haryana owed Rs.46,193 Crore to DICOMS for electricity bill as (Data compiled by Ministry of Power, Government of India) and if Government Department dues as on 31.3.2034 i.e. end of the F.Y.2022-23 payable to all service providers and suppliers are disclosed then total Off Budget Liability may be more than Rs.1 lakh Crore. इसमें हमारी टोटल लाएब्लिटी 4,50,000 करोड़ रुपये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा है कि हमारी जी.एस.डी.पी. 10 लाख करोड़ रुपये के करीब है। Meaning thereby जी.एस.डी.पी. की जो टोटल लाइबिलिटी है वह 45 परसैंट है। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022–23 में स्टेट लाइबिलिटी has increased by 4 times and GSDP has incresed by 2.1 times. सरकार ने जी.एस.डी.पी. 10 लाख करोड़ रुपये बताई है, इसमें मेरी सब्मिशन यह है कि इसका सर्वे भी हुआ है और इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर का कांट्रिब्यूशन घट रहा है। इसमें उद्योग और सेवा का क्षेत्र भी आता है लेकिन इसमें इसका कांट्रिब्यूशन बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। मैं यह बात सदन में कह रहा हूं कि सरकार को मंहगाई को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर एग्रीकल्चर सैक्टर का टोटल जी.एस.टी. में कांट्रिब्यूशन घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यह कहीं न कहीं सरकार के लिए आने वाले टाइम में विकास के रास्ते पर बहुत बड़ी बाधा खड़ी करेगी। सरकार Internal Debt, Public Accounts Deposit, Contingent Liability and Off Budget Liability इन चारों चीजों का व्हाईट पेपर जारी कर दे, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसमें आपको पता चल जायेगा कि विपक्ष के नेता ठीक बात कह रहे थे या सरकार ठीक बात कह रही थी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन चारों चीजों का व्हाईट पेपर इशू होना चाहिए। यह बहुत ही सीरियस मैटर है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कल सदन में सभी बातों का उत्तर विधिवत दे दिया गया था फिर भी माननीय सदस्य कोई अपनी बात दोबारा से कहना चाहते हैं तो वे लिखित रूप में दे दें क्योंकि आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। इसके बाद हम इनको लिखित में सारी जानकारी दे देंगे। कल चूंकि इनको सारी बातों की जानकारी वर्बल में दे दी गई थी और रिकॉर्ड में सारी बातें भी हैं लेकिन कई बार वर्बल में कही गई बातें भी समझ में नहीं आती हैं इसलिए इनको हम लिखित रूप में इनका पूरा उत्तर दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा लिखित में सारा ब्यान आ गया है आप चाहे तो प्रोसीडिंग्ज निकलवा लें।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, हम इसका उत्तर आज थोड़े ही दे पायेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, आप इसकी प्रोसीडिंग्ज निकलवा लेना।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, हम आपको व्यक्तिगत रूप से 15 दिन के अंदर–अंदर इसकी पूरा रिप्लाई दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, आप इसकी प्रोसीडिंग्ज निकलवा लेना।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, ठीक है इसकी प्रोसीडिंग्ज निकलवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कादियान जी, मुख्यमंत्री जी वहां से इसकी प्रोसीडिंग्ज निकलवा लेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यह कागज लिखित में दे भी दूंगा। हम आपको इसकी फोटो स्टेट कॉपी भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपने अपनी बात सदन में रख दी है, वही बात ठीक है।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, आपने एक रिपोर्ट कल भी दी थी और आज भी जो आप कह रहे हो। हम आपको इसका उत्तर लिखित में 15 दिन के अंदर–अंदर दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : ठीक है मुख्यमंत्री जी, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और जनता के सामने इसकी ट्रांसपेरैंट पोजीशन भी आ जायेगी।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, अब चूंकि बजट पास हो चुका है इसलिए आप जो बातें कह रहे हो हम इन बातों को स्पष्ट करके आपको सारी बातों की जानकारी दोबारा से दे देंगे।

.....

सुपर्शव जैन बाल सदन स्कूल के विद्यार्थियों तथा स्टाफ का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुपर्शव जैन बाल सदन स्कूल, कैथल के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

.....

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार से मुझे श्री बिशम्बर सिंह, विधायक ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ जरूरी कार्यों के कारण वे आज दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार से मुझे डॉ. कृष्ण लाल, मिड्ढा, विधायक ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि घर पर जरूरी काम होने के कारण वे आज दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

इसी प्रकार मुझे श्री कुलदीप वत्स, विधायक ने ई.मेल के माध्यम से सूचित किया है कि तबीयत खराब होने के कारण वे आज दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

———————

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ससंदीय कार्य मंत्री नियम–15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज शून्यकाल में जो माननीय सदस्य बोलेंगे मैं पहले उनके नाम की सूची पढ़कर सुना देता हूं। शून्यकाल के दौरान विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, श्री सत्यप्रकाश जी, श्री जगदीश नायर जी, श्री भव्य विश्नोई जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री नयन पाल रावत जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री जगबीर सिंह मलिक जी, मोहम्मद इलियास जी तथा श्री नीरज शर्मा जी बोलेंगे।

.....

सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह तथा राजगुरु को शहीद का दर्जा देने का मामला उठाना।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, कल 23 मार्च, 2023 को शहीदी दिवस है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट सत्र के दौरान भी यह मांग रखी थी कि इस सदन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए लेकिन दुर्भायवश इन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि सरकार या किसी ने भी इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज सदन में मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं और मैं इस पूरे सदन की हाजिरी में चाहूंगा कि इस तरह का एक प्रस्ताव हरियाणा सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाए और इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी मांग है और मैं मानता हूं कि हमें इससे बड़ा गौरव देने वाली और कोई बात नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 23 मार्च भी है इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी, से निवेदन करूंगा कि इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया जाए।

.....

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जीरो आवर के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है जिसमें 12 सदस्य बोलेंगे इसलिए प्रत्येक माननीय सदस्य को 5 मिनट का समय मिलेगा, इस बात का ध्यान रखा जाए।

श्री सोमवीर सांगवान (दादरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पिछली बार माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने सदन में रोहतक बाईपास से घसौला तक वाया मेजबान चौक होते हुए रोड के निर्माण की घोषणा की थी लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य पैंडिंग हैं इसके अलावा कोर्ट कॉम्पलेक्स का कार्य भी पैंडिंग है इनको जल्दी से पूरा किये जाने का कार्य किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दादरी हॉस्पिटल के अन्दर 44 डॉक्टरों की डिमांड है लेकिन वहां 14 डॉक्टरों की कमी है। इसमें आई सर्जन अवलेबल है लेकिन इंस्ट्रूमैंट नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए पहले भी लिखित में दिया है कि दक्षिण हरियाणा के अन्दर हैल्थ के मामले में अभी मैडिकल कॉलेज बनना भी शुरू नहीं हुआ इसलिए वहां हॉस्पिटल के अन्दर डॉक्टरों की उपलब्धता हो और जिन इंस्ट्रूमैंट की जरूरत हैं

उनको तुरंत प्रभाव से खरीदकर उनकी डिलीवरी की जाए। अध्यक्ष महोदय, दादरी से रोहतक रोड खैरड़ी मोड़ तक फोरलेन का प्रस्ताव विचाराधीन है मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से काम शुरू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा सैक्टर वर्ष, 2008 से पैंडिंग है मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इसको डिवैल्प किया जाए जिससे लोगों का हुड्डा सैक्टर के अन्दर रहने का जो सपना है वह पूरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हरियाणा में जैसा कि हमारे मंत्री जी ने भी पहले बताया था कि नशा घर कर रहा है। इसमें स्मैक, गांजा, चरस आदि शामिल हैं। आज पूरे समाज में नौजवान बच्चे जो हिन्दुस्तान का भविष्य हैं वे नशे की गर्त में फंसे हुए हैं इसलिए सरकार मजबूती के साथ ऐसा कोई कानून बनाए जिससे नशे पर अंकुश लगाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, नशे की रोकथाम में खाप पंचायतों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसलिए इनका सहयोग लेकर नशे के ऊपर पूर्ण अंकुश लगाकर हिन्दुस्तान के भविष्य को बचाया जाये। इसके अलावा दादरी हल्के की सी.एम. अनाउंसमैंट्स भी पैंडिंग हैं उनके बारे में मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन सभी घोषणाओं पर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाये। दादरी शहर में 40 किलोमीटर लम्बी सीवरेज तथा पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डली हुई है उसके लिए पहले तो एन.ओ.सी. दे दी गई थी लेकिन जहां पर यह वेस्ट डलना है उन लोगों ने ऐतराज कर दिया इसलिए अब इसमें एन.ओ.सी. वांछित है। उसके लिए तुरन्त प्रभाव से एन.ओ.सी. जारी करके इस काम को यथाशीघ्र पूरा किया जाये क्योंकि जब तक शहर का सीवरेज का पानी बाहर नहीं निकलेगा तब तक शहर का सुधार नहीं हो सकता है। दादरी शहर मे बारिश के पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। दो दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन आज तक वहां पर पानी भरा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बारिश के पानी की निकासी का प्रबंध यथाशीघ्र किया जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त 30 साल पहले एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा 138 प्लाट अलॉट किये गये थे और उनकी पेमैंट भी हो चुकी है लेकिन अभी तक उन लोगों को प्लाट नहीं दिये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उस सोसायटी में जो हिस्सेदार हैं उनको यथाशीघ्र प्लाट अलॉट किये जायें। इसी प्रकार से लघु सचिवालय का काम धीमी गति से चल रहा है उसको एक्सपीडाइट किया जाये ताकि काम जल्दी पूरा हो कर सभी ऑफिस एक छत के नीचे आ जायें तथा लोगों को अपने कामों के लिए

अलग–अलग जगह पर चक्कर न लगाने पड़ें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे दक्षिण हरियाणा के खिलाड़ियों का खेलों में बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे वॉलीबाल हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो या बॉक्सिंग हो, हमारे खिलाड़ी मैडल ला कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं इसलिए वहां पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाये ताकि खिलाड़ी और अधिक मेहनत करके देश व प्रदेश के लिए और अधिक मैडल ला सकें। मुख्यमंत्री जी ने दादरी के लिए बहुत कुछ किया है। दादरी को जिला बना दिया, दादरी में मेडिकल कॉलेज बना दिया और अब अगर यह खेल विश्वविद्यालय भी बना दिया जाये तो हमारे दक्षिण हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश जरावता(पटौदी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र पटौदी में एक सड़क है जो पटौदी को फरूखनगर से जोड़ती है जिस पर बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से प्रत्येक विधायक को सड़कों की रिपेयर के लिए 25 करोड़ रुपये दिये गये हैं परन्तु उस अकेली सड़क का ही 15 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बना हुआ है इसलिए 25 करोड़ के अलावा उस सड़क को अवश्य बनाया जाये। यह सड़क दो जिलों झज्जर और गुरूग्राम को जोड़ती है इसलिए इसे यथाशीघ्र बनाया जाये। इसी प्रकार से पटौदी का बाई पास जो अभी आधा यानी "सी" आकार का बना हुआ है उसको पूरा यानी "ओ" आकार में बनाया जाये ताकि लोगों को ट्रैफिक से निजात मिल सके। इसी तरह से पटौदी से रेवाड़ी वाया खोड़ रोड जिसको शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं उसको चौड़ा किया जाये तथा उसकी मरम्मत भी करवाई जाये। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो ब्लॉक पटौदी और फरूखनगर के 46 स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है और मैंने वहां से लिखवा कर भिजवाया हुआ है लेकिन उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त स्कूलों के कमरों की मरम्मत, टॉयलेट तथा चारदीवारी करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, गुरूग्राम के सिविल हॉस्पिटल को बनने में अभी समय लगेगा इसलिए तब तक पटौदी के सिविल हॉस्पिटल में आई.सी.यू. और वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान की जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानेसर को सब–डिविजन बनाने की घोषणा की हुई है इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यथाशीघ्र वहां पर एस.डी.एम. के बैठने की व्यवस्था

की जाये। पटौदी मंडी, नगर परिषद् में स्टाफ की कमी है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय यू.एल.बी. मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाये। इसके अतिरिक्त जो गांव नगर परिषद् से जुड़े हुए हैं उन गांवों में सीवर की व्यवस्था की जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 करम और 3 करम के रास्ते बहुत अधिक हैं इसलिए मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि उन रास्तों को खेत–खलिहान या किसी दूसरी स्कीम के तहत बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, कासन, खोह और मानेसर तीन बड़े गांव हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है और ये तीनों ही गांव डार्क जोन में आते हैं इसलिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य या मंत्री जी के साथ कोई मीटिंग करनी है तो वह हाउस में बैठ कर न करें बल्कि बाहर रिटायरिंग रूम में जाकर कर लें। यहां हाउस में इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता है।

श्री सत्य प्रकाश जरावताः अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फरूखनगर से डाबोदा की पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क है जो बहुत ही खराब हालत में है, उसको बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। पटौदी से रेवाड़ी वाया मालपुरा–कापड़ीवास रोड जो भिवाड़ी को जोड़ता है और भिवाड़ी और बिलासपुर में फ्लाईओवर का काम चल रहा है और हर रोज लम्बा जाम लगता रहता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रास्ते में एक दो किलोमीटर का पैच है उसको बनवा दिया जाये तो नैशनल हाईवे पर जाम नहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, एस.सी. कैटेगरी के बहुत सारे पद डायरेक्ट रिक्रूटमैंट, और प्रोमोशन के रिक्त पड़े हुए हैं इसलिए विशेष भर्ती अभियान चला कर उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाये तथा रोस्टर सिस्टम को दुरूस्त करते हुए तथा 85वां संविधान संशोधन लागू करते हुए एस.सी. के प्रोमोशन से भरे जाने वाले पदों पर प्रोमोशन करके बैकलॉग पूरा किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एच.एस.आई.आई. डी.सी. के प्लॉट खरीदने पर एस.सी. कैंडीडेट्स के लिए जो 30 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह स्कीम एच. एस.वी.पी., यू.एल.बी. और पंचायती राज विभागों में भी लागू की जाये। इसके अतिरिक्त

पटौदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया जाये। धन्यवाद।

श्री जगदीश नायर (होडल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस महान् सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों बारिश की वजह से फसलों में नुकसान हुआ है उसके बारे में चारों तरफ से किसानों के फोन आ रहे हैं। किसानों के प्रति हमारी सरकार पहले भी सहानुभूति प्रकट करती आई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए तथा किसानों की मदद करने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाए तथा उनको मुआवजा दे। अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांगों के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र होडल 8 रेलवे फाटकों से जुड़ा हुआ है। इनमें होडल से गड़ौता तथा बलवाना से चमेली–1, रेलवे फाटक पर पुल बनाना जरूरी है। इसी प्रकार से करमन से रेलवे फाटक तथा होडल से डकोरा रेलवे फाटक पर भी पुल बनाने की जरूरत है। कोड़ोदा से बंचारी, बंचारी–डकोरा, मरौली से एन.एच–19 तथा दिगोट से मितरौल फाटक पर लम्बे जाम लगे रहते हैं जिसके कारण लोगों का और विशेषकर स्कूली बच्चों का समय बर्बाद होता है इसलिए इन फाटकों पर पुल बनाने की भी बहुत अधिक जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल में बिढुकी एक बहुत बड़ा गांव है जहां पर बिजली की समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से ऊजा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर एक 66 के.वी. का सब–स्टेशन बनाया जाये ताकि लोगों की बिजली की समस्या का समाधान हो सके। अध्यक्ष महोदय, होडल शहर में 11000 वोल्टेज की तारें शहर की आबादी एरिया से गुजर रही हैं। इसी प्रकार से हसनपुर शहर के अन्दर भी यह समस्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन तारों को बदलवाकर लोगों को सुविधा देने का काम करें। इसी के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र बन्चारी में एक आई.टी.आई. खोली जाए मेरी विधान सभा में आई.टी.आई. खोलने से निश्चित तौर पर बेरोजगार युवाओं को वहां ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं होडल विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ मांग रखना चाहूंगा। सरकार ने होडल के होस्पिटल का कायाकल्प किया है जबकि पिछले 10 साल में उस होस्पिटल में कोई जा नहीं सकता था क्योंकि उसमें से बदबू आती थी और वहां बहुत गन्दगी फैली हुई होती थी लेकिन आज हरियाणा में हमारा होडल का

होस्पिटल सबसे सुंदर होस्पिटल्ज की गिनती में आया हुआ है और उसे पुरस्कार भी मिला है। आज हमारी सरकार ने उस होस्पिटल की दशा को बदला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने होस्पिटल में बहुत सुधार किया है लेकिन अभी वहां कुछ कमियां और भी हैं। वहां डॉक्टर्ज की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, एक्स–रे मशीन की कमी हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि वहां और जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। इसी के साथ वहां बन्चारी में एक पी.एच.सी. और नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। हसनपुर में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, होडल शहर में नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है और ओरंगाबाद में भी एक नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ''महा ग्राम योजना'' के तहत हमारी सरकार ने बड़े गांवों में सीवरेज लाईन बिछाने का काम किया था जिसकी वजह से उन गांवों का सिस्टम और सारे रास्ते खराब हो गये हैं। बन्चारी, औरंगाबाद, दिघौट, बिडूकी, सौंदह, होडल की पट्टियों की सड़कें और सीया की फिरनी आदि बनाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़े गांव हैं जिनमें 20–20 हजार की आबादी है इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनकी फिरनी बनाई जाए। इसके साथ ही होडल और हसनपुर शहर में एक नया बाई पास बनाया जाए। इसके साथ ही मैं गोड़ोता, गढ़ी सौंदह, बन्चारी, औरंगाबाद और होडल में खेल स्टेडियम बनाने की मांग करता हूं कि उन गांवों में खेल स्टेडियम बनाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं होडल शहर में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कोरोना के समय में नगर परिषद में कच्चे कर्मचारी लगाए गये थे जिनकी जून 2022 से आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है उनकी तनख्वाह दी जाए और उनको वहां ज्यों का त्यों रखा जाए क्योंकि ये बुरे टाईम के साथी हैं। इसी तरह से स्कूल्ज में पार्ट टाईम स्वीपर लगाए गये थे जोकि 15–20 साल से लगे हुए थे और वे कांग्रेस सरकार के समय से लगे हुए थे लेकिन उन्हें आज तक पक्का नहीं किया गया उनको भी पक्का किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें है जो कच्ची पड़ी हुई हैं। जैसे डैंडोली से रामगढ़ टू बिडूकी टू हसनपुर। माहोली टू रामगढ़, बोराकट टू गढ़ी, बोराकट टू सोन, सोन टू नई, सेनपुर टू खटेला, ओरंगाबाद टू बुनवाड़ी आदि सड़कों को बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बन्चारी में एक कला संस्कृति केन्द्र एवं हरियाणा कला एवं बृज कला ट्रेनिंग केन्द्र खोलने का अनुरोध भी करता हूं और बन्चारी गांव में एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए।

श्री भव्य बिश्नोई (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। परसों के मेरे वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें अधूरी रह गई थी। हालांकि मुझे इस सदन में बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था उसके लिए मैं स्पीकर व डिप्टी स्पीकर महोदय का और श्री कंवर पाल जी का तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। आज के निर्धारित समय में मैं एक–दो बातें इस सदन के साथ सांझा करने का प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं जिन्होंने कल बालसमंद कॉलेज को स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम पर स्थापित करने की घोषणा की है और एक बार फिर यह साबित किया कि उनका हृदय इतना बड़ा है। मैं समस्त आदमपुर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, बचपन से ही मेरा खेल के प्रति विशेष जुड़ाव रहा है। क्रिकेट, स्विमिंग, एथलैटिक्स को मैंने स्टेट लैवल पर खेला है। बचपन में जब हम इंटर स्टेट कॉम्पीटिशन में जाया करते थे तो बाकी टीमों में हमारी हरियाणा की टीम का बड़ा खौफ हुआ करता था। उसमें हमारा प्रदर्शन भी अच्छा हुआ करता था। अगर बड़े स्तर पर बात करें तो ओलम्पिक्स गेम्ज में, कॉमनवैल्थ गेम्ज में, एशियन गेम्ज में हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में सबसे अहम भागीदारी, सबसे ज्यादा रिप्रजैंटेशन हरियाणा की होती है लेकिन मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि हम इस रिप्रजैंटेशन को मैडल टैली में तबदील करने का काम करें। परसों के मेरे वक्तव्य में मैंने कहा था कि जिस प्रकार से शिक्षा में हमें अपनी तुलना बाकी भारतीय राज्यों से न करके दुनिया की सबसे विकसित देशों और राज्यों से करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से स्पोर्टस के क्षेत्र में भी हमें अपना मुकाबला यू.एस. और यू.के. तथा चाईना से करना चाहिए और वह तभी होगा जब कुछ नीतिगत परिवर्तन हमारी सरकार करेगी और स्पोर्ट्स फंडिंग को बढ़ाने का काम करेगी। निश्चित ही स्पैट और व्यायामशाला जैसी योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को लाभ पहुंच रहा है लेकिन मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार को विनम्र सुझाव है कि इसके साथ–साथ सरकार को राज्य स्तर पर अखाड़ा के नाम से एक स्पोर्ट्स सैंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी करना चाहिए। जहां पर नैशनल लैवल एथलीट्स को अंतर्राष्ट्रीय कंपीटीशन के लिए तैयार किया जायेगा। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सरकार को ट्रेनिंग कैंम्प्स और स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का काम भी करना चाहिए, जहां पर पारंपरिक शिक्षा के साथ–साथ शुरू से ही बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने व तराशने का काम किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, चायना

की राजनैतिक और आर्थिक प्रणाली की हम निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते है और करनी भी चाहिए लेकिन उनका जो ओलम्पिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और इसे बहुत कुछ हरियाणा में भी इंपलीमैंट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जहां 1988 में साउथ कोरिया के अंदर चाइना को केवल 5 गोल्ड मैडल ही आये थे, उसी चाइना ने सिर्फ 20 साल के अंदर 2008 में बीजिंग चाइना के अंदर 48 गोल्ड मैडल जीतकर यू.एस. को भी पीछे छोड़ने का काम किया था। चीन में ट्रेनिंग से लेकर डाइट, मैंटल कोचिंग और रिहेब–टैक्नोलोजी एनालायसिस तक खिलाड़ी के हर पहलू पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देती है। मैं मानता हूँ कि यह लोंग टर्म इंवेस्टमैंट है लेकिन रिटर्न इंवेस्टमैंट भी हमें इसकी हाई मिलेगी, यह मेरा विश्वास है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि ओलम्पिक के अंदर हम देश और प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मैडल दिलाने का काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा आदमपुर का है कि पिछले काफी समय से मंडी आदमपुर में नगर पालिका के खिलाफ लोगों के अंदर बहुत भारी रोष व्याप्त हो चुका है। व्यापारी से लेकर मजदूर तथा मजदूर से लेकर आम नागरिक तक सब धरने पर बैठे हुए हैं। यहां तक कि पिछले दो दिन पूरी मंडी में दुकानें भी बंद पड़ी रही। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यदि आदमपुर की जनता का मन है कि यहां नगर पालिका न बने तो उनकी भावनाओं का सम्मान करके, सरकार को इस विषय पर भी पुनर्विचार करना चाहिए या सरकार को यदि सर्वे कराना पड़े या वोट कराना पड़े तो भी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। यही नहीं इस संदर्भ में मैं मंडी आदमपुर कमेटी के सदस्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करवा सकता हूँ। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा था लेकिन समय की सीमा नजदीक आ रही है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शुक्रवार को श्री अमित सिहाग जी ने कुछ बातें कही थी कि शहीद अमृता देवी जी के नाम से पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाये और इसके साथ–साथ टोपीदार बंदूक (गन पाउडर) पर भी बैन लगाया जाये तो मैं अमित जी को बधाई देता हूँ और उनका आभार प्रकट करते हुए, इन दोनों प्रपोजल्ज को मैं भी एंडोर्स करने का काम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा हमारे मंडी आदमपुर का है कि यहां पर पिछले काफी समय से रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं और चाहे लाल डोरा की बात करें या चाहे एच.एस.वी.पी. की बात करें, काफी समय से मंडी आदमपुर के लोग रजिस्ट्रियों के लिए दर–दर की

ठोकरें खा रहे हैं और उनको रजिस्ट्रियां कराने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सदन के माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि रजिस्ट्रियां भी खोलने का काम जल्द से जल्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह (इसराना)(अ.जा.): स्पीकर सर, मेरे हल्के इसराना में गांव मतलोडा, गांव अहर, गांव मांडी, गांव बलाना और जौंधन कलां में बसासत में तालाब हैं और इन तालाबों में खराब पानी है जोकि पूरी तरह से सड़ा हुआ है और गंदा हो चुका है। इससे मच्छर भी होते हैं और कईं प्रकार की बीमारी फैलने का कारण भी यह तालाब बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन तालाबों के पानी का कोई न कोई समाधान करने का काम किया जाये ताकि इन गांवों में लोगों को किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की समस्या न हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इंदिरा गांधी ड्रेन न. 8 है। इस ड्रेन में बरसात का पानी जाता है। जब तक नया पानी इसमें नहीं आता है, तब तक जो पहले का पानी इसमें खड़ा हुआ होता है, वह गंदा हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इस नहर के पानी से मच्छर भी पैदा होते हैं और कईं प्रकार की बीमारियां भी पनपती हैं। यही नहीं इस ड्रेन में कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी जाता है। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर 15 दिन के बाद इंदिरा गांधी ड्रेन न. 8 में पानी छोड़ने का काम किया जाये ताकि इसमें खड़ा गंदा पानी आगे निकल जाये और लोगों को मच्छर और दूसरी प्रकार की बीमारियों का सामना न करना पड़े। यह भी मेरी सदन के माध्यम से सरकार से विनती है। अध्यक्ष महोदय, इसराना में जो नैशनल हाइवे है, इसके दोनों तरफ की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। बरसात के दिनों में यहां पर बहुत ज्यादा पानी इक्ट्ठा हो जाता है जिससे लोगों को आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने पिछले साल सत्र के दौरान भी इस संदर्भ में एक प्रश्न लगाने का काम किया था कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाये और उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर मेरे प्रश्न के संदर्भ में विश्वास दिलाया था कि एक महीने की समयावधि में इस समस्या का समाधान करने का काम किया जायेगा लेकिन एक, सवा साल का समय बीत जाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है और आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाइवे के दोनों तरफ जो नाले हैं, ये नाले भी गंद से भरे हुए हैं इसलिए मेरा सदन के माध्यम से यह भी अनुरोध है कि इन नालों की सफाई कराने

का भी काम किया जाये और साथ ही टूटी ही सड़कों का भी नया निर्माण करवाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष एक और प्रश्न लगाया था जिसमें कहा गया था कि जो गांव नौलथा है, इस गांव की जमीन रेलवे लाइन के पार भी है और इस तरफ भी इस गांव की जमीन है। यह बहुत बड़ा गांव है। इस गांव के लोगों को रेलवे लाइन के पार के खेतों में जाने के लिए लगभग 5–6 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है क्योंकि यहां पर कोई रास्ता नहीं है तो ऐसी समस्या के दृष्टिगत मैंने सदन में प्रश्न लगाया था कि यहां पर रेलवे अंडर पास निकाला जाये और सदन में माननीय उप–मुख्यमंत्री ने मेरे प्रश्न के संदर्भ में विश्वास दिलाया था कि जल्द ही यह काम किया जायेगा परन्तु आज तक वहां पर कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस काम को भी जल्द से जल्द करने की कोशिश करे। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ग्राम पंचायत कुराना ने जोकि बहुत बड़ी पंचायत है, ने एक प्रस्ताव दिया है कि उनके गांव में सीवरेज की लाइन बिछाने की व्यवस्था करने का काम किया जाये। अतः सदन के माध्यम से मेरा यह भी अनुरोध है गांव कुराना में जल्द से जल्द सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गांव ग्वालड़ा से गांव नराना तक सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। इसका मैंने पहले भी प्रश्न लगाया है। गांव मतलोडा से गांव कवि तक भी सड़क टूटी हुई है। इसका भी मैंने पहले प्रश्न लगाया हुआ है और जो बोहली रिफाइनरी फाटक है, इस फाटक से लेकर बोहली तक सारी सड़क टूटी हुई है। यही नहीं मैंने कई और टूटी हुई सड़कों के बारे में लिखित में भी दिया हुआ है। हर बार प्रशासन के अधिकारियों की ओर से यही आश्वासन दिलाया जाता है कि इन सड़कों का टैंडर लगने वाला है लेकिन पिछले डेढ–दो साल से इनमें से किसी भी सड़क का टैंडर नहीं लग पाया है। जब हम गांव में लोगों के बीच जाते हैं तो वे हमसे पूछते हैं कि आखिरकार इस सड़कों का टैंडर कब तक लगेगा ? अब सदन के माध्यम से मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इन सड़कों का टैंडर कब लगेगा या फिर वैसे ही बहकाते–बहकाते पांच साल निकाल दिए जायेंगे। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस सदन में जो काम सरकार के संज्ञान में लाते हैं, वह इसलिए लाते हैं क्योंकि हरियाणा विधान सभा, विधायकों के लिए आखिरी पंचायत है और इसके आगे विधायक और कहीं जा ही नहीं सकता लेकिन हमें हर बार इस सदन में झूठा ही विश्वास दिलाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूँ जो

भी आश्वासन सदन में देने का काम किया जाता है उसको हर हाल में पूरा कराने का काम किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ डिमांड्ज और समस्याएं , मेरे क्षेत्र को लेकर हैं और क्योंकि अभी कल परसों दो तीन दिन भारी बारिश हुई है तो इस संदर्भ में सदन के सभी सदस्यों का यह मानना है कि किसानों की खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी कराने का काम जल्द से जल्द किया जाये और जो हमारा पोर्टल है जिस पर सारा कुछ अपलोड किया जाना है, उसको भी इस दौरान अपडेट रखा जाना बहुत जरूरी है ताकि किसान अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर समय पर दर्ज करवा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे मामले केन्द्र सरकार से संबंधति है। नैशनल हाइवे पर हमारा एक गांव आता है जिसका नाम भगोला है। यह गांव इस सड़के के दोनों तरफ बसा हुआ है। जो हमारे बहन–बेटियों का स्कूल है, वह भी गांव के दूसरे तरफ स्थिति है। यहां पर एक पुल प्रस्तावित था जाकि मंजूर हो गया है और उसकी डी.एन.आई.टी. बन गई है लेकिन बावजूद इसके इस काम में अभी भी देरी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार यह देरी कहा हो रही है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसका जल्द से काम कराया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के सरूपुर गांव में लगभग 500–600 फैक्ट्रियां बड़े पुराने समय से लगी हुई है। हमारे हजारों बहन–भाई वहां पर काम करते हैं लेकिन अब पोल्यूशन डिपार्टमैंट की तरफ से इन फैक्ट्रियों को नोटिसिज जाने लगे हैं जबकि ये फैक्ट्रियां पहले से बनी हुई हैं। मेरा कहना है कि उनसे नॉर्म्स के मुताबिक फीस लेकर उनको रैगुलराइज किया जाए ताकि उन पर किसी तरह की कार्यवाही न हो और उनका वहां से उजाड़ न हो । अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ डिमांड्ज के विषय में बोलना चाहूंगा । सिग्नल फ्री करने के लिए दिल्ली–मुम्बई रेलवे लाइन के नीचे से कुछ अंडरपासिज बनाए गए हैं । मेरे गांव से ढ़ीक के लिए एक रास्ता जा रहा है । उसमें हमेशा 2–2, 3–3 फुट पानी खड़ा रहता है । उस पानी को निकालने का प्रयास भी किया गया है । वहां पर ट्यूबवैल्ज लगे हैं लेकिन उनसे व्यवस्था नहीं बन रही है । देवली और मानपुर के बीच में जो अंडरपास बनाया गया है उस अंडरपास के नीचे 4 फुट पानी अभी भी खड़ा है । इस भारी समस्या का समाधान किया जाए । इसी तरह से ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रैस–वे पर जितने भी

अंडरपासिज हैं उन सभी में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है । इससे वहां पर आये दिन एक्सीडैंट्स होते रहते हैं । मेरा क्षेत्र लोकल है और उसमें केवल गांव ही आते हैं जिनकी संख्या 104 है । मेरी वहां पर सरकार से एक महिला कॉलेज बनाए जाने की मांग है । मेरे क्षेत्र से लड़कियों को पलवल और बल्लभगढ़ जाना काफी दूर पड़ता है । इसी तरह फतेहपुर–बिलोच में भी एक को–ऐड कॉलेज अवश्य बनाया जाए । उसके लिए हम जमीन उपलब्ध करवा देंगे । इसके अलावा वहां पर एक पॉलीटैक्निक कॉलेज भी बनाया जाए । इनके लिए हम पंचायत की भूमि उपलब्ध करवा देंगे । सरकार को केवल इन कॉलेजिज को बनाना है । इसी तरह से गोल्ड फील्ड नामक एक प्राइवेट होस्पिटल था जोकि बंद हो गया था । उसको बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया था । उसमें 100–150 मजदूर काम करते थे जिनको अब निकाल दिया गया है । इस मुद्दे को मैंने पहले भी उठाया था । मेरा कहना है कि अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनका रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको लगाया जाए । पोंड अथॉरिटी जोहड़ों का सौंदर्यकरण कर रही है । हमारे प्रदेश में लगभग 5600 जोहड़ है जिनका हमारी सरकार सौंदर्यकरण कर रही है । मेरा कहना है कि उनकी टैण्डर प्रक्रिया काफी जटिल है जिससे उनकी टैण्डर प्रक्रिया में ठेकेदार शामिल नहीं हो पाते हैं । मेरे क्षेत्र में 44 जोहड़ खुदाई के लिए प्रस्तावित हैं लेकिन अभी तक इनमें से केवल 8–10 जोहड़ों पर ही काम हो पाया है । अतः उसकी टैण्डर प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि उसमें कोई भी ठेकेदार आसानी से शामिल हो सके । मेरी यही 3–4 मांगे थी । सरकार इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इनको पूरा करे । धन्यवाद ।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । सबसे पहले मेरी एक मांग है कि रतिया में एक सड़क है जो पंजाब बॉर्डर से होकर रतिया, फतेहाबाद, भट्टू से होकर राजस्थान बॉर्डर तक जाती है । इसके लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी वन विभाग से इसकी एन.ओ.सी. नहीं मिली है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी एन.ओ.सी. लेकर इस सड़क का जल्द–से–जल्द निर्माण करवाया जाए । मैंने इसी सदन में बार–बार मांग रखी है कि रतिया में बाइपास की जरूरत है । वहां पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है । वह एक भीड़–भाड़ का इलाका है और वहां पर काफी ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं । मेरी मांग है कि फतेहाबाद से टोहाना रोड की ओर एक बाइपास का निर्माण

करवाया जाए । इसके अलावा अलीका से पिलछिया एक रोड है जोकि मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है । वह सड़क पंजाब को हरियाणा से जोड़ती है । वह एक महत्वपूर्ण सड़क है । उस सड़क की हालत काफी समय से बहुत खराब है । अतः उसको दोबारा से बनाया जाए । माननीय सदस्य श्री नयन पाल रावत अभी वर्षा और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के नुकसान की बात कर रहे थे और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया था । मैं मांग करता हूं कि फसल की मैनुअली गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए । ग्रामीण चौकीदारों का एक बड़ा अहम इशू है । यह सारे हरियाणा में ही एक गरीब तबका है । उनको 7 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है । जो एजुसैट चौकीदार हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 14 हजार रुपये की गई है । मेरा कहना है कि ग्रामीण चौकीदारों को न तो ई.एस.आई. का लाभ मिलता है और न ही पी.एफ. का लाभ मिलता है लेकिन गांवों में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण चौकीदारों के हाथों से होते हैं। जैसे गांव में कोई ऑफिसर आता है तो उसके लिए भी चौकीदार को ही कहना पड़ता है। अगर कोई ब्याह–शादी होती है तो उसमें भी चौकीदार की सेवाएं ली जाती हैं। पहले यह होता था कि गांवों में किसान/जमीदार चौकीदारों को गेहूं वगैरह दे देते थे। लेकिन अब ग्रामीण चौकीदारों का जीवन–यापन बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं हमारी कुछ घूमंतू जातियों की बात करूंगा। मैंने बार–बार इस सदन में बात रखी है कि इनके पी.पी.पी. कार्ड बने हैं और इनमें वैसे तो करैक्शन करवाने के लिए रिक्वैस्ट का प्रॉवीजन है। ए.डी.सी. इसके नॉडल ऑफिसर घोषित किये गये हैं। लेकिन हमारे इन परिवारों के लोग झुग्गी–झोपड़ियों में रहते हैं, वे बिल्कुल अनपढ़ हैं। मैं इस डी.एन.टी. समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं। इसमें हमारे लोग भी शामिल किये जाएं ताकि उन लोगों के पी.पी.पी. कार्ड्स में जो त्रुटियां हैं, उनको ठीक किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घूमंतू जातियों के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं, मैं उनके बारे में भी कहूंगा। हमने 10,000 बेघर परिवारों का एक सर्वे किया था, उनको भी जल्दी घर बनाकर दिए जाएं। मेरे हल्के का एक सबसे बड़ा गांव बिरढ़ाणा गांव हैं और इसमें 10,000 वोट हैं। जब "महाग्राम योजना" शुरू हुई थी तो उसमें इस गांव का नाम आया था। लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिरढ़ाणा गांव को ब्लॉक घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के का एक नागपुर गांव भी बड़ा गांव है। इसको पिछली सरकार के कार्याकल

में ब्लॉक बना दिया था। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसको सब तहसील बनाने की घोषणा की जाए। इसके अतिरिक्त एक लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया जाए। इसके लिए नागपुर गांव की पंचायत ने ही 10 एकड़ जमीन दी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हॉयर एजुकेशन विभाग तो माननीय मंत्री पंडित मूलचन्द शर्मा जी के पास चला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करूंगा कि एक गर्ल्ज कॉलेज नागपुर गांव में बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने की मांग उठायी है। मैं भी उनसे इतफॉक रखता हूं। क्योंकि कहा जाता है कि–

मरने से पहले मिट गये,
मरने से पहले मिट गये
उबे वतन पर जो
और बाद ए फनाह रहेगा
जिंद ए जावेद उनका नाम।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कोसली हल्का सैनिक संस्कृति का भी गढ है। जिसमें एक लुखी गांव है जोकि देश भर में सबसे ज्यादा 47 स्वतंत्रता सेनानी देने का गौरव रखता है। कोसली गांव ने भी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा सैनिक दिये हैं। शहादत नगर ने भी सेना में सबसे ज्यादा ऑफिसर्ज दिये हैं। इसी तरह से नाहड़ गांव ने भी अनेक शहीद और अनेक स्वतंत्रता सेनानी दिये हैं। इसी तरह से लुहाना–धवाना और मंदौला गांवों के हमारे शहीदों ने हमेशा छाती पर गोली खाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि गुडियानी गांव ने भी हरियाणा प्रदेश की ओर से देश को सबसे बड़ा सम्पादक, पत्रकार, कवि और लेखक बाबू बाल मुकंद गुप्त दिया है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में ऐसे विशेष गांव के लिए विशेष स्मारक और सम्मान पत्र, ई लाईब्रेरी आदि खोलने का प्रारूप तैयार किया जाए। गुडियानी गांव के लिए पिछले वर्ष फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबू बाल मुकंद गुप्त की हवेली में ई लाईब्रेरी, स्मारक और संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की थी। इसी तरह एक टोल की बात निरंतर आ रही थी तो मैं कहना चाहूंगा कि एक टोल तो हट गया था। लेकिन दूसरा 53 नम्बर टोल नाहड़

रोड से कनीना की तरफ जाता है और यह टोल गुज्जरवास में स्थित है। इस टोल को भी हटाने का काम करें क्योंकि उसमें नाममात्र की कलैक्शन होती है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा नाहड़ उप–तहसील और पंचायत खंड कार्यालय है। आज जिसकी बिल्डिंग प्रोपर नहीं है इसलिए वहां पर नई बिल्डिंग बनाकर उप–सचिवालय बनाने का काम मेरी सरकार करे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे हल्के में जो 4 करम के रास्ते हैं, उनको भी पक्का करवाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज मानेसर को नगर निगम बना दिया गया है जबकि वहां पर टोटल 72,000 ही वोट हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे रेवाड़ी में टोटल 1,15,000 वोट हैं लेकिन अभी यह नगर परिषद् में ही है। अगर आज इनकी जनसंख्या जोड़ेंगे तो 1,50,000 के करीब भी नहीं बनेगी जबकि रेवाड़ी की जनसंख्या जोड़ेंगे तो 2,50,000 से ऊपर बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा दिलवाया जाये क्योंकि यह हमारे चुनावी मेनिफेस्टों में भी सम्मिलित था। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे यहां पर वाइल्ड लाइफ की ऑब्जैक्शन की वजह से कुछ रोडज का कार्य रूका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि वाइल्ड लाइफ के नजदीक 1 किलोमीटर के अंदर कोई रोड या पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं की जायेगी। हमारे वाइल्ड लाइफ में जंगल है। उसमें कोई किसी तरह का जानवर नहीं रहता है। उसमें केवल बंदर और नील गाये ही रहती हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर विकास कार्यों को न रोका जाये। अध्यक्ष महादय, कल 23 मार्च को शहीदी दिवस है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि

न तो हमने सीमा का विस्तार चाहा है,
न किसी के स्वर्ण पर अधिकार चाहा है,
लेकिन यह बात कहने से न चूकें हैं न चूकेंगे,
लहू देंगे मगर हम देश की माटी नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात पर जरूर गौर किया जाये। आज पूरा दक्षिणी हरियाणा इस बात पर गौरव हासिल करेगा, जिससे उन सबको सम्मान मिलेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम)): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि प्रधान देश है। आज जो कृषि के हालात हो रहे हैं, वह किसी से छुपे हुए नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की

बात है कि किसान महंगाई की मार झेल रहे हैं और ऊपर से भगवान की मार भी झेल रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश में कितनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। इससे पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश ग्रस्त है और हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों की डिमांड भी है कि वहां पर जल्दी से जल्दी किसानों की फसलों की गिरदावरी करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, यह रबी की फसल है, वह पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई है। अगर सरकार धरातल पर जाकर देखेगी तो इनको असली बात का पता चलेगा कि वहां पर वास्तव में फसलों की क्या स्थिति है? आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उनको देखकर लगता है कि किसानों के खेतों में फसल के नाम पर कुछ नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां पर फसलें खड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी। इसकी वजह से किसान बहुत ही जबरदस्त तरीके से त्रस्त हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले से पिछले वर्ष भी कॉटन की फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। इसके बारे में कहा गया था कि हम किसानों को मुआवजा देंगे। किसानों ने उस समय मुआवजे के लिए खूब प्रदर्शन भी किये थे लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। आज पूरे हरियाणा में बेमौसमी बारिश हुई है। बेमौसमी बारिश ने खासतौर पर हमारे दक्षिण हरियाणा के जिलों महेन्द्रगढ़, भिवानी और दादरी में बहुत ही तबाही मचाई हुई है। जिसके कारण ये इलाके बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। अगर सरकार किसानों को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा नहीं देगी तो फिर किसान कहीं का नहीं रहेगा। मैं इसके साथ ही साथ एक बात यह भी कहना चाहूंगी। (शोर एवं व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आज इनका कॉलिंग अटैंशन मोशन 48 इसी मैटर से संबंधित लगा हुआ है। अगर माननीय सदस्या जीरो ऑवर में इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रही है तो इनका नाम वहां से काटने का काम किया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने टाइम निकाल दिया है। मेरा कॉलिंग अटैंशन मोशन सरसों की फसल से संबंधित लगा हुआ है। मैं इनको कॉटन क्रॉप के मुआवजे की बात याद दिलवाना चाह रही हूं कि इन्होंने कहा था कि सरकार ने जो कॉटन क्रॉप की गिरदावरी करवाई है, उसका मुआवजा दिया जायेगा और जिसका आज तक इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं इनको बाजरा की फसल का मुआवजा न देने की बात भी

याद दिलवाना चाह रही हूं। जिसका एम.एस.पी. रेट 2350 रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन बार–बार सरकार द्वारा कहा जाता है कि हम किसानों को एम.एस.पी. का रेट दे रहे है लेकिन किसानों का बाजरा मंडियों में 1600 से लेकर 1700 रुपये तक बिक रहा है इस बात से साबित होता है कि एम.एस.पी. की बात हवा हवाई हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसमें सच्चाई यह है कि आज चाहे वह बाजरा की फसल की बात हो या रबी के सीजन में गेंहू की फसल की बात हो, चाहे हमारी कॉटन की फसल की बात हो, चाहे मूंग की फसल हो, चाहे आलू हो, कृषि का सारा का सारा उत्पादन बुरी तरह से पिटा हुआ है। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मैं सरसों का ये आंकड़ा लेकर आई हूं। मैंने कल भी बताया था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने खुद बताया कि 11,000 से ज्यादा क्विंटल बाजरा सरकार ने एम.एस.पी. से नीचे खरीदा है। अध्यक्ष जी, इसमें जो सबसे ज्यादा शर्म की बात है वह यह है कि 11,000 क्विंटल में से 8500 क्विंटल दादरी और भिवानी जिले का है। यह पूरा कागज मेरे पास लिखित में है जिसके बारे में मैं कह रही हूं। अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि पिछले successive ईयर्स के अन्दर the farmers have been facing this problem right throughout लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो कहा जाता है कि गिरदावरी 50 प्रतिशत कर देंगे 20 प्रतिशत कर देंगे, इससे आधे लोग वंचित रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा कि सामने से ये बात आई थी कि ये पोर्टल जो 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' है इस बार इसको खत्म कर दीजिए क्योंकि पोर्टल पर लोग जाते हैं तो इस पर कुछ अपलोड नहीं होता जिससे लोगों का बुरा हाल हो जाता है और किसान असलियत में वंचित रह जाता है। हम बार बार successively यह देख रहे हैं। या तो सरकार इसके ऊपर दूसरी कार्यवाही करे क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से विफल हो चुका है तथा इसके ऊपर चुनिन्दा लोगों को ही इसका फायदा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरसों की बात तो मेरे कॉलिंग अटेंशन मौशन के दौरान करूंगी लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसान को सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता है तो वह कहां जाए क्योंकि किसान साहूकार तो है नहीं कि उसके घर में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और वह पैसा कभी भी लगा देगा। उसका ट्यूबैवल का कनैक्शन है उसके लिए पैसा चार–पांच साल तक लम्बित पड़ा रहता है। मुआवजे का पैसा चार–पांच साल तक नहीं मिलता है। सारी बातें सदन पटल के ऊपर बोली जाती हैं और सारी बातें झूठी कही जाती हैं तो ये किसान के हक की बात नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को हमारे किसान भाई की तरफ देखना चाहिए उसकी

जो स्थिति है ऐसी दयनीय स्थिति मेरे किसान भाई की पहले कभी नहीं हुई इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ये ओलावृष्टि से फसल की बर्बादी हुई है उसके लिए 50 हजार रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दिया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के बोलने पर आपत्ति जताना चाहूंगी कि जब मैं जीरो आवर के अन्दर बोल रही हूं तब मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि आपका कॉलिग अटैंशन मोशन लगा हुआ है। अध्यक्ष जी, मेरा अधिकार है इसलिए मैं जो बोलूंगी उसमें जनहित की मांग उठाउंगी इसलिए मंत्री जी किस तरह से आपत्ति उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं माननीय सदस्या, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कैसे कह सकती हैं कि मैं बोल कैसे सकता हूं। माननीय सदस्या ने जो शब्द कहा कि how can I speak तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि I can speak and I can give reply to the allegations made by her. माननीय सदस्या ने कहा कि भिवानी में पैसा नहीं आया। मैं बताना चाहूंगा कि भिवानी में 7 करोड़ 70 लाख रूपया का मुआवजा गया। माननीय सदस्या सदन को फैक्चुअली गलत ऐड्रस कर रही हैं क्योंकि भिवानी में 7 करोड़ 70 लाख रूपया मुआवजे का गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है और मंत्री जी हमारे अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी व जे.जे.पी. को याद दिलाना चाहता हूं कि इलैक्शन से पहले इन्होंने वायदा किया था कि गोहाना को जिला बनाएंगे।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जे.जे.पी. ने यह वायदा कब किया था।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी अपना मैनोफेस्टो पढ़ें जिससे उनको इस बात का पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23.05.2014 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें गोहाना हल्के के 10 गांव ऐसे थे जिनको कन्ट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया गया था और वहां जौली लाठ में आई.एम.टी. लगनी थी वह कैंसिल हो गई लेकिन आज तक ये गांव वर्ष, 2014 से कन्ट्रोल्ड एरिया में हैं। जिनको बड़ा नुकसान हो रहा है, उनका कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा है वहां कोई

सेल–परचेज नहीं हो रही है इसलिए कन्ट्रोल्ड एरिया को खत्म किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गोहाना से सोनीपत रोड के दोनों तरफ की ग्रीन बैल्ट 60 मीटर की घोषित की हुई है लेकिन यह कहीं भी नहीं है। इसलिए इसको दोनों तरफ से 30–30 मीटर स्टैंडर्ड की जाए। स्पीकर सर, इसके अलावा मेरा यह कहना है कि सरकार की पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार आई.आई.आई.टी., किलोहर्द की क्लॉसिज कुरूक्षेत्र में लगती हैं। आज तक इसकी बिल्डिंग की नींव नहीं भरी गई है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि गोहाना के तीन सैक्टर का डिपार्टमैंट ने वर्ष 2013 में पजैशन ले लिया था आज तक उसकी कोई आऊटलाईन नहीं है। इसको भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। ऐसे ही मैडीकल कॉलेज, खानपुर के अंदर कोई कॉर्डियोलोजिस्ट नहीं है, कोई ओनकोलोजिस्ट नहीं है, कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। वहां पर डॉक्टर्ज भी पूरे नहीं हैं। मतलब उसको मैडीकल कॉलेज नहीं बनाया गया। सरकार उसकी ओ.पी.डी. को वैरीफाई करवा ले। सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत की ओ.पी.डी. ज्यादा है और इस मैडीकल कॉलेज की कम है। पहले वहां पर ओ. पी.डी. की संख्या 6500 थी वह आज घटकर 1500 रह गई है। इसके अलावा वहां पर दवाईयां भी नहीं हैं। मेरे गोहाना हल्के की सारी की सारी पी.एच.सीज. और सी. एच.सीज. में डॉक्टर्ज भी पूरे नहीं हैं। खानपुर कलां, मोई और लाठ गांव के अंदर पानी भरा है। वह आज तक नहीं सूख पाया है। खानपुर कलां का तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर जो रोड मैडीकल कॉलेज में जाती है उस रोड पर भी पानी भरा है। इसके अलावा मोहाना गांव को सब–तहसील बनाया जाये। इसके साथ ही साथ वहां पर आई.टी.आई. भी बनवाई जाये क्योंकि यह मेरे हल्के का बड़ा और बीच का गांव है इसलिए वहां पर इसकी बहुत जरूरत है। सरकार की यह पॉलिसी है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर खेतों के रास्तों को पक्का किया जायेगा। मेरा तो यही कहना है कि मेरे हल्के के खेतों के एक भी कच्चे रास्ते को पक्का नहीं किया गया इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के खेतों के सभी रास्तों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाये। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि मेरे हल्के में लड़कियों का कॉलेज तो खोल दिया गया लेकिन उसकी बिल्डिंग आज तक नहीं बनाई गई है। गोहाना सब–डिवीजन में या गोहाना–बरोदा हल्के में जितने भी कॉलेज खोले गए हैं उन सभी की बिल्डिंग्स जल्दी से जल्दी बनवाई जायें। जो गांव के तालाब हैं जैसा माननीय साथी ने सवाल उठाया वे बड़े खराब हैं। इनका

सुधार करने का जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाये। इसके अलावा नम्बरदारी, डिपो होल्डर्ज, ओ.पी.एस. का मामला, पी.टी.आई. का मामला और परिचालकों का पे–ग्रेड का मामला है इन सभी मामलों को सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्दी से जल्दी सुलझाये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरपंचों के साथ जो ज्यादती हुई है वह ठीक नहीं है। सरकार कहती है कि ई–टैंडरिंग न होने के कारण सरकारी राजस्व का बहुत नुकसान होगा। मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर ई–टैंडरिंग की प्रोसैस के बावजूद भी बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। अम्बाला में ई–टैंडरिंग से 9 प्रोजैक्ट्स का काम हुआ जिनमें 126 करोड़ रूपये की रिकवरी हुई है। कहीं पर दो मंजिल का काम हुआ और 6 मंजिल की पेमैंट हो गई। इसी प्रकार से कहीं पर तीन मंजिल का काम हुआ और 6 मंजिल की पेमैंट हो गई। ये सारे 9 के 9 अम्बाला के डिपार्टमैंट हैं। इन सभी प्रोजैक्ट्स की ई–टैंडरिंग हुई थी लेकिन उसी ठेकेदार से 126 करोड़ रूपये की रिकवरी इंक्वॉयरी में सामने आई है। बड़े दुख की बात है कि उसी ठेकेदार को दोबारा से काम करने के लिए लगा दिया। इसी प्रकार से माननीय साथी ने अम्बाला का स्टेडियम का मामला उठाया था। वह काम 115 करोड़ रूपये का था जिसमें 66 करोड़ रूपये की गड़बड़ पाई गई थी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि ये इतने सारे घोटाले ई–टैंडरिंग में ही हो रहे हैं। यह कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ई–टैंडरिंग से घोटाले नहीं होते। ये सारे के सारे ई–टैंडरिंग के ही मामले हैं। इसी प्रकार से फरीदाबाद का 200 करोड़ रूपये का मामला है।

मोहम्मद इलियास (फिरोजपुर झिरका) : स्पीकर सर, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि जिन मुद्दों पर मैं बोलना चाह रहा था उन पर पहले ही हाऊस में चर्चा हो चुकी है। जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, राजस्थान के अंदर एक घटना घटी उस पर जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन हरियाणा में भी हुआ क्योंकि जो मरने वाले थे वे हमारे हरियाणा प्रदेश के थे और मारने वाले भी हमारे हरियाणा प्रदेश के थे। चलो जो घटना घट गई उसका रिएक्शन होता है यह स्वाभाविक बात है लेकिन साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार करना ही चाहिए। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं चाहे वे गोरक्षक थे और चाहे वे कोई भी थे। उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा न कहकर यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी आंदोलन किया,

उन्होंने भी जुलूस निकाला, उन्होंने भी धरने दिए और साथ–साथ मेवात के लोगों ने भी फिरोजपुर झिरका के तहसील हैड क्वॉर्टर पर बड़े शांतिप्रिय तरीके से अमन और सुकून के साथ धरना दिया और वे एस.डी.एम., फिरोजपुर झिरका को ज्ञापन देने जा रहे थे तो एस.डी.एम. साहब ने ज्ञापन ले लिया। ज्ञापन देकर जब वे वापिस आये तो सरकार की तरफ से वहां पर जो पुलिस की कार्यवाही की गई और 600 आदमियों के खिलाफ जो एफ.आई.आर. व मुकद्दमें दर्ज किये गये मैं यह समझता हूं कि वह गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मेरा यह भी कहना है कि वह सरकार का किसी भी दृष्टि से अच्छा कदम नहीं था। लिहाजा इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि उन केसिज को वापिस लिया जाये और एफ.आई.आर. को कैंसिल किया जाये। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। मैं यह भी नहीं चाहता कि गोरक्षकों के खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज हो क्योंकि ऐसा होने से मेरे घर में कुछ भी नहीं आने वाला। जैसा कोई करता है तो उसको वैसा ही भरना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो उसका भुगतान भी मुझे ही करना चाहिए। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास। इसमें सबका साथ का क्या मतलब? अगर सबका साथ है तो दूसरे पक्ष ने भी जलसे किये थे और उन्होंने भी धरने दिये थे। यह सबका साथ कहां हुआ? यह तो सिर्फ मेव कम्युनिटी के खिलाफ हुआ। ये तो मेव मुस्लिमों के खिलाफ हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी के कारण पहले अपने हल्के की मांगें नहीं रख पाया था। अब मैं अपनी मांगें सदन के सामने रखना चाहूंगा। अभी –अभी ओलावृष्टि और बेमौसमी भारी बरसात की वजह से हमारे यहां पर किसानों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह तथ्य लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द खराब फसल की गिरदावरी की जाये ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि हमारे यहां पर सरसों की खरीद अभी न के बराकर ही हुई है। वैसे तो पूरे दक्षिणी हरियाणा की ही यही पोजीशन है। हो सकता है कि पूरे हरियाणा की भी यही पोजीशन होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी सरसों की खरीद जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में की जाये। हमारे यहां सरसों की खरीद के केन्द्र नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में भी हैं। वहां पर जल्दी से

जल्दी सरसों की खरीद शुरू करवाने का काम किया जाये। अगर ऐसा होता है तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष जी, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगें भी रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले तीन साल के दौरान पांच पम्प हाऊस मेरे हल्के को दिये हैं इसके लिए मैं सरकार का बहुत–बहुत आभारी हूं। इससे मेरे हल्के के हजारों किसानों का लाभ होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उझीना ड्रेन मेरे हल्के से गुजरती है वहां पर एक बादली और एक खुदकपुर गांव हैं।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप बैठ जायें। (विघ्न) अगर आपकी कुछ बातें कहने से रह गई हैं तो आप उनको लिख कर मुझे दे दें मैं उनको एड करवा दूंगा।

मोहम्मद इलियास : ठीक है स्पीकर सर। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एन.आई.टी.): अध्यक्ष महोदय, 'मिल मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, लेकिन मजदूर के चेहरे पीले हैं।' सर, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था। आज मुझे आपने जीरो आवर में बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आज की तारीख में मजदूर की स्थिति क्या है? और मैं समझता हूं कि मजदूर हमारे समाज का सबसे निम्न वर्ग है क्योंकि उसके पास अपना पेंचकस भी नहीं है। वह मजदूर काम करने के लिए पेंचकस भी दूसरे का यूज कर रहा है। आदमी छोटी से छोटी दुकान कर रहा है वह तो उसकी अपनी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का आज कितना शोषण हो रहा है उनसे रेगुलर जॉब पर काम करवाया जा रहा है। पीछे जब कोरोना काल आया। अध्यक्ष महोदय, उस समय की ये सिर्फ 10 दिन की 742 शिकायतें मुझ विपक्ष के विधायक के पास आई हैं और हर शिकायत में एक वर्णन जरूर होता था कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए नहीं तो जहां हम काम कर रहे हैं वहां से हम नौकरी से भी निकले जाएंगे।(विघ्न) अभय जी, बीच में ना टोकें जितने दिन कोरोना रहा उतने दिन उनके लिए पंडित जी ने जो किया वह अभूतपूर्व है। वह आप उन लोगों से फरीदाबाद में जाकर पूछिये। आप भी उस समय फरीदाबाद में काम करते थे। मेरा समय भी बेकार जा रहा है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप बोलिये।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हालांकि बाद में माननीय सर्वोच्य न्यायालय का आदेश आ गया कि कोरोना के समय की तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने वे कम्पलेंट्स सीरियल नं. लिखकर भिजवाई है। एक फैक्ट्री के अन्दर तो एक दिन नारा आया कि

'आपदा को अवसर बनाइये।' जबकि आपदा अवसर नहीं होती सेवा होती है। रामायण में भी लिखा है कि–''जल भर नैन कहत रघुराई, तात करम से निज गत पाई।'' वे मजदूर कौन थे दिव्यांग थे उनमें किसी की उंगली कटी, किसी का हाथ कटा, किसी का पोहंचा कटा। वह उसी फैक्ट्री में काम करते हुए कटा है। उस मजदूर ने उस समय बड़ा दिल दिखाया और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की क्योंकि ये मेरा मालिक है, ये मुझे रोजी रोजगार दे रहा है। अगर वह मजदूर चाहता तो वह मालिक की शिकायत कर सकता था क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए मजदूर को आप मशीन पर नहीं लगा सकते क्योंकि वर्क मैंनशिप के अन्दर प्रोहिबिटिड है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कहां होगा सिर्फ लोडिंग–अन लोडिंग, पैकेजिंग या जब फैक्ट्री के अन्दर कोई टैंपरेरी काम बढ़ जाता है। लेबर एक्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेगुलर नेचर में काम करवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें फैक्ट्री के गेट पर 30 दिन तक उन दिव्यांग लोगों को लेकर बैठना पड़ा। मजदूर शहर में संघर्ष भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको तनख्वाह भी चाहिए जिससे बच्चों का पेट पालना है। हमने शहर से उनकी एक महीने की तनख्वाह उगाही, अटेंडैंस रजिस्टर लगाया और बड़ी मुश्किल से हम उनको न्याय दिला पाए हैं। आज जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाईजेशन है उसकी रिपोर्ट हमारे देश के बारे में क्या कह रही है। Present status of informalization in India- as per official data, 90% of workers in India have remained informally employed, producing about half of GDP. As per ILO (International Labor Organization) and India's official definition, the share of formal workers in India stood at 9.7% (47.5 million). Informalization of formal sector has increased to 90%. अध्यक्ष महोदय, इसको कहीं रोकिये। आज हमारे यहां किसी का सपना है कि मेरा बच्चा एस्कोर्ट, जे.सी.बी. जैसी बड़ी कम्पनीज में परमानैंट लग जाए। सरकार पिछले नौ साल का डाटा निकाले कि इस समय उन्होंने कितने वर्कर पक्के किये हैं। अगर पक्के हो भी रहे हैं तो केवल इम्प्लॉईज के बच्चे। वह भी तब जब पहले उसका बाप नौकरी से रिजाईन देगा तो उसके बच्चे को पक्का किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले आज कोई सपना भी नहीं पाल सकते। इनकी तरफ सरकार जरूर ध्यान दे। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नये–नये प्रयोगों के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। शायद बिना पोर्टल के सरकार को कोई समस्या समझ में नहीं आती है तो एक लेबर पोर्टल और खोल दिया जाए। कम से कम मजदूर अपनी आईडैंटिटी छुपाकर अपनी शिकायत

साथ ही साथ बता दं और उस गरीब को न्याय मिल पाए। बीच में काफी लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी किया और कल सदन में यू.पी. बिहार की बात आई थी कि यू.पी. बिहार के आदमी भी आदमी हैं। यू.पी. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने प्रवासी भाई हैं आपकी विधान सभा में भी बहुत हैं, पार्षद भी हैं। उन्होंने हरियाणा की मिट्टी में खून पसीना एक किया तो आज हम तरक्की की राह की बात कर रहे हैं। यू.पी., बिहार प्रवासी आदमी को इस तरीके से हेय दृष्टि से ना देखा जाए। (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी सदन में यू.पी. और बिहार के आदमियों की पैरवी कर रहे हैं, यह उनकी गलत बात है। माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिये। हरियाणा लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं में भी यू.पी., बिहार और गुजरात के मैम्बर्ज लगे हुए हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हरियाणा सरकार नौकरियों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो एस.डी.ओज. लगे हुए हैं वे गुजरात के हैं। क्या हमारे प्रदेश के युवा इन पदों पर नहीं लग सकते थे? सरकार ने वर्ष 2020 में मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे कहा था कि हड्डी रोडा के लिये जगह देंगे लेकिन आज तक कोई जगह नहीं दी गई। हैल्थ विभाग में एम.पी. एच.डब्ल्यू. की भी भर्ती नहीं हो रही है। पब्लिक हैल्थ में कहा जा रहा था कि इस विभाग में 100 प्रतिशत काम किया जा रहा है लेकिन कहीं कोई काम नजर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष: माननननीय सदस्यगण, अब शून्य काल समाप्त होता है।

————————————

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर भोजन के लिए 1 घंटे के लिए *स्थगित किया जाता है।

***01.17 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 14.17 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई है। मैंने यह सूचना आज के लिए स्वीकार की है।

इसी प्रकार से श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

इसी प्रकार से राव दान सिंह, विधायक तथा पांच अन्य विधायक सर्वश्री जगबीर सिंह मलिक, आफताब अहमद, मामन खान, राव चिरंजीव, तथा शीशपाल सिंह केहरवाला सिंह द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दी गई है। राव दान सिंह, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के कारण चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी प्रकार से श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74 एवं श्री सत्य प्रकाश, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 75 दोनों समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दी गई हैं। दोनों विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी प्रकार से राव चिरंजीव, विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76 एवं राव दान सिंह, विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77 दोनों के समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दी गई है। दोनों विधायक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 में भी हस्ताक्षरी हैं।

इसी प्रकार से श्री जगदीश नायर, विधायक एवं श्री प्रवीण डागर, विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 79 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दी गई है।

अब, बलराज कुंडू जी, आप अपनी सचूना पढ़ें।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना देना

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस कॉलिंग अटैंशन पर चर्चा करवाने से पहले हमें ये बता दें कि हमने आपको जो कॉलिंग अटैंशन नोटिसिज दिए थे उनका स्टेटस क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, मैंने सदन को कॉलिंग अटैंशन मोशंज के बारे में बता दिया था ।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था जिसमें आज तक न्यूज चैनल द्वारा किये गए एक स्टिंग ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को दर्शाया गया है । वह बड़ा इम्पोर्टैंट इशू है । अगर आप इस तरीके से प्रदेश की कानून–व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर भी सदन में चर्चा नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा ? आप बताइये कि आपने इस सत्र में कुल कितने कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा करवाई है ? जब बजट सत्र आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा–से–ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा करवाई जाएगी, इसीलिए हम आपको कॉलिंग अटैंशन मोशंज देते हैं । हमने आपके पास अनेक कॉलिंग अटैंशन मोशंज भेजे थे लेकिन आपने उनमें से केवल एक कॉलिंग अटैंशन मोशन को अलाउ किया है ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, कॉलिंग अटैंशन मोशन चाहे बेरोजगारी का है, चाहे भ्रष्टाचार का है, चाहे लॉ एण्ड ऑर्डर का है ये सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज हर विधानसभा सत्र में आते हैं । (विघ्न)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है । आप हमें कम–से–कम कॉलिंग अटैंशन मोशंज का स्टेटस तो बता ही दिया करो । आप हमें स्टेटस भी नहीं बताते ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, हमने कॉलिंग अटैंशन मोशंज का स्टेटस सदन में बता दिया था ।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप हमें हमारे दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज का स्टेटस नहीं बताते हो । जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज एडमिट हो जाती है आप हमें केवल उसी के बारे में बताते हो ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, मैंने पहले दिन ही सैकेण्ड शिफ्ट में जब सत्र शुरू हुआ था तो कॉलिंग अटैंशन मोशंज का स्टेटस बता दिया था ।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमने उसके बाद भी आपको कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, बाद में दिए हुए भी जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज असैप्ट हुए हैं मैंने उनके बारे में सदन को बता दिया है । बाकी सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज रिजैक्ट हुए हैं ।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप बजट सैशन में तो हमारे दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज को जरूर असैप्ट किया करो । आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन असैप्ट किया हुआ है उसके साथ आपने और कॉलिंग अटैंशन मोशंज को भी क्लब किया हुआ है । ऐसे में सिंगल सिग्नेटरी तो फायदे में हो गया जबकि हमारे अनेक विधायकों ने इकट्ठे होकर आपको कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था । वह कॉलिंग अटैंशन मोशन इम्पोर्टैंट था, इसीलिए तो हमने आपको दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, कॉलिंग अटैंशन मोशन को फर्स्ट सिग्नेटरी पढ़ता है आप तो बड़े पुराने सदस्य हैं आपको यह पता होना चाहिए । (विघ्न)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, वह बात नहीं है । हमारा कहना यह है कि हमें कम–से–कम अपनी कॉलिंग अटैंशन मोशन को एक बार पढ़ने का मौका तो दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, मैं रूल्स के मुताबिक ही आपको बता रहा हूं । मैं आपको इससे संबंधित रूल पढ़कर सुनाता हूं –

> "[73(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date[:]"
>
> अगर मिनिस्टर चाहे तो किसी अन्य डेट को भी स्टेटमैंट दे सकता है ।
>
> "[Provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than two hundred and fifty words.]
>
> (2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands, may with the permission of the Speaker, ask a question;
>
> Provided that names of not more than five members shall be combined or bracketed.

Explanation- (i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only and he alone shall be allowed to read the notice.

(ii) Notices for a sitting received one hour before the commencement of the sitting shall be deemed to have been received for that day."

अतः नियम के मुताबिक कॉलिंग अटैंशन मोशन पर 5 मैम्बर्ज क्वैश्चन पूछ सकते हैं । माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू जी फर्स्ट सिग्नेटरी हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने रूल में खुद पढ़ते हुए कहा है कि whosoever has given the notices and as a single signatory he will be allowed to read his things and not just ask their question. That is what you have said. आपने यही कहा है कि कॉलिंग अटैंशन मोशन पर फर्स्ट सिग्नेटरी तो कॉलिंग अटैंशन मोशन को पढ़ेगा और जिन कॉलिंग अटैंशन मोशंज को उसके साथ क्लब किया है उसके सिग्नेटरीज उस पर केवल क्वैश्चन पूछ पाएंगे । अगर किसी सिंगल सिग्नेटरी ने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है तो वह उस पर केवल क्वैश्चन पूछ पाएगा, वह कॉलिंग अटैंशन मोशन को पढ़ नहीं पाएगा ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जो कॉलिंग अटैंशन मोशन हमारे पास सबसे पहले आता है उसके फर्स्ट सिग्नेटरी को उसे पढ़ने की इजाजत दी जाती है । हमारे पास सबसे पहले माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू जी का कॉलिंग अटैंशन मोशन आया था, इसलिए हमने उनको कॉलिंग अटैंशन मोशन पढ़ने की इजाजत दी है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो सिंगल सिग्नेटरी हैं आप उन्हें तो कॉलिंग अटैंशन मोशन को पढ़ने की इजाजत दीजिए । इसके अलावा जो 4–5 सिग्नेटरीज होते हैं उनको भी पढ़ने की इजाजत दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, बाकी सिग्नेटरीज क्वैश्चन पूछ सकते हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे में फिर अलग से कॉलिंग अटैंशन मोशन देने का हमें क्या फायदा हुआ ?

Mr. Speaker : Kiran ji, 73(2) says that –

"There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker ask a question;"

Smt. Kiran Choudhry : I agree with you, Sir. There might not be any debate but atleast we should be allowed to read out what we have written which is within the limit of 250 words. We should be allowed to read out it.

मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, दिख रहा है कि माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी को किसान की फसल के नुकसान की पीड़ा नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की पीड़ा दिख रही है और इनको इलैक्शन में यह पता भी चल जाएगा। (विघ्न)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की पीड़ा दिख रही है।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अब श्री बलराज कुंडू जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेगें।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रम राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक): अध्यक्ष महोदय, यह केवल नोटिस पढ़ने की लड़ाई है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगी कि यह पढ़ने की लड़ाई नहीं है क्योंकि मेरे द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर सदन में कैसे बोलेंगे? यह मुझे पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल matters of current interest के बारे में ही पूछना चाहती हूं कि what is taken up in the Calling Attention Motion? उदाहरण के तौर पर पानी, बिजली और भ्रष्टाचार हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, यह तो परमानैंट इशू है। पानी की शॉर्टेज कोई आजकल में ही नहीं हुई है।

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, these are on-going regular issues. अभी जो हमारे हल्के में हो रहा है और पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में तो बात कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप बिल्कुल इनकी बात कर सकती हैं, परन्तु ये चीजें कॉलिंग अटैंशन मोशंज में नहीं आएंगी। कॉलिंग अटैंशन मोशन का सब्जैक्ट तो वही होगा जो इमीडिएट इम्पोर्टैंस का होगा। यानी जो घटना कल परसों या इमीडिएटली 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हुई है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जैसे पानी की शॉर्टेज का इशू है।

श्री अध्यक्षः किरण जी, पानी की शॉर्टेज और बिजली की शॉर्टेज तो परमानैंट क्वैश्चंज हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या इन क्वैश्चंज को एक साल में एक ही बार उठा सकते हैं और इनको बाद में नहीं उठा सकते?

श्री अध्यक्षः किरण जी, ऐसा कुछ नहीं है।

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, there are on -going issues.

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने हाउस का 10 मिनट का टाईम ले लिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी बात रखने के लिए टाईम ले लिया तो क्या हुआ? हमें मालूम है कि इनको आगे प्रॉब्लम होने वाली है। इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप तो स्वयं डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं और आपको सारे रूल्ज का पता है।

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Deputy Chief minister through you that we are senior Members. We are talking with the sense of the House. ये बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, she has named me. She is saying that I am a senior Member. Everybody is a Member here either me or you. There is no seniority or juniority. दूसरी चीज यह है कि इनको टैक्सट पढ़ना है। इस टैक्सट में लिखा हुआ है कि-

'Former Member of the Parliament Smt. Shruti Choudhary'

इसको माननीय सदस्या पढ़ना चाहती हैं, पढ़ लें। इसको पढ़ने से कौन रोक रहा है।

श्री अध्यक्षः दुष्यंत जी, इस टैक्स्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, वह तो इनकी मर्जी है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनको सदन में अपनी बेटी का नाम पढ़ना है। इसको सदन में पढ़ दें, लेकिन इसमें किसान की पीड़ा कहां पर है?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है और हम आपसे बात कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, हां बिल्कुल आप अपनी बात रखने के लिए पूछ सकती हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अपनी बात रखने के लिए पूछ सकते हैं। इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, आप यह बात क्लीयर कर दें कि इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को एक ही सिंगल सिग्नेटरी पढ़ेगा तो फिर दूसरे सिग्नेटरीज के सिग्नेचर्ज की क्या जरूरत है? हम तो इसकी इम्पोर्टैंस की वजह से सिग्नेचर करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आफताब जी, यह बात तो रूल्ज में लिखी हुई है। इसमें यह बात मैंने नहीं लिखी है। अगर कॉलिंग अटैंशन मोशन पर 7–8 मैम्बर्ज साईन करते हैं तो यह बात रूल्ज में लिखी हुई है और ये रूल्ज मैंने नहीं बनाये हैं। ये रूल्ज सभी माननीय सदस्यों के बनवाये हुए हैं।

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, पहले मेरी बात सुन लें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य राव दान सिंह जी ने सेम सब्जैक्ट पर कॉलिंग अटैंशन मोशन में इक्ट्ठे में भी सिग्नेचर किये हुए हैं और एक अलग कॉलिंग अटैंशन मोशन भी दिया हुआ है।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कॉलिंग अटैंशन पाले की वजह से खराब हुई फसलों के बारे में दिया है और दूसरा कॉलिंग अटैंशन मोशन ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के बारे में दिया है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि it is a matter of importance.

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, पहले मेरी बात सुन लें। यह विषय बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल के हुए नुकसान का है। चाहे वह सरसों की फसलों का है या चाहे दूसरी फसलों का है।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कॉलिंग अटैंशन मोशन सरसों की फसलों में पाला पड़ने के बारे में था और दूसरा कॉलिंग अटैंशन मोशन सरसों की फसलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बारे में था। इसमें यह डिफरैंस है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, पाला पहले पड़ा था और ओलावृष्टि बाद में हुई है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, as you said 'first come, first serve basis,' मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि हम एक टाईम लिमिट तक कॉलिंग अटैंशन मोशन दे सकते हैं। इनके बारे में जिस दिन आप फैसला करते हैं, उस दिन देख लें कि कौन–सा कॉलिंग अटैंशन मौशन ज्यादा इम्पोर्टैंट है और ज्यादा मैम्बर्ज ने साईन किया हुआ है। That should be placed on number one and other should be placed later on. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो कोई भी मैम्बर कुछ भी लिखकर दे देगा।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, अगर सेम सब्जैक्ट का कॉलिंग अटैंशन मोशन है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होगा। इसमें बाद में कैसे लिया जाएगा? इसमें तो फिर वही बात हो जाएगी कि किसी का पहले नम्बर पर रख दिया और किसी का बाद में रख दिया।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, एक–एक कॉलिंग अटैंशन पर इंडीविज्युअल मैम्बर साईन कर देंगे तो 20–20 और 30–30 कॉलिंग अटैंशन मोशंज लग जाएंगे।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, इसमें एक कॉलिंग अटैंशन मोशन पर 5 से ज्यादा सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकते।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब बलराज कुंडू जी, आप अपनी सूचना पढ़ें।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को टेकअप किए हुए 15 मिनट का समय हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आपको बोलने के लिए 15 मिनट का समय नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़नी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बात बोल रहा हूं। इस पर जो चर्चा हुई है, मैं उसको सुनकर हैरान था। मैं निर्दलीय विधायक हूं, इसका मतलब यह थोड़े ही हुआ कि आप मुझे जब चाहे उठाकर गिरा दोगे जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बाकी पार्टियों वाले 10–10 विधायक साइन करके दे देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, हमने तो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ ऐसी व्यथा क्यों हो रही है। यह बात कही जा रही है कि वह सिर्फ अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ सकता है। वह सवाल

नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पढ़ने का क्या मतलब बनता है? हमने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को डिबेट करने के लिए ही लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस पर डिबेट नहीं होगी। सिर्फ आपने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ रहा हूं लेकिन मैं पढ़ने से पहले 20 सैकिंड एक और मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, अगर आपने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं पढ़ना है तो मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुलाऊंगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे हल्के में किसी की जान जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िये।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं **इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना** चाहता हूं **कि नारनौल, महेन्द्रगढ और चरखी दादरी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम की वजह से सरसों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हुई है और आर्थिक बदहाली झेल रहे किसानों को न तो बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल पाया और न ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मिल पाई है। इसी प्रकार कलानौर, महम और जुलाना आदि कई क्षेत्रों में जलभराव के चलते फसलों की बिजाई भी नहीं हो पाई जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति में 7 हजार रूपये प्रति** एकड़ **आर्थिक सहायता देने की बातें भी कही गई थी मगर, दुर्भाग्य है कि किसान भाइयों की कोई मदद नहीं की गयी जिससे किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध** करता हूं **कि इस बेहद गम्भीर विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए और सरकार सदन मे अपना वक्तव्य दे।**

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम विषय है। यह किसानों से मुतल्लक रखता है और आप भी यह बात जानते हो कि पिछले कई सालों से किसानों की फसल में नुकसान होता आ रहा है। चाहे वह बाजरा की फसल की बात हो, चाहे वह कॉटन की फसल की बात हो और चाहे वह सरसों की फसल की बात हो। अभी हाल ही में इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश हुई है, इसके कारण किसानों की पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस साल सरसों की 87000 हैक्टेयर जमीन में बोई गई फसल पाले के कारण खराब हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप पहले अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाले से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि अभी हाल ही में सरसों और सब्जियों की फसलें अत्यधिक पाला पड़ने से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यू.पी.ए. के कार्यकाल में वर्ष 2012–13 में श्रुति चौधरी पूर्व सांसद ने पाला शब्द को भी प्राकृतिक आपदा में डलवाया था क्योंकि उस समय बहुत पाला पड़ा था और ऐसा ही फसलों का नुकसान हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कॉपी सदन की टेबल पर रख रही हूं। उस उपरांत सरकार द्वारा स्पैशल गिरदावरी करवाते हुए 31.10 करोड़ रुपये का मुआजवा किसानों को दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, किसान पर फिर से पाले की जबरदस्त मार पड़ी है और वह पूरी तरह से लाचार हो गया है। सरसों के बाद अब गेंहू की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरसों की अगेती और पछेती फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अतः मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यह डबल इंजन की सरकार केन्द्र और हरियाणा के अंदर चल रही है, मेरा निवेदन है कि किसानों की खराब हुई फसल का तुरन्त मुआवजा दिलवाया जाये। हमारे किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये। पहले स्टेट को वर्ष 2013 के अंदर एन.डी.आर.एफ. के जरिये एस.डी.आर. एफ. के थ्रू किसानों को मुआवजा राशि श्रुति चौधरी के कर कमलों के जरिये दिलवाई गई थी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति स्पैशल गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को दिलवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी में कहा गया है कि किसानों की फसलों में 20 परसैंट से 50 परसैंट तक नुकसान हो रहा है लेकिन असलियत में उन किसानों की फसलों का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा

का नुकसान हो चुका है इसलिए किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाये और मुझे आशा है कि सरकार किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करेगी क्योंकि किसान पूरी तरह से पिट चुका है।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं जो आपके द्वारा कही गयी है कि मैंने एक ही विषय पर दो बार लिखा है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब सरसों के ऊपर पाले की मार से फसलों का नुकसान हुआ था तो उस पर मैंने 19 तारीख को आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। जिसकी रिसीविंग 20 तारीख की है। उसके ठीक एक महीने बाद बहुत भारी ओलावृष्टि और बहुत ज्यादा बरसात की वजह से फसलों का नुकसान हुआ, उसके ऊपर जो मैंने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया उसकी रिसीविंग दिनांक 20.03.2023 की है। अध्यक्ष जी, बेसिकली ये दोनों विषय कृषि के नुकसान के हैं लेकिन इनमें एक महीने का गैप है। इसलिए मैंने दो नोटिस दिये थे। अध्यक्ष जी, मैं पहले सरसों के संबंध में अपना प्रस्ताव पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, जो आपकी ध्यानाकर्षण सूचना है आप वह पढ़िये।

राव दान सिंहः ठीक है अध्यक्ष जी, मैं लास्ट का प्रस्ताव पढ़ देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिनांक 19.03.2023 को प्रदेश में भारी ओलावृष्टि, बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। यहां पर किसानों को गेंहू, चना और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी दिखाई देती है। सरसों की कटी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जिसके कारण यहां का किसान पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। इस समय पर अगर सरकार द्वारा उसको मदद नहीं दी गई तो वह किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। मेरा अनुरोध है कि सरकार यहां पर तुरंत गिरदावरी करवाकर वहां के किसान को उचित मुआवजा दे। मैं अंत में सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर सरकार सदन में अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आप भी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िये।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद एनसीआर सहित हरियाणा में बेमौसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित

के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में बेमौसम बारिश हो रही है जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों एवं अन्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार इस सदन को बताएं कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है। सदन में इस अति आवश्यक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्षः जरावता जी, आप भी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िये।

श्री सत्यप्रकाश जरावताः अध्यक्ष महोदय, मैं खंड पटौदी एवं फर्रूखनगर के किसानों की सरसों, गेहूं, जौ और चने इत्यादि की फसलें खराब होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसान प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पिछले 2 दिनों से अचानक बारशि हो रही है जिससे किसान को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है और किसान की खड़ी फसल (सरसों, गेहूं, जौ और चने) ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि खंड पटौदी एवं फर्रूखनगर के किसानों की सरसों, गेहूं, जौ और चने इत्यादि की फसलें खराब हो गई हैं इसलिए विशेष गिरदावरी कराने के आदेश जारी करके इस महान सदन को अवगत करवाया जाए और उचित मुआवजे की घोषणा की जाए।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विषय पर सरकार का ध्यान आ ही गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष गिरदावरी की घोषणा कर दी है, फिर भी मैं फसल मुआवजे के लिए पटौदी और फर्रूखनगर की विशेष गिरदावरी करवाने का अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76 के द्वारा, श्री चिरंजीव राव, विधायक रेवाड़ी, एनसीआर सहित हरियाणा में बेमौसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 दिनों से रेवाड़ी एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में बेमोसम बारिश हो रही है जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों एवं अन्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार इस सदन को बताए कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास क्या योजना है। सदन में इस अति आवश्यक महत्वपूर्ण मामले में चर्चा की जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77 के द्वारा, राव दान सिंह, विधायक प्रदेश में भारी ओलावृष्टि और बरसात के कारण दक्षिणी हरियाणा में किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि दिनांक 19.03.2023 को प्रदेश में भारी ओलावृष्टि, बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और वहां पर किसानों की गेहूं, चना और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरसों की कटी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जिसके कारण वहां का किसान पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। इस समय अगर सरकार द्वारा उनको मदद नहीं दी गई तो वह किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेगा। माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं कि सरकार वहां पर तुरंत गिरदावरी करवाकर वहां के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये। अतः माननीय सदस्य सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर सरकार सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 79

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 79 के द्वारा, श्री जगदीश नायर, विधायक एवं प्रवीण डागर, विधायक हरियाणा के पलवल व अन्य जिलों में भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के हुए नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि बीती रात दिनांक 20.03.2023 को हरियाणा के जिला पलवल व अन्य जिलों में भारी बारिश व ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों की फसल गिर गई है और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है। किसानों की फसल को हुए भारी नुकसान की तरफ दिलाना चाहते हैं किसान वर्ग भारी चिंता में है। अतः माननीय सदस्यगण माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि किसानों की बर्बाद हुई फसल की चर्चा सदन में की जाए व किसानों की बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी और नुकसान की भरपाई की तरफ ध्यान दिया जाए।

वक्तव्य–

उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

श्री अध्यक्षः अब माननीय उप–मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

उप–मुख्यमंत्री(श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है।

सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शार्ट–सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, शीत लहर/पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प/हथकरघा नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत सम्पति के नुकसान के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है।

बाढ़/जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए राज्य सरकार के मुआवजे के मानदण्ड भारत सरकार के मानदण्डों की तुलना में अधिक हैं। 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान अधिकतम 5 एकड़ सीमा के अधीन भारत सरकार द्वारा 17,000/– रुपये प्रति हैक्टेयर (6883/– रुपये प्रति एकड़) मुआवजा प्रदान किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर 15,000/– रुपये प्रति एकड़, 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 12,000/– रुपये प्रति एकड़ और 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 9,000/– रुपये प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाता है (प्रति हिस्सेदार को न्यूनतम 500 रुपये बोये गये क्षेत्र तथा अधिकतम 5 एकड़ प्रति किसान सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाती है)। 25 प्रतिशत से कम फसल नुकसान होने पर कोई राहत प्रदान नहीं की जाती है जबकि 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच फसलों में हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा राशि राज्य सरकार के बजट से वहन की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2023 तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भारी वर्षा/जल भराव, आग, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/पाला से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3902.43 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

पाले व खराब मौसम के कारण फसलों व सब्जियों की फसल खराब होने बारे

श्रीमान् जी, राजस्व एवं आपका प्रबन्धन विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक correction slip/H.L.R.M/No.1430-ARS-2-2019/7813, दिनांक 30.07.2019 अनुसार प्रदेश में दिनांक 01 फरवरी से 01 मार्च तक रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी की जाती है। इस अवधि के दौरान यदि फसलों में कोई खराबा पाया जाता है तो उसे सामान्य गिरदावरी में ही कवर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के पत्र क्रमांक 59–ई.आर–05–2023/686, दिनांक 02.02.2023 द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि राज्य में शीत लहर/पाला तथा भारी वर्षा/ओलावृष्टि से रबी फसल, 2023 में कोई नुकसान हुआ है तो उसे सामान्य गिरदावरी में कवर करते हुए खराबा रिपोर्ट अपने संबंधित मण्डलीय आयुक्त के माध्यम से कथित प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के नॉर्म्ज दिनांक 24.05.2022 व भारत सरकार के नॉर्म्ज दिनांक 10.10.2022 अनुसार सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से रबी फसल 2023 की खराबा रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नॉर्म्ज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी। जहां तक जल भराव के कारण रबी फसल 2023 की बिजाई न हो पाने का सम्बन्ध है, बारे मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा मैं यह ऐड करना चाहूंगा कि जो पिछले 4 दिनों की बारिश का मामला सभी सदस्यों ने सदन में उठाया है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए कल ही हरियाणा सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिये हैं जिसमें अभी तक यह रिपोर्ट आई है कि प्रदेश के 11 जिलों में फसलों को 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है तथा बाकी 11 जिलों में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि सरकार किस–किस नुकसान का मुआवजा देती है। मैंने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी थी वह दो दिन पहले दी थी और उसी को मैंने सदन में पढ़ा है लेकिन पिछले दो दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। केवल 15–20 प्रतिशत सरसों ही कटी थी बाकी तो सारी की सारी सरसों बर्बाद हो गई है। इसी प्रकार से गेहूं की फसल बिल्कुल लेट गई है और अगर आज ढंग से उसकी गिरदावरी की जाये तो उसमें 75–80 प्रतिशत तक का नुकसान है।

श्री अध्यक्ष: कुंडू साहब, आप यह बताइये कि आपका प्रश्न क्या है?

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, अब जैसे सरकार द्वारा गिरदावरी के आदेश दे दिये हैं कि जल्दी गिरदावरी होगी और नुकसान का आंकलन करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिस जमीन पर बारिश के जल भराव के कारण बिजाई नहीं हुई उसको 7 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। इस बारे में मेरा कहना यह है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा किसी को वह मुआवजा नहीं दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब जो किसानों को नुकसान हुआ है इसमें भी सिर्फ घोषणा की जा रही है या इसको धरातल पर इम्पलीमैंट किया जायेगा? यह एक बहुत गम्भीर विषय है और आज किसान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहां सदन में जो बोला जाये उसको धरातल पर इम्पलीमैंट किया जाये। यहां सदन में खाली घोषणा कर दें और बाद में वह इम्पलीमैंट न हों तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने यहां सदन में खड़े हो कर यह घोषणा की थी कि जिस जमीन पर बारिश से जल भराव के कारण बिजाई नहीं हो पाई है उनको 7 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। उसकी न तो गिरदावरी हुई, न कोई जांच हुई और न ही किसी को एक पैसा मिला, यह रिकॉर्ड में है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फसल के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है वह 7 से 10 दिन होना चाहिए क्योंकि हमारे किसान अनपढ़ हैं, उनको पोर्टल की इतनी जानकारी नहीं है जिसके कारण 25–30 प्रतिशत तो पोर्टल पर अपलोड ही नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री जी को जो रिपोर्ट दी जाती हैं वे दफ्तरों में बैठ कर तैयार की जाती हैं। मेरा कहना यह है कि धरातल की रिपोर्ट मंगवाइये तथा किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलवाइये। आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए जिसमें हर पार्टी के सदस्यों को शामिल कीजिए और वह कमेटी आपको सही रिपोर्ट देगी।

श्री अध्यक्ष: कुंडू साहब, आपका प्रश्न हो गया है अब आप उप–मुख्यमंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसलिए आप मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। मुख्यमंत्री जी उस 7 हजार रुपये मुआवजे वाली बात का जवाब अवश्य दें कि वह इम्पलीमैंट क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्षः कुंडू साहब, गम्भीर विषय है तभी तो डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये और उप–मुख्यमंत्री को जवाब देने दीजिए।

उप–मुख्यमंत्री(श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले 4 दिनों में प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि किसान की फसल के असली नुकसान का आज पता नहीं चल पायेगा कि कितना नुकसान हुआ है। अगले 5–7 दिन में एग्जैक्ट पता चलेगा कि किसान की फसल को कितना नुकसान हुआ है इसीलिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिये गये हैं। हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है जिस पर अब तक 2720 गांवों के 34064 किसानों ने 1,57,504 एकड़ का पिछले 6 महीनों में फसलों के खराबे को सरकार को अपडेट करवाने का काम किया है जिसकी रेगुलर वैरिफिकेशन होती है। माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही है कि 7 हजार या 9 हजार रुपये मुआवजा नहीं मिला है तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी की फसल का 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है तो उसको 15 हजार रुपये पहले भी मिले हैं और अब भी मिलेंगे। रबी फसल 2022 में ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई थी उसका 151.42 करोड़ रुपया हमने जिलावार ट्रैजरीज में भिजवा दिया है। खरीफ फसल 2021 में भारी बारिश हुई थी तथा फसलों पर कीट हमले हुए थे उसके भी 614.63 करोड़ रुपये हमने जिला स्तर पर भिजवा दिये थे। इसी प्रकार से रबी 2021 में कोई नुकसान नहीं हुआ। खरीफ फसल 2020 में कीट हमलों से जो नुकसान हुआ था उसके 269.77 करोड़ रुपये हमने किसानों के खातों में भिजवाए तथा रबी फसल 2020 के लिए 114.44 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के तौर पर दिये गये। इस प्रकार पिछले दो अढ़ाई साल से आज तक कुल मिला कर 1150.26 करोड़ रुपये किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए भिजवाये हैं जो कि यू.पी.ए. के 10 साल के बराबर हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जहां पाला पड़ा वहां पर जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट अवेटिड है। अगर पाले की वजह से किसी की भी सरसों का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जायेगी। अब बारिश तथा ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, सब्जी या किसी अन्य फसल का नुकसान

हुआ है तो उसकी भी सरकार स्पैशल गिरदावरी करवा कर मापदण्डों के अनुसार पूरी तरह से उसकी भरपाई करेगी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने जल भराव के मुआवजे के लिए किसानों को 23 हजार एकड़ के लिए साढे पंद्रह करोड़ रुपया दिया था।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, किसी भी किसान को जल भराव का मुआवजा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आपके महम के किसानों को मुआवजा मिला है या नहीं? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुआवजा राशि बताई है यह अलग–अलग नहीं है। यह पूरे स्टेट की मुआवजा राशि है।(विघ्न) माननीय सदस्य सुन तो लें। मैं बता रहा हूं। (विघ्न) कुछ एकड़ जमीन का जिनका जल भराव का पैसा नहीं गया है उसके बारे में माननीय सदस्य पर्टिकुलर लिख कर दे दें तो हम संबंधित के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे क्योंकि यहां से तो पैसा रिलीज हुआ है और वहां किसान के खाते में नहीं पहुंचा है तो हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी प्लीज आप बैठ जाइये।(विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : मुख्यमंत्री जी, आपके अपने गांव में भी अभी तक जल भराव का पैसा नहीं मिला है जिसके बारे में मैंने पहले भी लिखकर दिया था।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों का पैसा नहीं मिला है उनकी हम इंक्वायरी करवाएंगे।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाईये। आपकी कही हुई कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, ******** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। प्लीज आप बैठ जाइये। मैं आपको बार–बार कह रहा हूं।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान की बात कर रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यहां सभी लोग किसान की ही बात कर रहे हैं। यहां किसान का ही

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

मैटर डिस्कस हो रहा है। अकेले आप ने किसानों का ठेका नहीं ले रखा है। बाकी सब भी किसान के हितेषी हैं। आप प्लीज बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडु : अध्यक्ष महोदय, ******** (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ये मंत्री जी का जवाब पढ़ रही थी जिसमें लिखा है कि किसान की फसल का 25 प्रतिशत नुकसान है तो इतना मुआवजा देंगे और 75 प्रतिशत नुकसान है तो इतना मुआवजा देंगे। यह सब तो हमें भी मालूम है कि किसका कितना प्रतिशत मुआवजा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका प्रश्न क्या है? वह पूछिये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि वर्ष 2020–21 में जो कॉटन का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा अभी तक भी किसान तक नहीं पहुंचा है। पहले सरसों का नुकसान हुआ था और उसके बाद अब रबी की पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है। गेहूं की फसल खराब हो गई है, सारा का सारा गेंहू बिछ गया है। उसका मापदंड भी आप इन्हीं मापदंडों के मुताबिक दोगे या आप इस मुआवजे को किस रेशो के अन्दर दे पाओगे? यह हम पूछना चाहेंगे? पिछले दो महीने दिसम्बर, जनवरी महीने के अन्दर पाला पड़कर जो सरसों की फसल खराब हो गई है उसकी अभी तक गिरदावरी पूरी नहीं हुई है। अब तक जब गिरदावरी ही पूरी नहीं हुई है तो फिर मुआवजा कब दिया जाएगा? आप हमें ये सारी बात बताएं।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दो बात पूछी हैं जिसमें एक यह कहा है कि किसानों को उनकी फसल खराबे का पुराना मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उस संबंध में मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2020 का नॉन पैडी, नॉन व्हीट का फसल खराबे का मुआवजा 8 करोड़ 62 लाख रुपया ऑलरेडी भेज दिया गया है। इसकी तारीख भी मैं आपको अलग से लिख कर दे दूंगा और खरीफ की फसल का वर्ष 2021 का मुआवजा हमने 7 करोड़ 70 लाख रुपये के आसपास भेजा है। इसमें दिक्कत यह आती है कि अब किसान को चैक काट कर नहीं दिये जाते। पहले एक प्रथा थी कि एक रुपये, डेढ़ रुपये, दो रुपये, पांच रुपये और 10 रुपये के मुआवजे के चैक के फोटो हम टी.वी. पर देखते थे लेकिन आज के

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

दिन डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा है और डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए किसान को ट्रेजरी में जाकर अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही किसान अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवाएगा, सेम डे उसकी फसल के मुआवजे का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं माननीय सदस्या को भी कहना चाहूंगा और एफ.सी.आर. भी यहां बैठे हैं उनको भी कहूंगा कि आप जिला वाईज ये कैंप जरूर लगाएं। उसमें अगर कोई भी किसान आकर कहता है कि उसका क्लेम बनता है और ट्रेजरी में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत मुआवजे का पैसा दिया जाए। इस संबंध में मैं आपके नॉलिज में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक का मुआवजे का गया हुआ 200 करोड़ रुपया आज भी ट्रेजरी में अन यूटीलाईज्ड पड़ा है। वर्ष 2015 से 2020 और आज तक का मुआवजे का कुल मिलाकर लगभग 1000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट वाईज ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। जहां किसान अपना क्लेम लेने ही नहीं आते। मैं तो यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर हाऊस प्रस्ताव करता है तो जिस फसल के मुआवजे का पैसा कोई क्लेमेंट तीन साल, पांच साल से लेने नहीं आता है तो उस पैसे का सरकार किसान के हित के लिए कहीं और तो उपयोग कर सकती है। इसके साथ–साथ माननीय सदस्य ने सरकार द्वारा मुआवजा न देने की बात भी कही। खरीफ की फसल, 2016 से लेकर रबी की फसल, 2021–22 के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आंकड़ा बताता है कि किसान के खाते में 5657.02 करोड़ रूपये have been disbursed प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो पैसे गए हैं, वह अलग से गए हैं तो माननीय सदस्या का यह कहना कि मुआवजे का पैसा नहीं जाता, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही रिपोर्ट बनती है, जैसे ही एप्रूवल मिलती है, सरकार तुरंत पैसे भेजने का काम करती है। इसके बाद फार्मर्ज की लिंकेज उसके अकाउंट के साथ करानी जरूरी है और जैसे ही यह हो जाती है, पैसा उनके खाते में सेम डे पहुंच जाता है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, ***। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप बगैर मेरी इजाजत के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आपकी कुछ भी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। अब कुंडू जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका पार्टली आनसर

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, लगातार बारिश से, सूखे से, पाले से फसलें खराब होती जा रही हैं और इसके लिए 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत नुकसान की अवस्था में मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जिस प्रकार का यह माहोल लगातार चल रहा है, इससे पता चलता है कि किसान और खेती पूरी तरह से बैठ चुकी है। यह जो लगातार नुकसान हुआ है, के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इसका मुआवजा बढ़ाने का काम किया जायेगा या फिर इसे इक्ट्ठा ही देने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां से नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा मंगवाइये ताकि स्टेट डिजास्टर फंड की तरफ से किसान भाइयों को मुआवजे के रूप में अधिक पैसा दिया जा सके। आज ऐसे हालत हैं कि किसान पूरी तरह से धरती पर लेट चुका है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही, के संदर्भ में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि natural calamity is not Government's fault. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या तो पढ़ी–लिखी हैं it is an act of God.

Smt. Kiran Chaudhry: Speaker Sir, I also understand that natural calamity is Force Majeure. I understand that.

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, किसान की पीड़ा हमें भी पता है। माननीय सदस्या ने कहा कि यह हर साल होती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह काम सरकार करा रही है ? कांग्रेस करा रही है तो हमें इसका पता नहीं है ? हम तो यह काम नहीं कराते।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, होता तो आ रहा है ना। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रही हूँ कि होता आया है और हम तो यह चाहते है कि भगवान ऐसा न करे लेकिन बावजूद इसके ऐसा होता आया है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, किसान की पीड़ा को समझते हुए समयानुसार किसान की आर्थिक मदद करने का काम सरकार का है और मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इनके 10 साल के कार्यकाल के बराबर की मुआवजे की राशि को हमारी सरकार ने दो–सवा दो साल की समयावधि में देने का काम किया है। यही नहीं, अब भी यदि किसान की एक इंच फसल का भी नुकसान होगा तो उसकी भी पूरी भरपाई सरकार करेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह जो नैचुरल कैलामिटी है I just want to clarify it that I understand natural calamity very well. May be, even I understand it better than the Hon'ble Dy. Chief Minister. May be he does not understand what Force Majeure means.

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं। अतीत में भी सरकार ने मुआवजे देने का काम किया है। गिरदावरियां भी spontaneous करवाई हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि पहली बार जिस सरसों की फसल पर पाले ने मार की थी, वह फसल आज कट चुकी है और उसकी आज तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई है तो इसको किस तरह से एसैस कर पायेंगे और कैसे उस किसान के नुकसान की भरपाई हो पायेगी ? दूसरी बात यह है कि इसकी कोई समय सीमा है या नहीं है, या ये कोई ऐसा प्रावधान तय कर रहे हैं कि इतने तक अदायगी कर देंगे, इसके बाद की अदायगी नहीं हो पायेगी। तीसरी बात पोर्टल पर एप्लाई करने की बात कही गई। पोर्टल पर इस दौरान इतना ज्यादा रश रहा था कि कभी तो पोर्टल खुला नहीं मिला और यदि खुला मिला तो नैटवर्क बिजी मिला। इस वजह से भी बहुत से लोग वंचित रह गए। क्या सरकार इन लोगों को भी एक मौका देगी ताकि जो वंचित रह गए हैं वे दोबारा से पोर्टल पर एंट्री करा सकें।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि जिसकी फसल कट चुकी है उसको कैसे मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पाले से खराब हुई फसल के बारे में माननीय सदस्य द्वारा एक कालिंग अटैंशन भी दी गई थी। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले के कनीना में 628 हैक्टेयर में गेहूं और 1009 हैक्टेयर में सरसों की फसल खराब हुई है। वहीं महेन्द्रगढ़ में गेहूं की फसल 6261 हैक्टेयर में और सरसों की फसल 6889 हैक्टेयर में खराब हुई है। नांगल चौधरी में लगभग 537 हैक्टेयर गेहूं की फसल खराब हुई और नारनौल के अंदर यह स्थिति 115 हैक्टेयर में थी। यह प्राइमरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल गिरदावरी से आई है। इसके बाद स्पेशल गिरदावरी के कल आदेश दिए गए हैं। ओलावृष्टि और बारिश से जो अब अर्थात पिछली 18, 19, 20 और 21 तारीख को नुकसान हुआ है, जैसे ही इसकी रिपोर्ट आयेगी, वह भी इसके साथ क्लब हो जायेगी। उन किसानों को भी एड करके, जैसाकि किरण चौधरी जी 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत नुकसान की भरपाई की बात कह रही थी, की तर्ज पर किसानों को 9000, 12000 और 15000 के हिसाब से मुआवजा देने का काम किया जायेगा।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। ना होता अगर जल– तो जल जाता जल। हमारी विधान सभा क्षेत्र खासतौर से एन.सी.आर. का पार्ट भी है और एन.सी.टी. का भी पार्ट हैं। हमारी सरकार से यह मांग है कि जैसे पीछे ग्रैप (GRAP) ग्रेडिड रिसपोंस एक्शन प्लान आया था और जैसे कि हमारे यहां पर ग्रीन सैस देने का काम किया जाता है या हमारे जिले का कोई आदमी बाकी हरियाणा में एफोर्डेबल हाउस लेना चाहता हैं तो मैं उस रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपका प्रश्न क्या है। सदन में अब एफोर्डेबल हाउस की बात नहीं हो रही है बल्कि किसानों की बात कही जा रही है। एफोर्डेबल हाउस कहां से आ गया ?

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी ग्रीन सैस और दूसरी बातें कही उसका मतलब यह है कि ये सैस हमारे यहां के लोगों द्वारा ज्यादा दिया जाता है। हमारे यहां कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। हमारे यहां कोई बड़ा किसान भी नहीं है। केवल आधा एकड़ या एक एकड़ के ही ज्यादातर किसान हैं। उनकी लागत बहुत ज्यादा है और यहां पर लैंड की कोस्ट भी बहुत ज्यादा है। जब हम बाकी चीजों पर एक्स्ट्रा–पे करते हैं तो उसी हिसाब से जब भी कोई मुआवजे की बात आती है तो हमारे जिले के किसानों को भी कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा देने का काम किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी लागत बाकी जिलों के किसान की लागत से बहुत ज्यादा है। जहां तक पानी की बात है। एक तो हम पानी की वजह से वैसे ही परेशान हैं। नहरी पानी हमें वैसे ही मिल नहीं रहा है। जमींदार अपने पर्सनल ट्यूबवैल लगाकर पानी का इंतजाम करते हैं। हमारे यहां पर किसान सब्सिडी वाली चीजों पर भी ज्यादा डिपैंड नहीं हैं। जमीन से बोर वगैरह करके पानी निकालते हैं और आधे–आधे, एक–एक एकड़ जमीन में अपनी खपत के लिए अनाज और सब्जी वगैरह उगाते हैं ताकि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा कम से कम हो। अब तो हमारे यहां पाली में कूड़ा घर खोल दिया गया है जिसकी वजह से पानी प्रदूषित होने की बात भी की जा रही है तो इन बातों के मद्देनज़र मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे जिले के जमींदारों को कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा देने का काम किया जाना चाहिए। जब हमारे यहां के लोग बाकी चीजों पर एक्स्ट्रा पेमैंट कर रहे हैं तो सरकार को सहूलियत देते समय भी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, टैक्स का रेट पूरे हरियाणा में एक ही है। ऐसे थोडे ही है जी.एस.टी. फरीदाबाद में ज्यादा हो और पंचकुला में कम हो।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह मुमकिन नहीं है। मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि हम हरियाणा के एक–एक आदमी को बराबर तोलते हैं। हम फरीदाबाद को फालतू दें दे और दूसरे का कम दे दें तो आज ही एक अलग से लड़ाई शुरू हो जायेगी। हमारी सोच यह है कि अगर किसी की एक इंच फसल का भी नुकसान होगा तो उसके बराबर भरपाई करने का काम सरकार करेगी। इस तरह के मापदंडों पर हमारी सरकार काम करती है।

श्री सत्य प्रकाश जरावताः अध्यक्ष महोदय, पटौदी और फरूखनगर में सरसों की बहुत ज्यादा फसल खराब हुई है। यहां की भी विशेष गिरदावरी करवाई जाये और मुआवजा देने का काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जिले की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इस संबंध में डिप्टी कमीशनर से आग्रह किया गया है कि जितना नुकसान हुआ है, उसको कंपाइल किया जाये। जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उस हिसाब से गुड़गांव जिले की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब कालिंग अटैंशन का समय समाप्त होता है।

———————————

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर कागज–पत्र रखना।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब आप नैकस्ट बिजनेस पर आगे बढ़ें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर निम्नलिखित कागज पत्र रखता हूँ:–

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/53/2021/द्वितीय संशोधन/2022, दिनांकित 26 दिसंबर, 2022.

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/58/2022, दिनांकित 28 दिसंबर, 2022.

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/56/द्वितीय संशोधन/2023, दिनांकित 4 जनवरी, 2023.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018–2019 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

राज्य वित्तिय अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020–2021 के लिए हरियाणा वित्तिय निगम की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–आई के खण्ड 4 तथा अनुच्छेद 243–वाई के खण्ड 2 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग, हरियाणा द्वारा दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के अनुसार संशोधित व्याख्यात्मक ज्ञापन।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड–2 के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्तों लेखा परीक्षण रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट–2 पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

श्री वरुण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, नेवा पोर्टल के माध्यम से जो पेपर ले हुए हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए कहना चाहता हूं कि सीरियल नम्बर 5.3 पर हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की कुछ अमैंडमैंट्स रेगुलेशन में आयी हैं। इसमें इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है कि जो भी रेगुलेशंज बनेंगे, पहले उसकी गवर्नमैंट से एप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां पर आर.टी.आई. के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा हरियाणा सरकार से एप्रूवल ली ही नहीं गयी। इससे पहले के जो रेगुलेशंज थे जोकि दिनांक 26.12.2022 को इसी सदन में ले हुए थे। उसके अन्दर साफ लिखा गया था कि– "the Commission has been empowered to make its regulations regarding the terms and conditions of service of its employees with the approval of the State Government as per Section 91 of the Electricity Act, 2003." लेकिन इस बार इसको बदलकर जो रेगुलेशंज बनाये गये और अब जो उस रेगुलेशंज की अमैंडमैंट आयी है। इसके अन्दर सरकार की एप्रूवल लिये बिना ही इनको विधान सभा में ले कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर चाहूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, यह विषय अभी आया है। इसकी जानकारी लेकर जांच करवाई जाएगी।

.....

नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।

(1) अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री राम निवास, विधायक, चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति, वर्ष 2022–23 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति (श्री राम निवास): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(2) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, विधायक, चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति, वर्ष 2022–23 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति (श्री असीम गोयल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में समिति की 69वीं रिपोर्ट नैशनल ई–विधान एप्लीकेशन (नेवा) के माध्यम से सदन के पटल पर रखने की अनुमति देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । स्पीकर सर, जैसा कि हम जानते है राज्य के लोक उपक्रमों में हरियाणा सरकार एक अहम् stakeholder है । न केवल इन उपक्रमों में एक बड़ा हिस्सा सरकारी निवेश का लगा हुआ है बल्कि ये उपक्रम एक मुख्य utility के रूप में भी कार्य करते है इसलिए इन उपक्रमों की कार्यशैली परः–

(क) चाहे ऑडिट पैराज की चर्चा के दौरान, सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में जांच के दौरान फिर उनकी कार्यशैली पर अलग से विस्तारपूर्वक चर्चा के माध्यम से समिति उनका मार्गदर्शन अपनी सिफारिशों के रूप में निरंतर करती रहती है।

(ख) मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022–23 के दौरान समिति ने लगभग 45 मीटिंग्ज के आयोजन के दौरान CAG की राज्य PSUs पर वर्ष 2018–19 व 2019–20 की दो रिपोर्टों पर समिति के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग द्वारा विस्तार से चर्चा की व इस दौरान corrective action व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए लगभग 30 सिफारिशें की गई जिन पर विभागों को तय सीमा में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए

गए । अध्यक्ष महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन से समिति ने वर्ष 2021 तक की सभी सी.ए.जी. रिपोर्ट्स एग्जामिन कर ली हैं ।

(ग) अध्यक्ष महोदय, समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों का प्रबंधन ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार करने पर जोर दिया और समय–समय पर संबंधित विभागों के साथ समिति अपनी बैठकें भी करती रहती है और आवश्यक सिफारिशें भी करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 31 मार्च, 2019 और 2020 के समाप्त वर्षों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सामाजिक सामान्य आर्थिक क्षेत्रों के अनुपालन लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की 69वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ ।

(3) प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2022–23 के लिए प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति (श्री हरविन्द्र कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं ।

(4) जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री दीपक मंगला, विधायक, चेयरपर्सन, जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति, वर्ष 2022–23 के लिए जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति (श्री दीपक मंगला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए जन–स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं ।

(5) याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक, चेयरपर्सन, याचिका समिति, वर्ष 2022–23 के लिए याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, याचिका समिति (श्री घनश्याम दास अरोड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट नैशनल ई–विधान एप्लीकेशन (नेवा) पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं ।

(6) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री जगदीश नायर, विधायक, सदस्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर संबंधी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।

सदस्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति (श्री जगदीश नायर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति की आठवीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की 52वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब श्री भारत भूषण बतरा विधायक, चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, वर्ष 2022–23 के लिए सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की 52वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों से संबंधित (श्री भारत भूषण बतरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की कुल 43 मीटिंग्स हुई। समिति की 51वीं रिपोर्ट में कुल 598 आश्वासन थे। समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से 32 विभागों के साथ मौखिक परीक्षण किया गया तथा सभी विभागों के प्रदर्शन/कार्य से संतुष्ट होकर समिति ने 282 आश्वासनों को ड्रॉप किया। बिजली विभाग के कुल 26 आश्वासन थे इनमें से समिति ने 24 आश्वासनों को ड्रॉप किया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कुल 74 आश्वासन थे इनमें से समिति ने 44 आश्वासनों को ड्रॉप किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन के सामने यह

बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गांव बाढ़सा, झज्जर में आई.आई.टी. दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस की स्थापना का मुद्दा सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 148 के माध्यम से 26 जनवरी, 2020 को उठाया गया था इस प्रश्न से संबंधित आश्वासन हमारी सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की रिपोर्ट में आया। अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा–सा इम्पोर्टैंट है। हमारी समिति की मीटिंग दिनांक 25.08.2022 को तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा आई.आई.टी., दिल्ली के निदेशक एवं प्रोफेसरों के साथ हुई। अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, समिति का विचार था कि तकनीकी शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आई.आई.टी., दिल्ली के निदेशक एवं प्रोफेसरों की एक बैठक आयोजित करें ताकि इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके क्योंकि प्रदेश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आई.आई.टी. के सारे डायरेक्टर्ज और दूसरे अधिकारियों को बताया और यह एक्सटैंशन सैंटर बहुत एंबिशियस प्रोजैक्ट है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से ग्रान्ट भी जरूर मांगी होगी। इस समिति में माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, श्री राजेन्द्र सिंह जून, श्री दुड़ा राम, श्री महीपाल ढांडा, श्री आफताब अहमद, श्री सीता राम यादव, श्री सुभाष गांगोली, श्री अमरजीत ढांडा और माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी शामिल हैं। मैं इस समिति के सभी सदस्यों के सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं।

मैं वर्ष 2022–23 के लिए सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की 52वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

————————

सरकारी प्रस्ताव–

(Regarding the objection on levy of water cess by the Govt. of Himachal Pradesh on the Hydro Projects)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

1.0 This House is concerned about the ordinance issued by the Govt. of Himachal Pradesh (Ordinance No.2 of 2023) to impose water cess on the Hydro power projects for non consumptive use of water for

Power generation (Annexure A). The Himachal Pradesh states water resources are now the Governments' property, while any proprietary, riparian, or usage rights with any individual, Group, company, corporation, society or community are deemed to have been terminated.

2.0 The House acknowledges and recognizes the right of the state of Haryana over the use of water flowing into the State for all purposes. All the BBMB projects which have since been constructed with investment made by the State of Haryana with other partner States, largely happened to be situated within the territory jurisdiction of the State of Himachal Pradesh. With this new levy of water cess, the Govt. of HP is trying to put additional tax burden on the State of Haryana as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy there will be an additional financial burden amounting to Rs.1200 Cr. Per annum on partner states out which around Rs.336 Cr. will be burden on State of Haryana. This new levy is not only infringement of the exclusive rights of the State over its natural resources but will also result in additional financial burden for generation of power resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Govt. of Himachal Pradesh is against the provision of the Inter State Water Dispute Act, 1956. The State of Haryana through the Bhakra Beas Management Projects is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite Share of Haryana and Punjab to Himachal Pradesh.

3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the Govt. of Himachal Pradesh. This House also requests the Govt. of India to use its good offices to prevail upon the State Govt. of Himachal Pradesh to withdraw the Ordinance as the same is in violation of the Central Act i.e. Inter State Water Disputes Act, 1956.

अध्यक्ष महोदय, यह जो ऑर्डिनेस हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है यह एकदम इल्लीगल है क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है, समझौते हुए हैं। हिमाचल सरकार द्वारा जो वाटर सैस लगाया गया है जिससे 336 करोड़ करोड़ रुपये का एडिशनल बर्डन आयेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सैस को बिल्कुल विद ड्रा करना चाहिए। यह मेरा विधान सभा के सामने एक प्रस्ताव है और मैं इस प्रस्ताव के माध्मय से हिमाचल प्रदेश सरकार के इस ऑर्डिनैस को कंडैम करता हूं। मेरा निवेदन है कि विधान सभा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करे ताकि इस रेजोल्यूशन को हम आगे भेज सके।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

1.0 This House is concerned about the ordinance issued by the Govt. of Himachal Pradesh (Ordinance No.2 of 2023) to impose water cess on the Hydro power projects for non consumptive use of water for Power generation (Annexure A). The Himachal Pradesh states water resources are now the Governments' property, while any proprietary, riparian, or usage rights with any individual, Group, company, corporation, society or community are deemed to have been terminated.

2.0 The House acknowledges and recognizes the right of the state of Haryana over the use of water flowing into the State for all purposes. All the BBMB projects which have since been constructed with investment made by the State of Haryana with other partner States, largely happened to be situated within the territory jurisdiction of the State of Himachal Pradesh. With this new levy of water cess, the Govt. of HP is trying to put additional tax burden on the State of Haryana as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy there will be an additional financial burden amounting to Rs.1200 Cr. Per annum on partner states out which around Rs.336 Cr. will be burden on State of Haryana. This new levy is not only infringement of the exclusive rights of the State over its natural resources but will also result in additional financial burden for generation of power resulting in the higher cost of generation of

electricity. The levy of water cess by Govt. of Himachal Pradesh is against the provision of the Inter State Water Dispute Act, 1956. The State of Haryana through the Bhakra Beas Management Projects is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite Share of Haryana and Punjab to Himachal Pradesh.

3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the Govt. of Himachal Pradesh. This House also requests the Govt. of India to use its good offices to prevail upon the State Govt. of Himachal Pradesh to withdraw the Ordinance as the same is in violation of the Central Act i.e. Inter State Water Disputes Act, 1956."

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Speaker Sir, we agree with the संकल्प पत्र presented by the Hon'ble Chief Minister. मैं इस संकल्प पत्र के पैराग्राफ 3.0 में दो लाईनें ऐड करने के लिए कहूंगा। पैराग्राफ 3.0 में लिखा है कि –

"3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal,.."

मैं चाहूंगा कि इसके बाद में ये लाइंज भी ऐड कर दें–

"not binding upon the State of Haryana. This Ordinance should be withdrawn immediately by the State Government of Himachal Pradesh."

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :अध्यक्ष महोदय, ठीक है बतरा जी का संशोधन इसमें जोड़ दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाऊस की सहमति हो तो बतरा जी ने संकल्प में जो अमैंडमैंट मूव की है उसको इसमें शामिल कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बतरा जी ने संकल्प में जो अमैंडमैंट मूव की है उसको इसमें शामिल कर लिया जाए।

Smt. Kiran Choudhry (Tosham) : Speaker Sir, we support the resolution moved by the Hon'ble Chief Minister because this is a question of Haryana and we support what is in favour and in the interest of Haryana.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमने वैसे तो सदन की पूरी कार्यवाही हिन्दी में चलाने का संकल्प किया है लेकिन यह संकल्प पत्र हिन्दी में अभी नहीं आया है, इसलिए मैं इस संकल्प पत्र को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। यह बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी लैंग्वेज बैन तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, अंग्रेजी लैंग्वेज बैन तो नहीं है, फिर भी यह बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री आफताब अहमद : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

1.0 This House is concerned about the ordinance issued by the Govt. of Himachal Pradesh (Ordinance No.2 of 2023) to impose water cess on the Hydro power projects for non consumptive use of water for Power generation (Annexure A). The Himachal Pradesh states water resources are now the Governments' property, while any proprietary, riparian, or usage rights with any individual, Group, company, corporation, society or community are deemed to have been terminated.

2.0 The House acknowledges and recognizes the right of the state of Haryana over the use of water flowing into the State for all purposes. All the BBMB projects which have since been constructed with investment made by the State of Haryana with other partner States, largely happened to be situated within the territory jurisdiction of the State of Himachal Pradesh. With this new levy of water cess, the Govt. of HP is trying to put additional tax burden on the State of Haryana as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy there will be an additional financial burden amounting to Rs.1200 Cr. Per annum on partner states out which around Rs.336

Cr. will be burden on State of Haryana. This new levy is not only infringement of the exclusive rights of the State over its natural resources but will also result in additional financial burden for generation of power resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Govt. of Himachal Pradesh is against the provision of the Inter State Water Dispute Act, 1956. The State of Haryana through the Bhakra Beas Management Projects is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite Share of Haryana and Punjab to Himachal Pradesh.

3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal, not binding upon the State of Haryana. This Ordinance should be withdrawn immediately by the State Government of Himachal Pradesh. This House also requests the Govt. of India to use its good offices to prevail upon the State Govt. of Himachal Pradesh to withdraw the Ordinance as the same is in violation of the Central Act i.e. Inter State Water Disputes Act, 1956.

(The Resolution, as amended, was passed unanimously.)

विधायी कार्य–

(क) पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

(ख) विचार तथा पारित किये जाने वाला विधेयक
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : स्पीकर सर, यह अच्छी बात है जो सरकार आर्गेनाईज्ड क्राईम के खिलाफ लॉ लेकर आ रही है। हमारा इसमें यही कहना है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं which are very draconian जिनका आने वाले समय में मिसयूज हो सकता है। इस कारण से उनके ऊपर पुनर्विचार करके और उसके बाद इस बिल को अच्छी तरह से पढ लिखकर फिर इस बिल को सदन में लेकर आया जाये। हम इस बिल के मामले में सरकार के साथ हैं लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉविजन्स ऐसे हैं जो बिलकुल सही नहीं हैं। जो कोर्ट्स के साथ भी तालमेल नहीं खाते। उनका भी ज्यूरिस्डिक्शन है

उस ज्यूरिस्डिक्शन को भी हटाया जा रहा है। There is going to be a confusion between the judiciary as well as the Special Courts. अगर वो होगा तो फिर प्रॉब्लम्ज आयेंगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : स्पीकर सर, यह क्रिमिनल्ज के लिए है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो आज हम प्रस्ताव लेकर आये हैं यह वास्तव में कोई पहली बार नहीं आ रहा है। यह पहले भी दो बार आ चुका है और दो बार ही इस हाऊस ने पारित भी किया है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके लिए प्रैजीडैंट की असैंट लेनी जरूरी होती है। जब यहां से पारित होने के बाद प्रैजीडैंट की असैंट के लिए इस प्रस्ताव को पहली बार भेजा गया तो उन्होंने यह ऑब्जैक्शन लगाया था कि उसमें इंटरसैप्शन का विषय था, उसमें इंटरसैप्शन का विषय डाला गया था कि पुलिस को इंटरसैप्ट करने के लिए उसमें एक प्रावधान रखा गया था लेकिन बाद में जब वहां से आब्जैक्शन लगकर आया था तो यह बताया गया था कि इंडियन टैलीग्राफ एक्ट में इंटरसैप्शन का अधिकार पहले से दिया हुआ है इसलिए दोबारा से इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना मात्र एक उस समय उसमें ऑब्जैक्शन था। उसको हमने हटाया था और इस इंटरसैप्शन के विषय को छोड़कर के दोबारा भी इस प्रस्ताव को भेजा गया था। जब दोबारा इस प्रस्ताव को भेजा गया था तो उसके बाद कुछ टैक्नीकल चीजें ही उसमें उल्लिखित की गई। उस टैक्नीकल में एन.डी. पी.एस. एक्ट का जिक्र किया गया था। एन.डी.पी.एस. एक्ट में भी इसी प्रकार की कुछ स्ट्रिंजैंट धारायें पहले से हैं कि जो इस प्रकार के नशीलें पदार्थों की तस्करी करते हैं उसका प्रावधान पहले से दिया हुआ है। एक क्लॉज में उसमें कहीं–कहीं आपस में कंट्राडिक्शन थी। उस कंट्राडिक्शन के कारण से ही उस प्रस्ताव को वापिस भेजा गया था। अब हमने उस कंट्राडिक्शन को दूर कर दिया है। क्लॉज–बाई–क्लॉज उसमें सारी चीज करके एल.आर. से उसको वैट करवाने के बाद हम इसको यहां पर लेकर आये हैं। जो एक्ट हमने पहले बनाया था इस एक्ट की सैंस वही है। यह कानून केवल हम बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यही एक्ट as it is पहले महाराष्ट्र सरकार ने मकोका एक्ट के नाम से बनाया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको असैप्ट कर लिया है। अब उन्होंने भी बना लिया है। गुजरात ने भी इसको असैप्ट करके बना लिया है। इसी प्रकार से कुछ दूसरी स्टेट्स ने भी इसको असैप्ट किया है। कुल मिलाकर के जहां–जहां इसकी आवश्यकता महसूस होती है

वो आवश्यकता बहुत ही महती आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि कम ज्यादा अपराध सभी स्टेट्स में होते हैं लेकिन कहीं–कहीं उस अपराध का स्वरूप ऐसा बन जाता है कि अपराध के खिलाफ बनाए गये जो सामान्य कानून हैं उसमें जो ये बड़े–बड़े अपराधी हैं, गैंगस्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं वे उसका लाभ उठा कर छूटते भी हैं। So far so इस हाउस की चिन्ता तो इस बात में हो जाती है कि हमारे कितने विधायकों को कॉल्ज आई हैं? आज ही मुझे पता चला है कि महम में कल ही कोई कॉल आई है और वहां बहुत लोगों को परेशानी हुई है। जब इन लोगों की जड़ें ढूंढी जाती हैं तो वे जड़ें किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ मिलती हैं। हमारे पड़ोस में पंजाब प्रांत है और जिस प्रकार की चीजें वहां से चल रही हैं वह चिन्ता का विषय है। लोग वहां पर क्राइम करते हैं और कुछ लोग हरियाणा से भी पकड़े गये हैं। जिस प्रकार से ये सारे विषय खड़े हुए हैं इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे चल कर यह बहुत बड़ा विषय बनने वाला है इसलिए हमें तुरन्त सम्भलना चाहिए तथा पुलिस को कुछ पॉवर्स देनी चाहिएं। ये पॉवर्स ऐसी नहीं हैं कि कोई तुरन्त इनका उपयोग कर लेगा, इसमें कुछ सेफगार्ड्स पुलिस के लिए भी रखे गये हैं जिसके कारण किसी आम आदमी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रावधान रखा गया है। हम स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी कर सकते हैं। इसमें सभी चीजें बहुत इलैबोरेट तरीके से की गई हैं। हम इसको और डिले नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें डिले करते हैं और कल को कोई बड़ा नुकसान हो गया तो यह डिले उसमें जिम्मेदार हो सकती है। अगर विपक्ष की ओर से कोई ऐसा सुझाव आयेगा, वह चाहे अब आये या बाद में कभी आये तो हम उसमें तुरन्त अमैंडमैंट करेंगे। अमैंडमैंट करना हाउस का ही काम है। हम इसमें पहले ही बहुत फंसे हुए हैं और अगर हम अनावश्यक डिले करते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। मैं आपको इस तरह की बहुत सी घटनायें बता सकता हूं कि ये सारे क्रिमिनल्स अब आतंकवादियों के साथ मिल कर देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त हो कर कितनी भूमिका में चले जाते हैं। ऐसे–ऐसे गिरोह हैं कि अगर हम एक कदम उठाते हैं वे उससे दो कदम आगे जा कर उसका तोड़ निकाल लेते हैं इसलिए यह स्पैशल एक्ट उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनके मनसूबे तोड़े जा सकें जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रदेश की जनता के खिलाफ षडयंत्र रचते हैं। इसलिए हमें यह बिल लाना है और जरूर लाना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम सभी के लिए बहुत चिन्ता का विषय है और हम इसमें पूरी तरह से आपके साथ हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो सकती है और जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बिल को पढ़ने के बाद मैं दो–तीन बातें प्वायंट आउट करना चाहती हूं। उदाहरण के तौर पर इस बिल के सैक्शन 5(2) में कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमैंट डिसाइड करेगी। इस बारे में मेरा प्वायंट यह है कि हम हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? इसी तरह से सैक्शन 9 में जो कोर्ट की इंडिपैंडेंस है और कोर्ट की पॉवर्स हैं उनको करटेल किया जा रहा है। उसके बाद सैक्शन 18 में कोर्ट्स की पॉवर इनको दी गई हैं। इस प्रकार से यह तो सारी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की है तो यह बिल वहां जा कर अटकेगा। इससे अच्छा तो यह है कि हम इस तरह से बिल तैयार करके भेजें कि इसमें कोई कमी ही न रहे तथा सही तरीके से बनकर जाये तथा आने वाले समय में इसमें कोई रुकावट न आने पाए। भले ही अभी आप इसके लिए अध्यादेश ले आइये। इसी तरह से सैक्शन 29(3) में प्रैसक्राइब्ड पनिशमैंट एक साल की है वह अंडर ट्रायल की है। अब हमने उसको तीन साल कर दिया है, आप उसको तीन साल कीजिए कोई बात नहीं है। That will act as a deterrent. पर ये सारी चीजें जो हैं these have to be taken into consideration so that this Act become something that can be used in future and that it doesn't become as deterrent itself.

श्री वरूण चौधरी (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, न तो हम क्राइम के साथ हैं और न ही क्रिमिनल के साथ हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि यह बिल दो बार वापिस आ चुका है और अब तीसरी बार यह वापिस न आये इसलिए अगर इस पर गहन विचार हो तो इसमें हर्ज भी क्या है? कल शाम को ही यह बिल मिला है और यह 14 पेज का है। अगर हमें इसे पढ़ने का समय मिल जाये तो इसमें हर्ज भी क्या है? अध्यक्ष महोदय, The Haryana Control of Organized Crime Bill के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी शब्द की परिभाषा की जाती है तो उस परिभाषा में उस शब्द को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। यह बेसिक बात है कि जिस शब्द की आप परिभाषा करेंगे उसमें वह शब्द तो नहीं होगा। हमारा यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन सैक्शन 2(1)(डी) में लिखी

गई है, उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिखा जा रहा है तो पता कैसे चलेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या ? यह क्लीयर ही नहीं हैं। उसके बाद इसमें लिखा हैं कि

"Notwithstanding anything in the Code..."

Code is Cr.P.C.

"or in the Evidence Act, a confession made by a person before a police officer shall be admissible in the trial."

सर, सी.आर.पी.सी. को भी एक तरफ हटा दिया हमने इण्डियन एविडैंस एक्ट को भी हटा दिया कि जो व्यक्ति कस्टडी में है वह जो अपनी स्टेटमैंट देगा वह मानी जाएगी। सर, यही नहीं सिर्फ मानी ही नहीं जाएगी क्योंकि जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी के अन्दर है उससे तो कुछ भी कहलवा लो। उसके बाद ये तक कहा है कि उसकी आईडैंटिटी और एड्र्स को भी सीक्रेट रखा जा सकता है। यानि जिस व्यक्ति के खिलाफ बात आएगी उसको यह भी नहीं बताया जाएगा कि तेरे खिलाफ कहा किसने है। उसके बाद इसमें लिखा है–

"(4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act, if in custody, be released on bail…"

उसको बेल भी नहीं मिलेगी। सर, उसको बेल क्यों नहीं मिलेगी? बेल कब मिलेगी? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोरचुनिटी दी जाएगी या स्पैशल कोर्ट सैटिसफाई है कि–

"Where there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."

कैसे इनीशियल स्टेज पर जो जज है वह फैसला कर पाएंगे कि इस तरह की बात नहीं आएगी यानि कि उस व्यक्ति को बेल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद इस सैक्शन में आगे लिखा है -

"(2) No Special Court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of the State Government."

सर, राज्य सरकार भी बीच में आ रही है। सर, इसको पोलिटीसाईज्ड नहीं करना चाहिए। सर, हम चाहते हैं कि क्राईम हटे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कई राज्यों में इस प्रकार का एक्ट है।

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, इसमें पोलिटीसाईज क्या किया है? वह तो जो भी सरकार होगी उसके लिए लिखा है। यह पोलिटीसाईज थोड़े ही है।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बेल तक भी नहीं मिल रही है। It is written in Section 3.(1) (2) that-

"(2) Whoever conspires or attempts to commit or advocates,"

सर, वकीलों के लिए भी किया गया है। जब whoever पहले लिख दिया गया है। फिर वकील लिखा हुआ है। वकीलों के बाद तो फिर लैजिस्लेचर भी लिखा जाए, डॉक्टर्ज भी लिखा जाए। इसके क्या मायनें हैं। सर, इसके मायनें ठीक नहीं हैं। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं बल्कि यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर विचार करने का थोड़ा समय दिया जाए। उसके बाद इसे पास किया जाए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, अगर इस कानून को पूरी तरह से होशो हवास में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अन्दर तानाशाही का रास्ता साफ किया जा रहा है। पुलिस स्टेट बनाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। क्या पुलिस दूध की धुली हुई है? आप इस कानून के अन्दर यह लिखो कि अगर पुलिस वाले गलती करेंगे तो उनके साथ भी वही क्रिमिनल वाला ही फैसला किया जाएगा। इसमें अकाउंटेब्लिटी किसकी है। इसके अन्दर तो एक दम साफ है जैसे हाथरस वाले केस में एक कपल को पकड़कर अढ़ाई साल अन्दर ठोक दिया था। यह वही कानून है और पुलिस स्टेट बनाने के लिए अगर सदन सहमत है तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप लोकतंत्र की हत्या का रास्ता खोल रहे हो। यह वैल्फेयर स्टेट है। यह पुलिस स्टेट नहीं हैं। यह राजवंश नहीं है। आप लोकतंत्र का नाश ना करो। आप संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हो। यह मकोकार, यू. ए. पी. ए. की यहां जरूरत नहीं है। अपनी होशोहवास से अपनी नीयत ठीक रखिये, सारा काम ठीक हो जाएगा। आप पुलिस की नीयत को ठीक कर दो ना। आप अकाउंटेब्लिटी तय करो। जब किसी ऑफिसर की अकाउंटेब्लिटी ही फिक्स नहीं है तो फिर तो जिसको मर्जी पकड़कर अन्दर कर दो। उस पर प्रोसिक्यूटर कौन है, सरकार है। वह भी पुलिस ही है। अगर सारी पावर सरकार को ही देनी है तो एक नागरिक के अधिकार के ऊपर डाका डालने का अधिकार हम इस कानून के तहत नहीं दे सकते हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अब पूरी पार्टी विरोध करेगी। अगर ऐसा धंधा करना है, अगर तानाशाही लानी है तो फिर कानून को और संविधान को खत्म कर दो। इसका मतलब यह तो बैक डोर से तानाशाही चलाने का काम है। यह नहीं चलेगी। ऐसी सोच भी नहीं चलनी चाहिए और जिसकी ऐसी *** है उसको इस विधान सभा में नहीं आना चाहिए। (विघ्न)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्षः गोगी जी ने जो शब्द बोले हैं उन्हें प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिया जाए क्योंकि गोगी जी ने जो शब्द बोले हैं वे असंसदीय हैं। (विघ्न) यह सरकार की सोच है और सरकार ही यह बिल लेकर आई है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय विपक्ष को आश्वासन दे दें कि इस बिल से उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा ऑब्जैक्शन यह है और वह आपको याद भी होगा कि आपने स्वयं कहा था कि सदन में बिल पांच दिन पहले आना चाहिये और यदि तय समय में बिल नहीं आता है तो उसे टेकअप नहीं करेंगे। हमने यह बिल, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पास पांच दिन का समय है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल दो बार पेश हो चुका है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ऐसा नहीं है, यदि कोई इमरजैंसी बिल आता है तो क्या उसे स्वीकार नहीं करेंगे? हम चाहते हैं कि बिल सदन में पांच दिन पहले आये। मलिक साहब, पहले समय में तो उसी दिन बिल आता था, यह बात भी आपको पता होगी लेकिन यह बिल तो आपको कल शाम को मिल चुका है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, फिर तो आप अपनी स्टेटमैंट विदड्रा कर लो।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, मैं किस चीज के लिए विदड्रा कर लूं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार का इमरजैंसी के दौरान कोई बिल आयेगा तो उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, basic tenets of law is justice.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमने कानून व्यवस्था पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, यदि ऐसी स्थिति थी तो हाउस ने उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करवाई?

उस संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हाउस को चर्चा करवानी चाहिये थी ताकि पता चले कि यह कितना महत्वपूर्ण बिल है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, यह बिल कोई पहली बार तो हाउस में आया नहीं, तीसरी बार आया है। दो बार पहले भी यह बिल डिस्कस हो चुका है। यदि पहली बार डिस्कस करते तो अलग बात थी। पहले भी यह बिल आप लोगों ने ही पास किया है। यदि कोई टैक्निकल ऑब्जैक्शन सरकार की तरफ से आई है तो वह आप बता दीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सैक्शन 2 को देखें। इस बिल में जो organised crime की definition है-

"an organised crime syndicate"

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से चाहे किसी सिंगल पर्सन को इंवोल कर लो। किसी को भी implicate कर लो। इस बिल में बहुत ज्यादा loopholes हैं। यदि इस बिल को पूरी तरह से scrutinize करेंगे तो इसमें बहुत arbitrary powers हैं। अभी हांसी में मूर्ति चोरी का प्रकरण ही देख लीजिए, उसके बारे में हम सभी को पता है। यदि हम इतनी भारी पावर पुलिस को देंगे, क्या यह ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इस बिल को पास करने से पहले इसको एग्जामिन करने के लिये एक सिलैक्ट कमेटी बनाई जाये ताकि एक–एक चीज ट्रेस आउट हो जाये, किसी को कोई खतरा न रहे। अभी तो मैंने केवल इस बिल के दो–तीन पेज ही पढ़े हैं। यदि हमें पूरे पांच दिन का टाइम मिलेगा तो इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस बिल के बारे में लोगों को कोई संशय नहीं रहना चाहिये।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस बिल में Section 24 जो है, यह भी पूरी तरह से इल्लीगल है it means every person is presumed innocent till

proven guilty. हमने तो पहले ही उसको surmise कर दिया कि वह guilty आदमी है। It is challenging the very basic tenets of the law. आप तो उसी को खत्म कर रहे हैं। इसके साथ–साथ इस बिल के सैक्शन 28 में तो आपने blanket ही दे दिया। You have given immunity to the Government and Officers. यदि किसी ऑफिसर ने किसी के खिलाफ कुछ भी कर दिया तो उसके खिलाफ अपील नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो क्राइम उठ रहा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है और करनी भी चाहिये। जहां हम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पावर पर पैर रख रहे हैं, वह नहीं कर सकते। इस तरह की पावर हम किसी को नहीं दे सकते जो इतनी draconian हैं जिनका आगे आने वाले समय में किसी भी तरह misuse हो जाये। Checks and balances are very-very important in a Bill like this. Otherwise, in future this will likely to be badly misused, you know that.

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, यदि कोई संबंधित व्यक्ति हमें फोन कर दें और कल को वह क्राइम में फंस जाये तो क्या हम भी क्राइम में शामिल हैं?

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, समाज में आवश्यकताओं के मुताबिक कानून में परिवर्तन होते आये हैं। यदि यह महान सदन किसी भी कानून को देखेगा तो हर कानून पांच–सात साल के बाद अपना स्वरूप बदलता रहता है। समाज में जिस तरह के कानून की जरूरत होती है उसी तरह के कानून बनाये जाते हैं। आज से काफी साल पहले environmental Law नहीं था लेकिन प्रदूषण बढ़ा तो environmental के कानून बनाने पड़े। आज सदन में जो बिल लाया गया है, यह भी किसी समस्या को हल करने के लिये ही लाया गया है। इस समस्या से हम सभी माननीय सदस्यगण वाकिफ भी हैं। हम सभी मानते भी हैं कि समस्या है। उस समस्या

को कंट्रोल करने के लिये यह स्पेशल बिल सदन में लाया गया है। हमारे साथियों की अपनी–अपनी apprehensions हैं और अपनी–अपनी reservations हैं। मैं कहता हूँ कि जब स्पेशल पावर्स पुलिस को दी जाती है वह special circumstances होती हैं और स्पेशल नेचर के केसिज होते हैं। उनको डील करने के लिये भी स्पेशल पावर्स की जरूरत होती है। This is not the first Act. इस तरह के कानून पहले भी बनाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक apprehensions हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने रखे हैं, यह ठीक है कि हमेशा कानून बनाते समय जिम्मेवारी से काम करना होता है। हमें, पुलिस फोर्स पर या कानून व्यवस्था बनाई जाने वाली एजेंसिज पर इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि वे सही आदमी पर, सही तरीके से और सही स्थिति के मुताबिक अपनी पावर का इस्तेमाल करें। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी कोर्ट्स हैं। कोई भी कानून होता है वह हमेशा judicial scrutiny में जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट की पावर की बात है तो हाई कोर्ट की पावर Constitution के under Article 226 में है or Supreme Court की पावर Article 32 में है। Judicial review की पावर्ज कोई नहीं ले सकता, वे हमेशा inherent powers हैं। हर असैम्बली और even in पार्लियामैंट के जो enacted laws हैं वो भी judicial review में जाते हैं। (Noise and interruption) Definitely, the person against whom it is misused, he can approach to the court and the court will take scrutiny of it. (Noise and interruption)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जो डॉ. अभय सिंह कह रहे हैं वही तो मैं कह रही हूँ।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, यह जनता के खिलाफ क्राइम है।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, यह जनता के खिलाफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिये ही एक्ट बनाया जा रहा है। Anybody may not interpret this law in a different way.

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो इसका रिप्लाई दे दूं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूँ and I think every Member should be allowed to speak. अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपली जो क्राइम होते हैं this is bad for the society और बड़े खतरनाक होते हैं। हमें सबसे बड़ी बात यह समझनी चाहिये कि no innocent person should be involved. That is the crux of the matter. इसमें जितनी भी definitions हैं, उसमें काफी हद तक कहीं–कहीं ऐसे ही शब्द यूज किये हुए हैं। फिर तो Gogi ji is telling exactly right that being a public representative you have the knowledge that some crime is committed but you are helpless और उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कल को कोई बात हो जायेगी तो वह भी इसके साथ रगड़ा जायेगा और कहा जायेगा कि यह आपके नॉलिज में था, इसलिए यह क्राइम था। He may have no iota. Involvement is not there सबको पता होता है कि यह जो आदमी जा रहा है यह बदमाश है । मेरे को भी पता है । कहते है कि आपको तो पता था कि यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है । अतः इसलिए हम आपसे टाइम मांग रहे हैं और कोई बात नहीं है । Why the Treasury Benches are in a hurry to pass this Bill? एक बार यह बिल आया था । दोबारा पास हुआ । ठीक बात है । फिर सरकार ने इसको वापिस भी तो टैक्निकल ग्राउंड पर ही लिया है । अगर इसे technical ground पर हटा दिया गया तो this is not happened in a day या तो आप कल कह देते कि आज हम इस बिल को पेश कर रहे हैं । कल यह हाउस में हर हालत में आयेगा और इस पर हाउस में डिस्कशन होगी । अब इन छोटे–छोटे

प्वॉयंट्स को study करने वाली बात है । इसमें बात यह है कि सरकार ने सिंडिकेट वर्ड यूज किया है । What kind of syndicate of the criminals? क्रिमिनल्स का भी सिंडिकेट कभी होता है क्या ? (शोर एवं व्यवधान) नहीं, but how do you define syndicate? (शोर एवं व्यवधान) नहीं, नहीं । 'Syndicate' is a group of persons that everybody knows it. But how you have found it? 'Syndicate' word can be used in a good sense that people unite and make a syndicate and do the things. उसके बाद इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है । मैंने अभी 10–15 मिनट्स की रीडिंग में कुछ शब्दों को नोट किया है । मैंने फर्स्ट टाइम किसी आई.पी.सी. कोड में 'advocates' शब्द का प्रयोग देखा है । Speaker Sir, kindly see Section 3(2) of this Bill. The words, 'Whoever conspires' बिल्कुल ठीक words है । 'attempts to commit' बिल्कुल ठीक words है । 'abets' ठीक word है । 'knowingly facilitates' बिल्कुल ठीक words है लेकिन इसमें एक शब्द 'advocates' आता है । मतलब कि इतना कुछ रिफाइन करके आप इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं । आपकी मुट्ठी, आपके शिकंजे में सब कुछ आ रहा है । पर यही बात थोड़ी–सी डिस्कस करने की है । (विघ्न) हम इसीलिए तो टाइम मांग रहे हैं और किसी वजह से टाइम नहीं मांग रहे हैं । अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रिंसिपली इस बात के खिलाफ हैं या हम बदमाशों के फेवर में हैं या हम स्टेट में शांति नहीं चाहते हैं या हम लॉ एण्ड ऑर्डर नहीं चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है । मैं इसे पढ़ देता हूं । "Whoever conspires or attempts to commit or advocates," हमें इस बात पर ऐतराज है । हमको इस advocates शब्द पर ऐतराज है ।

Mr. Speaker : "or advocates" 'वकालत' गलत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, 'advocates' के बड़े अर्थ निकलते हैं । इसका अर्थ 'वकालत करना' नहीं है । मेरा कहना है कि इस शब्द की जरूरत नहीं

है क्योंकि सरकार ने पूरा शिकंजा कस दिया, अच्छा शिकंजा कस दिया । इसके अलावा abetting भी सरकार ने ले ली, facilitation भी सरकार ने ले ली, attempts to commit भी सरकार ने ले ली, जो conspiracy करेगा उसको भी सरकार ने ले लिया लेकिन 'advocate' शब्द थोड़ा–सा decent language में अच्छा नहीं लगता है । इसके बाद इस मामले में सजा भी बड़ी रखी है । चलिये, कोई बात नहीं । मकोका भी आता है, और भी कानून आते हैं, ED के केसिज भी आते हैं जिसमें लोगों की बेल नहीं होती है । सरकार सख्त होना चाहती है कि उनको बेल न मिले । ऐसे बहुत–से कानून हैं जिनमें 6–6 महीने तक बेल नहीं होती हैं । In illustrative way, how you define the property of 'organised crime' ? उसके बाद वह कमीशन कैसे होगा ? उसके बाद Section 4 आता है ।

> "4. If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or, at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for,…."

मतलब किसी के पास कोई जायदाद मिल भी जाती है (विघ्न) हम डैमोक्रेटिक सैट अप में रहते हैं । हम डैमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं । उसके भाई की जायदाद है, उसकी बहन की जायदाद है या और किसी की जायदाद है उसकी पजैशन में कर दिया । मेरा कहना है कि प्रोसीक्यूशन प्रूव करे कि यह जायदाद किस commission of offence में आई है । That is why we are doing this. हम इसको कर रहे हैं । एक मुलजिम जिसको पकड़ा जाता है वह एक्सप्लेन करे । उसको चाहे Income tax या ED नोटिस ही दे दें कि आप एक्सप्लेन करो । प्रोसीक्यूशन में तो कम से कम each and everything should be clear. ठीक है कि आपने रख दिया । वह वैलिड होगा । अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कुछ देशद्रोह के मुकदमें होते हैं या कस्टम के बड़े जबरदस्त मुकदमें होते हैं या डी.आई.आर. के मुकदमें इत्यादि होते हैं। वहां पर तो बात बनती है कि जब confessional स्टेटमैंट ले लिया तो that can be used against a person. But in a crime, you are saying otherwise also. अगर किसी को ठोकना है तो उसको एस.पी. भी ठोक देगा और इन्सपैक्टर भी ठोक देगा और दूसरे अधिकारी भी ठोक देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें शुरू में मेरी एक ही लाईन थी कि innocent person should not be implicated. That should be

ensured by this legislature, by this House. एक भी इनोसैंट आदमी नहीं फंसना चाहिए। इस एक्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिस किसी को भी फंसाया जा सके। आप देखें कि पंजाब के अन्दर हर रोज मुकदमें होते रहते हैं। मतलब यह है कि पहले पॉलिटिक्ल विक्टिमाईजेशन कभी नहीं होती थी। Now, it is taking part. यह एक एक्सटैंट तक जा रही है। आप एक कानून पास कर रहे हैं तो अच्छा कानून पास करने के लिए हमारे को टाईम दे दें। अगर आप कल ही कह देते तो हम इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते और अमैंडमैंट recommended कर देते। इसमें सैक्शन 9 में एक वर्ड लिख दिया कि 'privy to an offence,' Otherwise also बेसिक प्रिंसिपल यह होता है कि law should always in a simple language which should be understandable by a common person. इसमें लॉ को पढ़ने के लिए एक वकील की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वह एक अच्छी लॉ होती है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बताएं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है?

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, Section 9(1) (3) में लिखा हुआ है-

> "The Special Court may, with a view to obtain the evidence of any person, supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence."

मैंने भी 29 साल तक वकालत की है। यह privy to an offence कौन–सी लैंग्वेज आ गयी है? अगर आपको लगता है कि उसके साथ किसी वर्ड की सांठगांठ है तो कोई ऐसा शब्द यूज करें जिसमें एक कॉमन आदमी को समझ में तो आ जाए। कानून तो एक कॉमन सैंस की बात है। एक कॉमन नॉलेज की बात है। इसी तरह से आखिर में यह आता है कि it is provided that any other person. मैंने पहले जो बता दिया है, उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर पुलिस के उच्च अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं और उन्होंने भी इसको देखा होगा। इसमें कन्फैशन वाली बात को थोड़ा–सा और ट्रांसपैरेंट कर देंगे तो अच्छा होगा। हम यह नहीं कहते कि आप मुलजिमों को न पकड़े। आप मुलजिमों को जितना ठोक सकते हो, उतना ठोको। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परन्तु क्राईम कम होना चाहिए। इसमें वही बात आ जाती है कि कानून में गिल्टी वाले चाहे 10 छूट जाएं, परन्तु इनोसैंट एक भी नहीं फंसना चाहिए। इसमें सीधी सी बात है। इसमें सरकार मानती है तो सरकार

की मर्जी है। चूंकि सरकार मैजोरिटी में है और इस बिल को पास करवाना चाहती है तो क्या कर सकते हैं?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें 10 गिल्टी छूटने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री जी का सब्जैक्ट नहीं है।

डॉ0 कमल गुप्ता: बतरा जी, यह मेरा सब्जैक्ट क्यों नहीं है? You are a Member and I am also a Member. This is not like an intelligent person. You are a Member and I am also a Member.

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हाउस में 2–2 बार बिल ले आते हैं और उसके बाद भी विद्ड्रा करवा लेते हैं।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह सबका सब्जैक्ट है। माननीय सदस्य एक तरफ तो कह रहे हैं कि यह कॉमन मैन का सब्जैक्ट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरा सब्जैक्ट नहीं है। It is very shameful.

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। माननीय सदस्य को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि यह मेरा सब्जैक्ट नहीं है। इनसे यह बात पूछी जानी चाहिए कि इन्होंने यह कैसे कह दिया?

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि either Home Minister or Chief Minister should defend it whatever they say and they are ready to speak.

Dr. Kamal Gupta: Speaker Sir, anybody can give his opinion.

श्री भारत भूषण बतरा: ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे कहना है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए हाउस का समय 1 घंटे के लिए बढा दें। उसके बाद फिर इस बिल को पास करवा लें। इसमें वही बात आ गयी है कि हम इसको पढ लेते हैं और उसके बाद आपके साथ कॉपरेट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनका उत्तर दे सकता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बिन्दु उठाये गये हैं। इसमें पहला बिन्दु जो definition में 2(1)(c) में है, यह किसी भी व्यक्ति के ऊपर लागू होगा, ऐसा नहीं है। इसमें continuing unlawful activity पढ़ें। Continuing unlawful activity में सिद्ध करना पड़ेगा

कि वह पहले भी इस प्रकार के कुछ कामों में संलिप्त रहा है। उसमें भी 2 बार के बारे में लिखा गया है। अगर उसके खिलाफ 2 बार या तो चार्जशीट हुई है या कोर्ट ने cognizance लिया है तो उसके बाद ही अगले केस में वह आता है तो यह लागू होगा।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इसको और क्लैरिफाई कर दें।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इसको क्लैरिफाई कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि–

> 2.(1) (c) "continuing unlawful activity" means an activity prohibited by law for the time being in force, which is a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more, undertaken either singly or jointly, as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed…."

more than का मतलब at least two.

> "…. have been filed before a competent court within the preceding period of ten years…"

10 साल में, हमने 10 साल से पहले वाला भी छोड़ दिया कि अगर 10 साल में कोई दो बार चार्जशीटिड हुआ है, अगर वह तीसरी बार इस प्रकार के क्राइम में फंसता है, वह किसी ऐसे organized crime का हिस्सा बनता है तब उसके ऊपर यह लागू होगा। अगर organized crime में एक भी व्यक्ति ऐसा है तो वह इसके अंदर आयेगा।

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि organized crime की क्या डैफिनेशन है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : वरुण जी, organized crime की डैफिनेशन? देखिये, यह तो बात गलत है कि हैडिंग में कोई नाम लिखा हुआ है और उस हैडिंग में उस शब्द का डैफिनेशन हम नीचे नहीं दे सकते हैं आखिर इसमें जिस बात की हैडिंग है तो उसके अंदर ही उसकी डैफिनेशन आयेगी। (विघ्न)

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो organized crime की परिभाषाएं दी गई हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इसमें जो परिभाषा दी गई है, वह सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : वरुण जी, आपने कहा कि जिसके लिए बन रहा है, उसकी परिभाषा दी जा रही है। पहले आपने यह कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि organized crime की जो परिभाषाएं दी गई हैं, वह सही नहीं है। उसके अंदर organized crime लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Manohar Lal : Varun Ji, "organized crime" means any continuing unlawful activity"

जिसकी परिभाषा ऊपर आ गई है। आगे लिखा है कि–

> "by an individual, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate…."

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा सवाल है, फिर यह organized crime कैसे हो गया?

> "by an individual, singly or jointly,"

जब individual है तो singly or jointly कैसे हो गया? मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब यह jointly हो गया तो singly कैसे रह गया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : वरुण जी, वह singly भी आखिर किसी का कोई हिस्सा बन सकता है। देखिये, organized crime syndicate बना हुआ है। वरुण जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज बहुत चीजें ऐसी हैं, किसी भी एक व्यक्ति को कहेंगे कि तू जाकर यह काम कर आ। किसी दूसरे को कहेंगे कि तू जाकर यह काम कर आ या singly उसमें एक नहीं है लेकिन वह ज्वाईंट क्राइम के syndicate का हिस्सा है। उस Syndicate में बैठे–बैठे लोग, इतने बड़े–बड़े तमाशे कर रहे हैं कि हम उसके बारे में बहुत सी चीजें सुन चुके हैं कि वे हमारे सिस्टम से कहीं बड़े बने हुए हैं और उस आदमी को यह नहीं पता होता कि उसका दूसरा मैम्बर क्या काम करेगा? दूसरे को यह नहीं पता होता कि इसका तीसरा मैम्बर क्या काम करेगा? एक आदमी के इर्द–गिर्द syndicate जो बना हुआ है, वह अलग–अलग singly भी क्राइम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वे क्राइम नहीं करते हैं। वे एक ही आदमी से क्राइम

करवाते हैं और उस आदमी से क्राइम करवाने के बाद उसको गायब कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वे जिस आदमी से क्राइम करवाते हैं, वे उसका भी काम तमाम कर देते हैं कि पीछे कोई सबूत न बच सके। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी तीसरे मैम्बर से उस दूसरे वाले मैम्बर का काम करवा देते हैं। जो इस प्रकार की organized crime हैं, वह एक अलग प्रकार का शेप है। यह जनरल प्रकार का crime नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : मुख्यमंत्री जी, हम इस विधेयक के खिलाफ तो नहीं है परन्तु हम चाहते हैं कि इस विधेयक को Clause by Clause scrutinize कर लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मलिक जी, हमने इस विधेयक के Clause by Clause को scrutinize कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : मुख्यमंत्री जी, आपने तो कर लिया लेकिन हमने नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मलिक जी, मैं आपको एक–एक चीज बता रहा हूं। मेरे पास इसका पूरा मैटर है। आप मेरी बात सुन लीजिए और मेरे पास इसके लिए पूरा समय है। आप चर्चा कर रहे हो, जब तक आपको चर्चा करनी है, आप चर्चा करते रहो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन राज्यों के नाम लिये हैं और जहां–जहां यह विधेयक लागू हुआ है, वहां पर भी कन्विक्शन नहीं हो पा रही है। इस बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस लॉ/एक्ट में कमी है तभी तो कन्विक्शन नहीं हो पा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : वरुण जी, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जब यह विधेयक लागू हुआ था तो उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम यह बात नहीं कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : आफताब जी, मैं यह कह रहा हूं कि जो दाऊद जैसे क्रिमिनल हुए हैं तथा भी इस प्रकार के बड़े–बड़े क्रिमिनल्ज के नाम लिये जा सकते हैं, आज इन सभी को काबू किया है तो इसी विधेयक के कारण किया है इसलिए आपके जो इतने बड़े–बड़े क्राइम करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे पनपते हैं और जब कोई नुकसान हो जायेगा तो उसके बाद आप ही यह बात कहते हैं कि हम यह काम करने

वाले हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिये, मैं आपको इसके बारे में और बातें बता देता हूं। जहां तक सैक्शन–5 (1) में स्पैशल कोर्ट के प्रोविजन की बात है तो वह स्पैशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बिना कोई स्पैशल कोर्ट नहीं होगा। इस प्रकार के organized crime के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही स्पैशल कोर्ट होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें हाई कोर्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : वरुण जी, मैं हाई कोर्ट ही कह रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि–

> "5. (1) The State Government in consultation with the Punjab and Haryana High Court may,…."

वरुण जी, यह हाई कोर्ट से consultation करके ही बनेगा। उसके बिना नहीं बन सकता है। इसके निर्णय की अपील यह हाई कोर्ट के अंडर सैक्शन–12 में ही है। ऐसा नहीं है कि इसको कोर्ट से कहीं दूर कर दिया है। आप यह बात कह रहे हो कि इसको कोर्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया है, इसको कोर्ट से बाहर नहीं किया गया है। हमने पर्टिकुलर केसिज के लिए पहले भी स्पेशल कोर्ट बनाए हैं। कई प्रकार के क्राइम्स के लिए बनाए हैं। क्राइम अगेंस्ट वूमन का केस स्पेशल कोर्ट में जाता है। अभी काऊ स्लाटर के विषय भी स्पेशल कोर्ट में जाते हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, कोर्ट की पावर्स के ऊपर ज्युडिशियल इंटरफियर हो रही है तो फिर बात वहीं रूक जाएगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी प्रकार से कुछ और बातें ध्यान करवानी हैं। इस विधेयक की धारा 16 (1) (5) में जो विषय लिखा गया है वह यह है कि पुलिस अधीक्षक या इसके ऊपर का अधिकारी डी.एस.पी. इसकी इंवेस्टिगेशन जरूर करेगा लेकिन कंफैशन जो होगा वह either in the presence of S.P. या इससे ऊपर का अधिकारी यानी डी.आई.जी. या ए.डी.जी.पी. के सामने ही करेगा और इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी की है। विदाउट वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का कंफैशन वहां पर एक प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो वीडियो रिकॉर्डिंग करवायी जाएगी उसका इकबालिया बयान उसके सामने ही होगा।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सरकार इतनी ही ट्रांसपेरेंसी पर आ रही है। सब कुछ है तो एस.पी. के साथ एक एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी एड कर दें। इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उसकी भी सहमति है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सहमति कहां पर है। एस.पी. के साथ जब कंफैशन होगा तो एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी साथ ले लें। I do not say the Judicial Magistrate, I say the Executive Magistrate.जब कंफैशन एस. पी. के सामने दे रहा है, सरकार वीडियोग्राफी करवा रही है तो साथ में एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बिठा लें। एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिठा लीजिए या सिटी मजिस्ट्रेट बिठा लीजिए। This will give more transparency. मैं ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं कहता। फिर एस.पी. की जरूरत नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जो बात इसमें है वह बता रहा हूं कि कंफैशन के बाद एक्यूज्ड को ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एक्यूज्ड को पेश करने के बाद वहां पर भी उसको अपना कंफैशन स्वीकार करना होगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सैक्शन 161 सी.आर.पी.सी. में ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड की स्टेटमैंट ली जाएगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उसकी स्टेटमैंट ली जाएगी। उसकी स्टेटमैंट क्यों नहीं ली जाएगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, वह इसमें कहां लिखा हुआ है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिसमें भी होगा लेकिन आखिर उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। इसी प्रकार ये जो हरकोका में मुकदमा दर्ज होगा इसकी पूर्व अनुमति डी.आई.जी. लेवल के अधिकारी से ली जाएगी और डी.आई.जी. को सारा विषय बताया जाएगा कि यह मामला इस प्रकार का है। डी.आई.जी. की सहमति व डी.आई.जी. की अनुमति के बाद ही इसकी एफ.आई.आर. होगी। उससे पहले एफ. आई.आर. भी दर्ज नहीं होगी। (विघ्न)

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, let the confession be in front of three senior police officers, not only the Superintendent of Police. इसको अमैंड कर दो।

श्री मनोहर लालः इसमें डी.एस.पी., एस.पी. और परमीशन तो है। परमीशन ले ली।

श्री भारत भूषण बतराः सरकार इसमें एक एस.पी. और दो डी.एस.पी. कर दे फिर कंफैशन तीन के सामने होगा।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक ताजा उदाहरण के बारे में बताना चाहूंगा कि असंध के अन्दर कस्टडी में एक व्यक्ति मर गया और उसका पर्चा पता है किसके खिलाफ दर्ज हुआ है। उसका पर्चा जो कम्पलेनन्ट था उसके खिलाफ दर्ज किया गया कि तुमने इसके खिलाफ कम्पलेन्ट क्यों दर्ज करवायी। जब तुमने इसके खिलाफ कम्पलेन्ट दर्ज करवाई तो हम इसको पकड़कर लाये तब यह यहां पर मरा है। पुलिस तो ये काम करती है, मैं पुलिस के बारे में यह ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। एक गरीब मजदूर व्यक्ति था उसको पकड़कर लाया गया। उसके साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया वह मर गया और पर्चा उसके खिलाफ दर्ज हो रहा है जो कम्पलेनन्ट था।

श्री मनोहर लालः मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि *** या सरकार की तरफ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की भाषा ठीक नहीं है इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं। उसको विपक्ष के साथी सुनें। मैं इसलिए कह रहा हूं लेकिन मेरा उत्तर सुनिये तो।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं। माननीय सदस्य इसका स्पष्टीकरण सुनें। इसका स्पष्टीकरण यह है कि गोगी साहब, ने कहा कि अगर यह विधेयक पास हो गया तो हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में और हम इसके विरोध में अन्दर जाएंगे। इनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। अगर पार्टी विरोध करेगी तो हम

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

चाहते हैं कि पार्टी विरोध करके देख ले। इसका एक बार विरोध करके देख लीजिए फिर देखते हैं कि अगली बार इस सदन में कौन आता है।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा कहे गए ** शब्दों को लेकर विरोध स्वरूप सदन की वैल में आ गए और अध्यक्ष महोदय से इस बारे में तर्क–वितर्क करने लगे।)**

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लें गोगी साहब ने कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। यह गोगी साहब का ब्यान है या तो गोगी साहब इस ब्यान को वापिस लें। इससे सम्बंधित रिकार्ड निकाल कर देख लिया जाये। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप यह रिकार्ड निकालकर देख लें अगर गोगी जी ने यह कहा हो कि अगर यह बिल पास हो गया तो पार्टी इसका विरोध करेगी। (विघ्न) मैंने यही कहा कि आप लोग उनके समर्थन में हैं। (विघ्न) इन्होंने पार्टी कहा है। ये अपने ब्यान को वापिस लें कि मैंने पार्टी नहीं कहा है। (विघ्न) इन्होंने कहा कि पार्टी विरोध करेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठिए प्लीज। (विघ्न)

उर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : स्पीकर सर, आप इन्हें अपनी–अपनी सीटों पर बिठायें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा है कि क्या आप ******** के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? (विघ्न) अगर आप खिलाफ हैं तो फिर खिलाफ ही रहें। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, आप दो चीजें निकाल लें। पहला ब्यान गोगी जी का जब इन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास होगा तो पार्टी विरोध करेगी। यह गोगी जी का ब्यान निकलवा लें। दूसरा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप यह बताईये कि आप ******** के साथ हैं या उनके विरोध में हैं? मैंने यह इनसे कहा नहीं बल्कि मैंने इनसे यह पूछा। अगर मेरा पूछा हुआ इनको गलत लग रहा है तो ये बतायें कि ये ******** के विरोध में हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पहले यह कहा कि क्या आप ******** के साथ में हैं या विरोध में हैं? (विघ्न) रिकार्डिंग के अंदर यही बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या आप गैंगस्टर्स के साथ हैं या खिलाफ हैं? (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, आप रिकार्डिंग निकलवाकर सुन लें। हमें आपके ऊपर विश्वास है। (विघ्न)

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्ष : ठीक है बतरा जी, रिकार्डिंग निकलवा लेते हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, पहले गोगी जी की रिकार्डिंग निकलेगी। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, सी.एम. साहब अपने शब्द विद्ड्रा कर लें। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्द क्यों विद्ड्रॉ कर लूं। पहले गोगी जी अपने शब्द विद्ड्रॉ करेंगे जो इन्होंने कहा कि पार्टी विरोध करेगी। (विघ्न) मैं यह कह रहा हूं कि गोगी जी पहले बोलें। (विघ्न) पहले उनकी रिकार्डिंग निकलवाकर सुनाई जाये। (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनें। एक बात तो तय हो गई कि सदन में विरोध करना पाप है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष जी, ये जो लफ्ज आये हैं कि मैं एक्ट का विरोध कर रहा हूं, ये गलत है। मैं एक्ट के अंदर जो लफ्ज लिखे हुए हैं उनका विरोध कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में पुलिस स्टेट बनाने का अगर कोई कानून सरकार बनायेगी तो क्या मैं उसका विरोध नहीं कर सकता? एक नागरिक के फंडामैंटल राइट्स को छीनने का कानून बनाओगे तो क्या मैं उसका विरोध नहीं कर सकता? एक बात और है कि ऐसी मानसिकता में गोगी नहीं पड़ा हुआ है। मैंने सारे तरह के काम किये हैं लेकिन मैं ******** के साथ नहीं रहा हूं और न ही ******** के साथ रहूंगा और न ही जो ******** को यूज करके ******** के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं, उनकी जो मानसिकता है चाहे वह धर्म के नाम पर हो चाहे जाति के नाम पर हो और चाहे ई.डी. को यूज करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हों, उनकी मानसिकता के मैं खिलाफ हूं। मैं आपको यह बात कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी इसके विरोध में न भी हो तो भी मैं इसके विरोध में हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने गोगी जी से जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब इन्होंने दे दिया है, मैं संतुष्ट हूं कि ये उनके साथ नहीं हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा इनसे जो प्रश्न था वह जिस बात के लिए था वह बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब इन्होंने दे दिया है और मैं इनकी बात से संतुष्ट हूं कि ये ******** के साथ नहीं हैं। लेकिन

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

इससे पहले की इनकी स्टेटमैंट जिसके कारण मुझे इनसे यह प्रश्न पूछना पड़ा वह अभी शेष है। इन्होंने कहा था कि यदि यह बिल पास हो गया तो पार्टी इसका विरोध करेगी, खूब डट कर विरोध करेगी। उसका रिकॉर्ड निकलवा कर देख लिया जाये तो यह विषय समाप्त हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, यह हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो इसके बारे में गोगी जी स्वयं कहें कि ये शब्द मैंने कहे हैं और यह पार्टी शब्द मैं वापिस लेता हूं और यह मेरा व्यक्तिगत विरोध है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी, वे तो अब भी कह रहे हैं कि मैं विरोध में हूं लेकिन पार्टी विरोध में होने से मना कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, गोगी जी इस बारे में कुछ तो करें या तो वे अपना पार्टी वाला शब्द वापिस ले लें या वे कहें कि मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं यह मेरा व्यक्तिगत विरोध है। वे पार्टी शब्द वापिस लें या इसमें से निकालें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हम इस कनाइवेंस सिस्टम के पूरी तरह खिलाफ हैं। हमारे जिस भी सदस्य ने बोला है उसने यह स्पष्ट किया है कि हम यह पैरावाइज और सैक्शनवाइज ऑब्जैक्शन इसलिए उठा रहे हैं कि यहां पर कई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अगर यहां पर अध्ययन कर लिया जायेगा तो आने वाले समय में उसमें कोई रुकावट नहीं आयेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, यह बात तो ठीक है लेकिन आपके एक सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं। उन्होंने अभी यह बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, उनका कहने का मकसद यह था कि the bill if it is passed the way it is right now मैं उस बिल के विरोध में हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, उन्होंने यह कहा कि पार्टी चाहे इसके हक में हो लेकिन मैं इसके विरोध में हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, उनकी मंशा यह नहीं थी।

शिक्षा मंत्री(श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, गोगी जी ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी अगर इस बिल के हक में होगी तब भी मैं इसके खिलाफ हूं। अब गोगी जी से दोबारा से पूछ लो। (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री(श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के उप नेता श्री आफताब अहमद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बिल पास करवाने के लिए तथा गोगी जी को पक्ष में वोट डालने के लिए तीन लाइन की व्हिप जारी करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह उनके सोचने का पर्सनल व्यू हो सकता है यह पार्टी का व्यू नहीं है। आप हम सभी को ******** के हक में कैसे बोल सकते हो? यह उनका पर्सनल व्यू हो सकता है और उनकी वजह से आप हमारी पार्टी पर इस तरह का ऐलीगेशन नहीं लगा सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, उसी की वजह से तो सी.एम. साहब ने उनसे यह प्रश्न पूछा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, गोगी जी तो इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह के प्रावधानों से पुलिस राज आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, प्लीज आप बैठ जाईये।(विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाईये।(विघ्न)

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं गोगी साहब की बात पर कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं ये बुरा न मानें। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी प्रथा है कि जब टिकट देते हैं तो उससे पहले सबको बुलाया जाता है और फिर उनके इंटरव्यु लिये जाते हैं। जब इनकी टिकट का नम्बर आया तो ये राहुल गांधी के ऑफिस के सामने खड़े हो गये। जैसे बी.पी. चैक करते हैं, मशीन पर वेट लेते हैं। जब इनको उस मशीन पर खड़ा किया तो पूरी मशीन के फ्यूज उड़ गये। अतः ये बहुत देर से हाऊस में घूम रहे हैं, चल रहे हैं वे जरा हाऊस का ध्यान रखें कहींयहां

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

भी ऐसा न हो जाए। इनको अकेले को चला लो या 90 मैंबर्स को चला लें एक ही बात है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बुजुर्ग आदमी हैं। इनके बारे में कुछ कहने में अपने आपको मैं शहीद समझूंगा। अपने आप को पवित्र आत्मा समझूंगा। अगर इस लोकतंत्र की व संविधान की हत्या का कानून बनता है और मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्ट के अन्दर जो लिखा है उसके मैं खिलाफ हूं और मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं *** * * *** नहीं बन जाउंगा। मेरी अपनी छवि है। मैं मुख्यमंत्री जी की वजह से गोगी थोड़ी बना हूं। गोगी गोगी है इसके ऊपर चाहे 20 गैंगस्टर एक्ट भी लगा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने ई.डी. को पावर दी है उसका क्या यूज हो रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म करने का काम चल रहा है। ऐसा ही ये कानून है। मैं अब भी कह रहा हूं कि मैं इसके विरोध में हूं, विरोध में हूं। इसके लिए मेरा चाहे कितना ही नुकसान हो जाए लेकिन मैं किसी भी घटिया काम में हिस्सेदार नहीं बनूंगा।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, इसका मतलब ये सारी पार्टी घटिया काम कर रही है। (विघ्न) मैं वही तो कह रहा हूं कि वे यह कह रहे हैं कि घटिया काम में साथ नहीं दूंगा।(विघ्न)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे यह पूछिये कि फिर आप सारे विपक्ष के साथी वैल में क्यों आए? अगर ये राय गोगी जी की है तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये वैल में क्यों आए थे। ये लोग वैल में क्या विषय लेकर आए थे। अगर ये विचार गोगी जी का है तो सारे के सारे कांग्रेस के साथी वैल में क्यों आए? अगर कांग्रेस के साथी वैल में आए हैं तो वे गोगी जी की बात से सहमत हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप उस वर्ड को एक्सपंज करवा दीजिए। Expunge the word and the whole entire thing will be over. ये वर्ड एक्सपंज करके मामला खत्म कीजिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा आसान सा मामला है ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि जो गोगी जी ने कहा था अगर वे अपने शब्द वापस ले लें तो मैं भी अपने शब्द वापस ले लूंगा।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री भारत भूषण बतरा : मुख्यमंत्री जी, यह बात गलत है। आप गोगी जी का सहारा लेकर एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। (विघ्न) Why you said that whether you are with the * * * * or not?

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं मामले को खत्म कर रहा हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि गोगी जी ने जैसे बाद में कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। वे सिर्फ एक ही बात कह दें कि मैंने जो पार्टी वाली बात कही है उस पार्टी वाली बात को खत्म करो। गोगी जी, आपने जो कहा है उसको आप वापिस ले लो। (विघ्न) ठीक है सुनिये हम इस विषय को खत्म करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करता हूं कि गोगी जी का जो सदन में इस बारे में कहा हुआ पोर्शन है उसको सदन में सुनवा दें। आपके पास तो सारा सिस्टम यानी ओडियो और वीडियो सिस्टम है। उसमें क्या है। आप उसको दिखा दीजिए या सुनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : फिर तो यहां विजुअल दिखानी पड़ेगी।

श्री मनोहर लाल : गोगी जी ने जो बोला है वही मैं कह रहा हूं।(विघ्न) मैंने जो बोला है मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैंने जो बोला है उसको मैं अभी भी दोहरा रहा हूं।(विघ्न) मैंने क्या कहा है कि कृपा आप बताएं कि आप ****या सरकार की तरफ हैं। मैंने प्रश्न पूछा है। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा **** से कोई संबंध नहीं है। मैं उनके विरोध में हूं। उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, गोगी की बात 15 मिनट पहले हुई थी जब सब कुछ बोल लिया गया तो उसके बाद आप बोलने लगे। आपने कहा कि **** या सरकार के साथ हो। Speaker Sir, why the Chief Minister said it whether you are with the gangsters or not ? This is our objection.

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिए बोला था जब गोगी जी ने कहा कि अगर बिल पास हुआ तो पार्टी इसका विरोध करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः मुख्यमंत्री जी, आप पार्टी की बात को छोड़ो ना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः बतरा जी, अगर आप यह बात कह रहे हैं तो गोगी जी भी अगर कह दें कि उन्होंने पार्टी की बात नहीं की है तो बात खत्म। (शोर एवं व्यवधान) गोगी जी भी तो सदन में आपकी पार्टी के सदस्य के नाते ही बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करे। (शोर एवं व्यवधान) आप इसके लिए व्हिप जारी करो। (शोर एवं व्यवधान) चलिए कोई नहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अगर पार्टी विरोध करने की बात वे करते हैं तो करें। (शोर एवं व्यवधान) हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) करें विरोध करें। (शोर एवं व्यवधान) हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बतरा जी जो कहे वो तो सब ठीक है और अगर सदन के नेता कुछ कहें तो वह सब गलत है। इन लोगों को व्हिप जारी करना चाहिए। ये लोग व्हिप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। गोगी जी क्या पार्टी के अंदर नहीं हैं ? इन लोगों को व्हिप जारी करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, गोगी जी ने ही जब यह बात कही थी तभी सारी बातें हुई हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: गोगी जी ने कुछ कह दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कह दिया कि, चलो खत्म करते हैं, Speaker Sir, this is not fair. He is the Chief Minister of the State. This is not fair. गोगी ने कह दिया तभी मैंने कह दिया इस तरह की स्टेटमैंट मुख्यमंत्री की तरफ से ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई बात बतरा जी से तो नहीं पूछी है, वे क्यों बीच में आ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, गोगी ने कह दिया और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही, यह ठीक बात नहीं है। सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने बतरा जी से कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने गोगी जी से ही पूछा है कि वें **** या सरकार के साथ हैं। मैंने किसी और से इस बारे में पूछा ही नहीं है। चलिए खत्म करो इस विषय को।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के मुंह से यह शब्द ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करवा दो। बात खत्म हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बात खत्म तो ठीक है लेकिन बताया जाये कि क्या पार्टी विरोध करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः बिल्कुल नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो इनको गोगी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मजे ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ। इनको गोगी जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह क्या मजे लेने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वे बिल्कुल गलत हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की पार्टी के सदस्यों को गोगी जी के खिलाफ इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकालकर देख लीजिए, हमारे हर एक एम.एल.ए. ने कहा है कि वे इंसाफ के हक में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के हक में हूँ कि गोगी जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हूँ कि वे *** नहीं हैं। खत्म हुई बात। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, समाधान यही है कि प्रोसिडिग्ज से पार्टी का नाम एक्जपंज कर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने तो हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग *** साथ हो या सरकार के साथ हो। (शोर एवं व्यवधान) यह बात गोगी को नहीं कही गई बल्कि हम सबको एड्रैस किया गया है। अगर आप हाउस की कार्यवाही को चैक कर लें तो सब कुछ साफ हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको एड्रैस करते हुए कहा है कि आप लोग

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

सरकार के साथ हो या **** के साथ हो। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी ने सारे विपक्ष को एड्रैस करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने गोगी जी से ही पूछा था कि वें **** या सरकार के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सारी अपोजीशन को एड्रैस करते हुए यह बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग्ज में गोगी जी के लिए यह शब्द जोड़ दिया जाये कि गोगी जी आप **** या सरकार के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं नहीं। ऐसा नहीं होगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता ने कोई बात कही है तो उसको कैसे बदल दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब कैसी कमाल की बात कर रहे हैं। इतनी बहस हुई और गोगी जी ने साफ कहा है कि वह इसका विरोध करता है तो क्या मैं उनसे इस बात के लिए नहीं पूछंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से कुछ न कुछ एक्सपंज होता रहता है तो यहां पर भी तो एक्सपंज की कार्यवाही की ही जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप एक्सपंज की कार्यवाही करके बात को खत्म करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक चीज यह भी है कि ए.डी.जी./डी.आई.जी. स्तर की पूर्व अनुमति से ही एफ.आई.आर. लिखी जा सकेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे लगता है कि जो यह प्रकरण हो रहा है इसमें कुछ मिस–अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसको ठीक कर लिया जाये तो शायद कुछ बात नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जो बात कही है केवल गोगी जी के लिए ही कही है। It's sufficient .

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप टेप सुनाते क्यों नहीं हो? (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इस तरह से गलत प्रथा चल पड़ेगी और सदन में रोज टेप चलेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप कोई भी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी के मुंह की तरफ देखते हैं। कोई बात नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक विषय यह भी है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जायेगी बाकी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी तो ऐसी स्थिति में समाधान यही है कि चैंबर में इस मामले की सारी कार्यवाही सुनकर 10 मिनट बाद निर्णय कर लिया जाये।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक रहेगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि.....। आप बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

.....

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

***04.29 बजे** **(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 16.44 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)**

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)

(ii) श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन दोबारा 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

***04.44 बजे** **(तत्पश्चात् सभा मध्याहन पश्चात 16.59 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)**

मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक–2023 पर चर्चा के दौरान कहे गये शब्दों को वापिस लेने की सूचना देना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू होती है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और जैसा कि देखने को मिला कि उन्होंने पूरी पार्टी के लिए नहीं कहा। उन्होंने यह भी बड़प्पन दिखाते

हुए कहा है कि उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उनको वे विदड्रा करते हैं, इसलिए ये शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किए जाते हैं।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : Sir, we officially propose that let it be sent to the Select Committee as the decision lies with the Speaker

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अब तो यह हो चुका है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप यह बात डिक्लाइन कर दीजिए कि हम इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे लेकिन हम तो इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजने के लिए आपको प्रोपोज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस विधेयक की क्लॉज 3 में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की क्लॉज 3 (2) में एक छोटा–सा संशोधन रखना चाहता हूं क्योंकि बाकी बातों पर तो सब चीजें हो गयी हैं। इसमें जिस एक शब्द पर एतराज आया था वह शब्द 'advocates' था। इस पर विचार–विमर्श करने के बाद यह ध्यान में आया कि 'advocates' का अर्थ 'support' करना होता है या समर्थन करना होता है या सिफारिश करना होता है। सामान्य भाषा में तो इसका अर्थ यह है। लेकिन लीगल भाषा में उसका अर्थ वकील होता है। हमारे लीगल भाषा को जो प्रमुखता देने वाले लोग हैं, उनको इस बात पर एतराज हो सकता है इसलिए इसमें 'advocates' शब्द को बदलकर इसके स्थान पर 'supports' शब्द लिखते हैं।

> "Whosoever conspire or attempts to commit or supports, abets or knowingly facilitates….."

इसमें 'advocates' की जगह पर 'supports' होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की क्लॉज 3 (2) की पहली लाइन में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:–

> हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 की क्लॉज 3 (2) की पहली लाइन में ''Advocates'' शब्द के स्थान पर ''Supports'' शब्द प्रविष्ट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 की क्लॉज 3 (2) की पहली लाइन में ''Advocates'' शब्द के स्थान पर ''Supports'' शब्द प्रविष्ट किया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की यह मंशा थी कि गुंडागर्दी और जो गुंडे लोग हैं, उनको पूरी से तरह ठिकाने लगाया जाये और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई भी की जाये। इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने केवल इस बिल को मजबूत करने के लिए ही बातें कही है। हमारे से अगर इस बिल से संबंधित सजैशन ले लिये जाते तो मैं समझती हूं कि सरकार को इस

बिल के माध्यम और भी मजबूती मिलती। यह जो organized crime है हम इससे दूर हो सकते थे। अध्यक्ष महोदय, खैर, जो भी आपने इस बिल में संशोधन किया है। अब हम इसके बारे में यह बात कहते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाने का काम करें ताकि आने वाले समय के अंदर organized crime पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात कहना चाहती हूं कि अगर आप इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेज देते तो यह बात और भी अच्छी हो सकती थी ताकि हम लोग इस बिल पर अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते और इसमें जो त्रुटियां हैं, वे भी दूर हो जाती। अध्यक्ष महोदय, जहां से क्रिमिनल निकलते हैं वहां पर सिस्टम को और स्ट्रोंग किया जाये ताकि क्रिमिनल इस तरह की वारदातों को अंजाम न दे सकें।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अभी आपने जो कहा है और मैं समझता हूं कि इस बिल पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हो चुकी है और यह आपका कंसर्ड भी है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक चीज और क्लीयर करना चाहता हूं कि ''एडवोकेट्स'' शब्द का जो संशोधन इस विधेयक की क्लॉज 3 (2) की पहली लाइन में किया गया है। वह केवल विधेयक की इंग्लिश की कॉपी में है। हिन्दी की कॉपी में इस संशोधन का कोई अर्थ नहीं निकलता है क्योंकि हिन्दी कॉपी में यह लिखा है कि–

> ''जो कोई भी किसी संगठित अपराध की साजिश करता है या करने का प्रयास करता है या हिमायत करता है''।

हिमायत शब्द का जो संशोधन है वह हिन्दी कॉपी में नहीं बल्कि इंग्लिश कॉपी में संशोधन माना जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अध्यक्ष प्रश्न है–

> हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 की क्लॉज 3 (2) की पहली लाइन में ''Advocates'' शब्द के स्थान पर ''Supports'' शब्द प्रविष्ट किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3 यथा संशोधित स्वीकृत हुई।

क्लॉजिज 4 से 30

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 4 से 30 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

(विधेयक यथासंशोधित पारित हुआ।)

.....

अध्यक्ष महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा धन्यवाद

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष, 2023–24 का बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। मैं बजट पर विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के सुचारू कार्य एवं मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोकसभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को दिये गये प्रशिक्षण के लिए प्राइड के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस बार का चौथा बजट मैंने अपने वित्त मंत्री के रूप में रखा है। इस बजट में प्रदेश की जनता की भलाई के लिए हर संभव प्रयत्न किया गया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें हमें बहुत से स्टेक होल्डर्स, विधायक और सांसदों के सुझाव मिले, जिनको हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। हमारी 8 सिटिंग्ज में लगभग 42 घंटे की बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही है। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने–अपने तरीके से सहयोग किया है। इसके अलावा विधान सभा के जितने भी अधिकारी/कर्मचारी, मीडिया के मित्र और जो भी कन्सर्ड हैं सभी ने विधान सभा के इस सत्र को बहुत अच्छे प्रकार से संचालन करने में सहयोग किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है ।

***05:08 बजे** **(तत्पश्चात् सभा अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुई।)**